राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क १०] द्वितीय विधान सभा के दशम् सत्र, १९६१ का ४४ वां दिवस [संख्या ३०

शुक्रवार, दिनांक ७ अप्रेल, १९६१

विधान सभा की बैठक म० पू० ८ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[खनिज, कृषि, गृह, पंचायत, सहकारी, योजना, न्याय, शिक्षा, खाद्य, विकास, यातायात, सामान्य प्रशासन, नियुक्ति-विभाग]

प्रश्न संख्या ८१२

श्री अध्यक्ष : श्री मोगजीभाई।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिए)

प्रश्न संख्या ८१३

श्री भैरोंसिंह।

(अनुपस्थित- कृपया आगे देखिए)

श्री रामनारायण वर्मा।

हिन्डोन के हरिजनों के एसोसियेशन द्वारा इक्ट्ठी की गई हड्डियों की भूतपूर्व ठेकेदार श्री रमजानी द्वारा चोरी

८१४. **श्री रामनारायण वर्मा**(पीपल्दा-सु०) : क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या हिन्डोन के हरिजनों ने एक एसोसियेशन बना कर १,२००) रुपयों में हिन्डोन नगरपालिका से हड्डी का ठेका लिया था?

(२) क्या उनकी इक्ट्ठी की गई लगभग २५ मन हड्डियां भूतपूर्व ठेकेदार श्री रमजानी ने चुरा कर स्टेशन के पास डलवा दी?

(३) क्या हरिजनों ने इसके विरुद्ध मुन्सिफ कोर्ट में इस्तगासा करके एस. एच. ओ. के नाम वारन्ट जारी करवाया था?

(५) क्या थानेदार बालकृष्ण ने माल बरामद करवाने के बजाय हरिजनों को डराया-धमकाया था?

Page No 2

(श्री रामनारायण वर्मा)

(५) क्या भूतपूर्व ठेकेदार, जो पूंजीपति एवं प्रभावशाली है, के प्रभाव में बह कर थानेदार ने हरिजनों की मार-पीट की तथा धमकी देकर यह लिखा दिया कि हम कोई जांच नहीं करवाना चाहते ?

(६) क्या सरकार इसकी उचित जांच करवायेगी ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) जी हां। ठेका १,३००) रुपये में लिया था, न कि १,२००) रुपये में ।

(२) केवल १८ मन हड्डियां ही श्री रमजानी द्वारा चुराना पाया गया।

(३) जी हां।

(४) जी नहीं, किन्तु थानेदार ने माल बरामद कर हरिजनों को सुपुर्दगी नामे पर सुपुर्द किया ।

(५) जी नहीं। न तो रमजानी मालदार है न प्रभावशाली है। थानेदार ने न कोई मारपीट की, न डराया-धमकाया, न कोई तहरीर ही लिखवाई; किन्तु मुस्तगीस इब्बू हरिजन ने ही अदालत में राजीनामा पेश किया।

(६) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता ।

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल ।

ग्राम पंचायत बर के भूतपूर्व सरपंच, श्री मांगीलाल, के व्यक्तिगत मुकदमों में पंचायत का खर्च ।

८१५. **श्री शंकरलाल** (रायपुर) : क्या मंत्री, पंचायत विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(१) ग्राम पंचायत बर, तहसील रायपुर, जिला पाली के विरूद्ध गत तीन वर्षों में कितने मुकदमे हाई कोर्ट व सिविल कोर्ट में पेश हुए और उनमें पंचायत कोष की कितनी धनराशि व्यय हुई?

(२) क्या यह सही है कि भूतपूर्व सरपंच श्री मांगीलाल के विरूद्ध व्यक्तिगत हैसियत के दावों और मुकदमों का खर्चा भी पंचायत कोष से दिया गया, जिसका संकेत ऑडिट पार्टी ने अपनी रिपोर्ट दि० ४. ११. ६० में किया है।

(३) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) ग्राम पंचायत बर, तहसील रायपुर, जिला पाली के विरूद्ध गत तीन वर्षों में कितने मुकदमे हाई कोर्ट व सिविल कोर्ट में पेश हुए, इसकी जानकारी पंचायत के रेकॉर्ड से नहीं लग सकी है । जिन मुकदमों पर पंचायत कोष से धन राशि व्यय हुई है उनकी कुल संख्या १३ है और पंचायत कोष से इन मुकदमों पर कुल ३,०८४.६५ व्यय हुए हैं।

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

(२) ऑडिट ४. ११. ६० के बजाय दिनांक १२. ११. ६० से १६. ११. ६० तक हुआ था। ऑडिट रिपोर्ट स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, जोधपुर ने उनके पत्र क्रमांक १५२७ दिनांक २१. ३. ६१ के द्वारा भेजी है जो इस कार्यालय में २८. ३. ६१ को ही प्राप्त हुई है। उक्त रिपोर्ट में ऑडिट पार्टी ने इस बात का संकेत किया है। जब तक पूर्ण जांच न हो तब तक निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता।

(३) यह रिपोर्ट २८. ३. ६१ को इस कार्यालय में प्राप्त हुई है और विचाराधीन है।

श्री शंकरलाल : आपने फर्माया कि १३ मुकदमे विचाराधीन हैं, जब कि ऑडिट रिपोर्ट में यह बताया गया है कि २१ रिट्स और ७ अपीलें विचाराधीन हैं। २१ रिट्स हैं। हाई कोर्ट में केस हुआ, आपको क्या जानकारी नहीं है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : पंचायत की जानकारी नहीं है। मुकदमे चल रहे हैं लेकिन उनका खर्चा हुआ, वह मैंने बता दिया। पंचायत के मुकदमे हैं।

श्री शंकरलाल : व्यक्तिगत मुकदमों में पंचायत द्वारा रकम खर्च की गई है, उसका क्या हुआ ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : पंचायत के सामने नहीं है। रिपोर्ट आई है उस पर विचार कर रहे हैं। व्यक्तिगत रूप में मुकदमों में पंचायत की रकम खर्च हुई, ऐसा ऑडिट रिपोर्ट में कहीं भी उल्लेख नहीं है।

श्री शंकरलाल : ऑडिट रिपोर्ट में यह साफ बताया है कि व्यक्तिगत मुकदमों में रकम पंचायत को खर्च हुई है। ऑडिट रिपोर्ट की दूसरी नकल मेरे पास है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऑडिट रिपोर्ट को आप पढ़ दीजिये। कहां लिखा है कि व्यक्तिगत रूप में पंचायत की रकम खर्च की?

श्री शंकरलाल : पृष्ठ १३ पर लिखा हुआ है: "अतः संक्षेप में इतना ही कहना पर्याप्त है कि जो खर्च पंचायत ने मुकदमेबाजी पर किया है वह सब व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण ही हुआ है और इसके लिए भूतपूर्व सरपंच श्री मांगीलाल रिणवा व सम्बन्धित मेम्बरान ही जिम्मेवार हैं और जहां तक इन मुकदमों का अन्तिम फैसला न हो, सन् ५६ से लगा कर आज तक के खर्चे के लिये उत्तरदायित्व है तथा वह शीघ्र इनसे वसूल किया जाकर पंचायत कोष में जमा कराया जावे व अब से यह खर्चा पंचायत में न लिखा जावे।"

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आपने तो कहा कि खुद के ऊपर पंचायत के धन को खर्च कर दिया। ऑडिट रिपोर्ट मैंने स्वयम् ने ही रात को पढ़ी है। कहीं उसमें इस प्रकार का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। आपस में झगड़ेबाजी थी, इसलिए मुकदमा चला। व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं था। पंचायत के ही मुकदमे थे। ऐसा नहीं है कि पर्सनल केस दायर कर दिया हो और पंचायत की रकम को खर्च कर दिया

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

हो। ऑडिट रिपोर्ट हमारे पास विचाराधीन है।

श्री शंकरलाल : ऑडिट रिपोर्ट में यह कहा गया है कि उनसे रकम वसूल की जानी चाहिये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : व्यक्तिगत रूप में सरपंच का मुकदमा था; ऐसा नहीं लिखा है। उसका व्यक्तिगत कोई मुकदमा हो और दायर कर दिया हो, ऐसा नहीं है।

श्री शंकरलाल : ऑडिट रिपोर्ट में यह लिखा हुआ है कि उनसे रुपया वसूल होकर जमा कराना चाहिये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऑडिट रिपोर्ट हमारे पास आई है और उस पर विचार किया जा रहा है। मैंने पहले ही कहा था कि वह रिपोर्ट विचाराधीन है। ऑडिट रिपोर्ट इकतरफा है। यदि सही होगी तो उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

श्री शंकरलाल : तो ऑडिट रिपोर्ट को सरकार मान्यता नहीं देती ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने बताया कि वह अभी विचाराधीन है। फाइनल नहीं हुआ है।

श्री शंकरलाल : फाइनल कब होगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अभी रिपोर्ट हमारे पास २८. ३. ६१ को तो आई है। वह विचाराधीन है।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

लीज़ अथवा लाइसेन्स के आवेदन-पत्रों पर त्वरित निर्णय

८१६. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या मन्त्री, खनिज विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

(१) आज तक खनिज विभाग में कितने लोगों के आवेदन-पत्र लीज़ अथवा लाइसेन्स के लिए कब से पेन्डिंग हैं ?

(२) क्या यह सत्य है कि मिनरल कन्सेशन रूल्स में ऐसे मामलों में निर्णय लेने के लिए अधिक से अधिक ९ महीनों की अवधि दी हुई है ?

(३)क्या प्राक्कलन समिति, सन् १९५९-६० ने राजस्थान सरकार को यह सिफारिश की है कि लीज़ अथवा लाइसेन्स के आवेदन पत्रों पर एक निश्चित अवधि में निर्णय दिया जाना चाहिये ? यदि हां, तो सरकार ने आज तक क्या कदम उठाये हैं और अगर नहीं उठाये तो क्यों नहीं ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का जवाब नहीं आ सका है, इसलिए इसको अगली टर्न के लिए रख दिया जावे।

प्रश्न संख्या ८१७

श्री अध्यक्ष : श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

रावराजा श्री सरदारसिंह।

जोइन्ट फार्मिंग सोसाइटी, सरकाबाद को ट्रेक्टर की खरीद हेतु मिली धनराशि

८१८. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या कृषि मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे:—

क्या यह सही है कि जोइन्ट फार्मिंग सोसाइटी, सरकाबाद, तहसील देवली, जिला टोंक को ट्रेक्टर खरीदने के लिए कोई धन राशि दी गई है ? अगर हां, तो कितनी और क्या ये ट्रेक्टर किराये पर भी चलाये जाते हैं ? अगर हां, तो किन कारणों से ?

सिंचाई मन्त्री (श्री भीखाभाई): अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर आ नहीं सका है इसलिए अगली टर्न पर पेश किया जावेगा ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : अगली टर्न कब ? १४ से तो शायद........

कृषिमन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : जब भी आ जाय ।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द ।

निरीक्षक व सहायक निरीक्षकों के फिक्सेशन

८१९. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) : क्या सहकारी मन्त्री यह बताने को कृपा करेंगे:—

राजस्थान में कितने निरीक्षकों व सहायक निरीक्षकों के यूनिफाइड पे स्केल में व रेशनलाइज्ड पे स्केल में फिक्सेशन हो चुके हैं तथा कितनों का इन पे स्केल्स में फिक्सेशन नहीं हुआ ?

सहकारी मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा): ६४ निरीक्षकों का व ५८ सहायक निरीक्षकों का युनिफाइड पे स्केल में और ८३ निरीक्षकों एवं ५८ सहायक निरीक्षकों का रेशनलाइज्ड पे स्केल में फिक्सेशन हो चुका है । १० निरीक्षकों एवं २ सहायक निरीक्षकों का युनिफाइड पे स्केल में और १६ निरीक्षकों एवं २२ सहायक निरीक्षकों का रेशनलाइज्ड पे स्केल में फिक्सेशन होना शेष है ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री लक्ष्मीचन्द : कब तक हो जावेंगे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कार्यवाही चालू है ।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह ।

मुअत्तिल थानेदार व सर्किल इन्सपेक्टर्स

८२०. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान में इस समय किस किस जिले में कौन कौन थानेदार और सर्किल इन्सपेक्टर कब कब से और क्यों मुअत्तिल हैं ?

(२) ये मुअत्तिली के आदेश किसके द्वारा कब कब दिये गये ?

(३) इन मुअत्तिल अधिकारियों की जांच किसके द्वारा की जा रही है और कब कब से ?

(४) जो अधिकारी ३ माह से अधिक समय से मुअत्तिल हैं उनमें जांच के कागज़

Page No 6

(श्री भैरोंसिंह)

किस किस स्टेज पर कितने दिन रहे हैं तथा प्रत्येक मामले में इतने विलम्ब के क्या कारण हैं ?

कृपया प्रश्नों से सम्बन्धित तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : एक सी. आई. और ३२ एस. आईज़. प्रशासकीय कारणों से मुअत्तिल हैं, जिनमें से एक सी. आई. व २२ एस. आईज़. तीन माह से मुअत्तिल हैं। इनका विवरण रेन्ज के अनुसार नीचे दिया जाता है:—

अजमेर १४, जोधपुर ६, उदयपुर-कोटा १२ व बीकानेर १।

(२) मुअत्तिली के आदेश सम्बन्धित डी. आई. जी. द्वारा दिये जा रहे हैं। १ मामले में एस. पी. ने आज्ञा दी है।

(३) मामलों की जांच नीचे माफिक की जा रही है:—

उप अधीक्षक द्वारा २, अधीक्षक द्वारा २१, डी. आई. जी. द्वारा १, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा ३, अदालत द्वारा ४) जांच अधिकारी की नियुक्ति की जा रही है २।

(४) इन मामलों में जांच में देरी होने के निम्नलिखित मुख्य कारण हैं:—

(१) कुछ सब-इन्सपेक्टरों ने अपने जवाब भेजने में देरी की है।

(२) गवाहों की समय पर उपस्थिति नहीं हुई।

(३) कुछ मामले न्यायालयों में चल रहे हैं।

(४) प्रारम्भिक जांच में नियमानुसार कार्यवाही किये जाने से।

श्री भैरोंसिंह : इन सब मुअत्तिल अफसरों में सबसे ज्यादा पुराना कौनसा केस है ?

श्री रामकिशोर व्यास : सबसे ज्यादा पुराना केस ५७ का है।

श्री भैरोंसिंह : इसके बारे में फैसला न होने के क्या कारण हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : तीन साल से यह चार्ज शीट उनके मकान पर भेज दी गई है, लेकिन वे अनट्रेसेबल हैं मकान पर; चार्ज शीट भेज दी किन्तु उनका जवाब नहीं आया।

श्री भैरोंसिंह : अन्डर सस्पेन्शन की स्थिति में भी ऑफिसर्स को पुलिस लाइन्स में रहना पड़ता है ?

श्री रामकिशोर व्यास : उनका पता ही नहीं चल रहा है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह समझा जाय कि वे गैरहाजिर हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी हां।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में खर्च हुई धन-राशि

८२१. श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(१) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में राज्य सरकार को कुल कितनी धन-राशि खर्च करनी थी ?

(२) इसमें से कितनी धन-राशि खर्च हुई ?

(३) किन किन मदों में खर्चा कम व अधिक हुआ ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (१) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में राज्य सरकार को १०५.२७ करोड़ रुपये की धन-राशि व्यय करनी थी ।

(२) अप्रेल सन् १९५६ से दिसम्बर, १९६० तक राजस्थान में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ८६.१९ करोड़ रुपये की धन-राशि व्यय हुई ।

(३) सही स्थिति चालू वित्तीय वर्ष के समाप्त होने तथा खर्च के आंकड़े प्राप्त होने पर मालूम होगी ।

प्रश्न संख्या ८२२

श्री अध्यक्ष : श्री रावतमल पारीक ।

(अनुपस्थित)

सब इन्सपेक्टर्स से प्रशिक्षण काल का खर्चा अग्रिम में जमा करवाया जाना

८२३. श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या सरकार के ऐसे नियम हैं कि आर. पी. एस. व्यक्ति जब ट्रेनिंग में जाते हैं तो उन्हें वर्दी बनाने के लिए धन-राशि और दौरान ट्रेनिंग तनख्वाह भी देनी पड़ती है ?

(२) क्या यह भी सही है कि एक सब इन्सपेक्टर जब ट्रेनिंग में जाता है तो उसे ट्रेनिंग का सारा खर्चा पहले जमा कराना पड़ता है ? यदि हां, तो इस तरह का भेदभाव क्यों है ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) जी हां ।

(२) जी हां, क्योंकि नियम ऐसे ही हैं ।

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या सरकार नियमों में परिवर्तन करने का विचार नहीं रखती ?

श्री रामकिशोर व्यास : इस पर विचार करेंगे ।

तहसील रायपुर के ग्राम हाजीवास में ग्राम पंचायत का केन्द्र रखना

८२४. श्री शंकरलाल (रायपुर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि पाली जिले की रायपुर तहसील के गांव हाजीवास में

Page No 8

(श्री शंकरलाल)

ग्राम पंचायत के केन्द्र रखने की सिफारिश तहसीलदार, पंचायत समिति व जिलाधीश ने सरकार के समक्ष प्रस्तुत की ?

(ख) यदि हां, तो उस सिफारिश को अभी तक न मानने का क्या कारण है ?

(ग) इसका निर्णय कब तक ले लिया जायेगा ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) जी नहीं। प्रारम्भिक प्रस्तावों में तहसीलदार एवं विकास अधिकारी ने अपने सम्मिलित प्रस्तावों में हाजीवास में केन्द्र स्थापित किये जाने के सुझाव दिये थे। पंचायत समिति एवं जिलाधीश ने इसके लिए कोई सिफारिश नहीं की।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, जिलाधीश ने सिफारिश की है उसकी नकल मेरे पास है जिसे मैं पढ़ कर सुना दूं:—

"No. 3384 Pali, dated the 15th September, 1960.

To,

The Joint Development Commissioner (Panchayats), Rajasthan, Jaipur.

Sub—Re-organisation of Panchayats: Change of Panchayat Headquarters.

The villagers of Hajiwas have represented that there has been a Panchayat Headquarters in their village for the last many years since the former State of Jodhpur and therefore the Headquarters should be kept at Hajiwas instead of Birantia Kallan. The Panchayat Samiti and the Tehsildar have also recommended that the Headquarters of the proposed re-organised circle be kept at Hajiwas instead of Birantia Kallan.

Since Birantia Kallan is a newly proposed Headquarters and is not the Headquarters of Gram Panchayat at Hajiwas for the last more than ten years, the request of the villagers supported by the Tehsildar and the Panchayat Samiti is such as can be accorded to.

I have no objection if the Headquarters of the Panchayat Circle is located at Hajiwas as desired by the villagers and as recommended by the Panchayat Samiti, Raipur.

Sd. Anand Mohan Saksena,

Collector & Distt.Develop.Officer."

आपने यह कैसे कहा कि कलेक्टर और जिलाधीश ने सुझाव नहीं भेजे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मेरे पास जो सूचना है पंचायतों के गठन के सिलसिले में हाजीवास में रखने का खुद का सुझाव था। आपकी रूपरेखा के अनुसार और प्रस्ताव के अनुसार हाजीवास के अन्दर पंचायत स्थापित

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

करने की बात थी । राज्य सरकार द्वारा आपत्तियां मांगी गई । इसके बारे में कहीं से कोई आपत्ति नहीं आई । इस सम्बन्ध में री-ओर्गेनाइज़ेशन कमेटी की जो राय थी वह फाइनल मानी गई थी, उसको चेन्ज करने की कोई बात नहीं । कलेक्टर्स और तहसीलदारों द्वारा जो भी रिकमन्डेशन हो उसको चेन्ज करने का अधिकार कमेटी को था और उसी ने यह किया ।

श्री शंकरलाल : वह बात दूसरो है । आपने कहा, जिलाधीश और पंचायत समिति ने कोई सुझाव नहीं भेजा, आपने इस प्रकार का गलत जवाब कैसे दिया ? इसके अलावा तहसीलदार या पंचायत समिति द्वारा जो सुझाव भेजे, जिलाधीश ने जो सुझाव भेजे उसके अनुसार दस साल से जहां पंचायत है वहां कायम क्यों नहीं कर दी जाती ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने निवेदन किया कि रीओर्गेनाइजेशन जब पंचायतों का हुआ, सभी डिस्ट्रिक्ट्स में जिस जिस प्रकार की मांग थी, जिस जिस प्रकार के प्रोपोजल्स आये उनके अनुसार उसमें चेन्ज करने का सवाल नहीं । रीओर्गेनाइज़ेशन कमेटी का डिसीज़न फाइनल है । अगर फिर भी ऐसी कोई बेजा बात हुई है, डिपार्टमेंट के नोटिस में लाया जायेगा, तो उस पर विचार किया जा सकता है ।

श्री शंकरलाल . जो सजेशन्स फाइनल हो गये क्या उसमें रद्दोबदल कभी नहीं करेंगे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अभी अभी तो रीओर्गेनाइज़ेशन के अनुसार पंचायतों के चुनाव हुए हैं । अभी सरकार का इरादा नहीं, इसमें रद्दोबदल करने का । अगर कहीं ग्लेअरिंग मिस्टेक हुई हो तो सरकार उस पर विचार कर सकती है ।

मुकदमों की पैरवी हेतु गैर सरकारी वकीलों की नियुक्ति

८२५. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या न्याय मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) सन् १९५९ व १९६० में सरकार को कितना रुपया किन किन मुकदमों में कितना कितना मेहनताना किन किन गैर सरकारी वकीलों को नियुक्त करने में देना पड़ा ?

(२) क्या यह सत्य है कि गैर सरकारी वकीलों की जगह दीवानी मामलात की पैरवी पब्लिक प्रोसीक्यूटर्स कर सकते हैं ? यदि हां, तो फिर अन्य वकीलों की नियुक्ति क्यों की जाती है ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) सन् १९५९ में १२१ गैर सरकारी वकीलों को रु० ३५,७४९. २७ व सन् १९६० में १२९ को रु० ४६,९३२. ४० विभिन्न मुकदमों में मेहनताने के रूप में दिये गये ।

(२) यह सत्य नहीं है कि र गैसरकारी वकीलों के स्थान पर सरकारी वकील (Publie Prosecutor) हर दशा में दीवानी मामलों में पैरवी कर सकते हैं । गैर सरकारी वकीलों की नियुक्ति सरकार को निम्नलिखित अवस्थाओं में करनी पड़ती है:—

(श्री रामकिशोर व्यास)

(अ) यदि फौजदारी मुकदमों में उनके इस सामान्य कार्य में बाधा पड़े ।

(ब) यदि ऐसी अदालतों में दायर किये जाते हैं जो कि सरकारी वकील के हैडक्वार्टर के अलावा जगहों पर स्थित होते हैं ।

(स) इन परिस्थितियों के अतिरिक्त यदि कोई मुकदमा विशेष महत्व रखता हो ।

(द) इन परिस्थितियों के अतिरिक्त जोधपुर, मेड़ता, पाली, चुरू और प्रतापगढ़ की अदालतों में दीवानी दावों की पैरवी गैर सरकारी वकील ही करते हैं; क्योंकि इन स्थानों पर होल टाइम पब्लिक प्रोसीक्यूटर्स हैं, जिनका कि नाम हाई कोर्ट के वकीलों की सूची में नहीं है ।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : पाली डिस्ट्रिक्ट ने कितने वकीलों को नियुक्त किया गया?

श्री रामकिशोर व्यास : यह जानकारी इस वक्त नहीं है ।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा(किशनगढ़) : क्या माननीय सदस्य को मुकर्रर नहीं किया गया ?

एक माननीय सदस्य : आप चाहें तो हो सकते हैं ।

श्री मूलचन्द डागा : जब एक लाख से भी अधिक रुपया इन दो वर्षों में आपने अन्य वकीलों को दे दिया वैसी हालत में जब कि आपके पब्लिक प्रोसीक्यूटर्स बैठे रहते हैं, तो क्यों नहीं उनके द्वारा पैरवी कराई जाती ?

श्री रामकिशोर व्यास : इसका जवाब मैं दे चुका ।

सांचोर हायर सेकन्डरी स्कूल के भवन के निर्माण हेतु स्वीकृत धन-राशि में कमी

८२६. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि जिला जालोर के सांचोर हायर सेकन्डरी स्कूल के भवन के लिये शिक्षा विभाग द्वारा सन् १९५९ में एक लाख रुपये की धन-राशि स्वीकृत की गई थी ?

(२) क्या यह भी सत्य है कि स्वीकृति होने के पश्चात् उसमें से तीस हजार रुपये की धन-राशि कम कर दी गई थी ? यदि हां, तो कब और किसके आदेश से ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (१) जी हां ।

(२) जी हां । तीस हजार की धनराशि १८. १. ६० को कम कर दी गई थी क्योंकि राशि अधिक थी और पी. डब्लू. डी. के लिये वित्तीय वर्ष के अन्त तक खर्च करना सम्भव नहीं था । ये आदेश शिक्षा मंत्री की स्वीकृति से जारी किये गये थे ।

श्री लक्ष्मीचन्द : धन-राशि ज्यादा थी, यह किस आधार पर कहते हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : पी. डब्ल्यू. डी. के आधार पर ।

Page No 11

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या वहां बिल्डिंग सत्तर हजार में कम्पलीट हो जायेगी।

श्री दामोदरलाल व्यास : फाइनेन्शियल ईयर में खर्च नहीं कर सके।

श्री लक्ष्मीचन्द : कितना खर्च कर दिया ?

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : पी. डब्लू. डी. ने यह कैसे मान लिया कि खर्च नहीं हो सकेगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : लेट (pate) सेंक्शन हुई थी इसलिये खर्च उस साल में पूरा नहीं हो सका।

श्री लक्ष्मीचन्द : ७० हजार रुपया भी पी. डब्लू. डी. नहीं खर्च कर सकी तो लाख रुपये में कमी करने का क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष : कम किया है, इस साल के लिये किया है, हमेशा के लिये थोड़े ही किया है।

श्री लक्ष्मीचन्द : अगली साल में भी नहीं रखा गया है, क्या वह रकम इस साल में रखी गई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जनता से सहयोग भी होना चाहिये।

पंचायत समितियों के क्षेत्रान्तर्गत मॉडल कृषि फार्म

८२७. **श्री शंकरलाल** (रायपुर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि सरकार ने प्रत्येक पंचायत समिति द्वारा अपने क्षेत्र में अपना खुद का मॉडल कृषि फार्म रखे जाने का निर्णय लिया था ?

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय के अनुसार कितने मॉडल कृषि फार्म किन किन पंचायत समितियों द्वारा किन किन स्थानों पर कितने बीघा जमीन पर स्थापित किये गये ?

(ग) क्या ऐसे मॉडल फार्म की प्रगति और लाभ-हानि का अनुमान सरकार के समक्ष विभागीय रिपोर्ट द्वारा प्रस्तुत किया जाता है ?

सिंचाई मन्त्री (श्री भीखाभाई) : This Question has been transferred to the Development Department and the Minister for Development will answer.

श्री शंकरलाल : यह पंचायत समिति के बारे में सवाल था।

श्री अध्यक्ष : How this concerns Agriculture ?

श्री भीखाभाई : Now the agricultural farms have been transferred to the Panchayat Samitis.

सेशन्स कोर्टस के मुन्सरिमों को ३ वर्ष से अधिक एक स्थान पर रखा जाना

८२८. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) : क्या न्याय मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि उच्च न्यायालय के अन्तर्गत काम करने वाले कर्मचारियों को एक स्थान पर ३ वर्ष से ज्यादा नहीं रखे जाने का नियम है ?

(श्री लक्ष्मीचन्द)

(ख) क्या यह भी सही है कि सेशन्स कोर्ट्स में कई ऐसे मुन्सरिम हैं जिन्हें ३ वर्ष से ज्यादा अर्सा एक ही जगह हो चुका है ? यदि हां, तो ऐसे कितने हैं व उन्हें एक ही जगह तीन वर्ष से ज्यादा रखने के क्या कारण हैं ?

विधि मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) :

(क) ऐसा कोई नियम नहीं।

(ख) ऐसा होना सम्भव है।

कृषि फार्मों हेतु खरीदे गये ट्रैक्टर्स

८२६. **श्री भोगजी भाई** (बांसवाड़ा) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि कृषि फार्मों के सही ढंग से चलाने के लिये राज्य सरकार ने कोई ट्रैक्टर्स खरीदे हैं ? अगर हां, तो कितने और किन किन कृषि फार्मों पर सरकार इन ट्रैक्टरों से खेती करती है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या यह सही है कि सरकार ने जिन जिन कृषि फार्मों के लिये ट्रैक्टर खरीदे हैं उनके साथ हल-ट्रॉली व अन्य सामान नहीं होने से खरीदे गये ट्रैक्टर बेकार हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) जी हां, ४२ फार्मों पर ट्रैक्टर्स भिजवा दिये हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) कुछ ट्रैक्टरों के औजार अभी तक प्राप्त नहीं होने से काम में नहीं आ रहे हैं।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिए)

श्री भोगजी भाई : ऐसे कितने ट्रैक्टर हैं जिनको आपने अभी तक भेजा है और सामान नहीं है ?

सिंचाई मन्त्री (श्री भीखाभाई) : २०।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): ये कितने सालों से पड़े हुए हैं ?

श्री भीखाभाई : जब से दिये गये हैं तब से पड़े हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : किसी को चार महीने और किसी को छः महीने हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : सामान का साथ में ऑर्डर प्लेस नहीं किया था क्या ?

श्री नाथूराम मिर्धा : पर सामान मिला नहीं, किया तो था और ट्रैक्टर आ गये। वे डी० जी० एस० डी० से आये थे।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : क्या ये चौड़े में, खुले में रखे हुए हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : फार्मों में अलग अलग शेडों में पड़े हैं।

श्री किशनाराम (रतनगढ़) : कौनसा सामान है जो नहीं दिया गया और जिसकी बिना पर ट्रैक्टर फालतू पड़े हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : पीछे के इम्प्लीमेंट्स हैं।

Page No 13

श्री किशनाराम : मैं जानकारी रखता हूँ कि कौनसा सामान ऐसा है जिसके नहीं आने से ट्रेक्टर काम में नहीं आया।

श्री नाथूराम मिर्धा : ट्रेक्टर के इम्प्ली-मेंट्स नहीं आये।

श्री किशनाराम : कौनसा खास पुर्जा है, बताइये ? मैं बताता हूँ कि उसके बिना चल सकता है या नहीं, मैं जानकारी रखता हूँ।

श्री नाथूराम मिर्धा : अलग अलग डिटेल्ड जानकारी तो हमारे पास है नहीं इस वक्त।

प्रश्न संख्या ८३०

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

सांचोर हायर सेकन्डरी स्कूल में वाणिज्य व विज्ञान की कक्षाएं खोलना

८३१. श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

जिला जालोर के सांचोर हायर सेकन्डरी स्कूल में कॉमर्स व साइन्स की कक्षाएं कब तक खोलने का सरकार विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (प्रश्न संख्या ८३० का जवाब देने पर)

श्री अध्यक्ष : ८३१ है, साहब। उसका जवाब दें।

श्री दामोदरलाल व्यास : I am sorry Sir.

श्री शंकरलाल (रायपुर) : ८३० का भी दे दीजिये, इम्पोर्टेन्ट है।

श्री दामोदरलाल व्यास : भवन की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण और बोर्ड के नियमानुसार विज्ञान व वाणिज्य कक्षा की कमी होने के कारण ये विषय अभी तक नहीं खोले जा सके।

जैसे ही उक्त बातों की पूर्ति हो जावेगी इन विषयों को खोलने का विचार किया जावेगा।

जालोर जिले की जेलों में मुलजिमान को वाशिंग सोडा

८३२. श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) जालोर जिले की कौन कौनसी जेलों में मुलजिमान को सफाई की दृष्टि से वाशिंग सोडा दिया जाता है ?

(२) क्या यह सत्य है कि इस जिले में विचाराधीन मुलजिमान को वाशिंग सोडा नहीं दिया जाता है ? यदि नहीं, तो कौन कौन सी तारीखों से किस किस जेल में देना शुरू किया गया है ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) साधारणतया जालोर जिले की जेलों में ही नहीं, बल्कि तमाम राजस्थान की जेलों में मुलजिमान को सफाई की दृष्टि से वाशिंग सोडा दिया जाता है।

(श्री रामकिशोर व्यास)

(२) यह सत्य नहीं है कि जालोर जिले में विचाराधीन मुलजिमान को वाशिंग सोडा नहीं दिया जाता है।

श्री लक्ष्मीचन्द : तो क्या यह माना जावे कि सभी मुलजिमान को, जो विचाराधीन हैं या नहीं, सोडा दिया जाता है ?

श्री रामकिशोर व्यास : दिया जाना चाहिए। जहां नहीं दिया जाता होगा वहां इन्तजाम कर दिया जावेगा।

प्रश्न संख्या ८३३

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन।

(अनुपस्थित)

देवली वाया नगर—उनियारा—अलीगढ़ बस सर्विस

८३४. रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): क्या यातायात मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) क्या यह सही है कि देवली, जिला टोंक से वाया नगर-उनियारा-अलीगढ़ बस सर्विस चलती है ? यदि हां, तो किस कम्पनी की ओर कब से तथा किस नम्बर की ?

(२) क्या यह सही है कि पूरे साल भर से उपरोक्त बस बन्द है ? अगर हां, तो क्यों ?

यातायात मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : देवली, जिला टोंक से वाया नगर-उनियारा तक के लिये ही नहीं, बल्कि देवली जिला टोंक से वाया उनियारा-अलीगढ़ होते हुए सवाई माधोपुर तक का अनुमति-पत्र प्रकाश ट्रान्सपोर्ट कम्पनी को बस नम्बर आर० जे० एल० ७३०६ और आर० जे० एक्स० २६७ को परमिट प्राप्त हो चुके हैं।

(२) यह सही नहीं है कि उपरोक्त बसें बन्द हैं। केवल देवली से उनियारा के बीच उक्त बसें नहीं चल रही हैं। इसका कारण यह है कि उक्त मार्ग यात्री—वाहन चलाने योग्य नहीं है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : नगर, उनियारा, माधोपुर के लिये चल रही है। देवली से उनियारा नहीं चलती और उनियारा से माधोपुर चलती है, इसका क्या कारण है ?

श्री रामकिशोर व्यास : रास्ता ठीक होगा तो चलने लग जावेगी।

रावराजा श्री सरदारसिंह : बारह महीनों में भी ठीक नहीं हुआ तो अब कब होगा ?

श्री रामकिशोर व्यास : आपको तो मालूम है। सड़क ठीक हो रही है।

पाली विकास खण्ड में मेड बंदी हेतु प्रदत्त धन—राशि

८३५. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या विकास मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

(श्री मूलचन्द डागा)

(१) गाली विकास खण्ड में २ अक्टूबर, १६५६ के बाद से आज तक किन किन लोगों को चोरा बांधने (मेड बन्दी) के लिये कितनी कितनी रकम तकावी के रूप में दी गई है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या यह सत्य है कि कुछ लोगों को मेडबन्दी के लिये रकम फ्री दी गई ? यदि हां, तो किन किन को और क्यों ? सूची सदन की मेज पर रखें।

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिए)

प्रश्न संख्या ८३६

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन ।

(अनुपस्थित)

उदयपुर-हिम्मतनगर रेल्वे लाइन के निर्माण हेतु अवाप्त की गई भूमि का मुआवजा

८३७. श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) उदयपुर-हिम्मतनगर रेल्वे लाइन के निर्माण से उदयपुर जिले के कौन कौन से ग्रामों की कितनी भूमि अवाप्त की जा रही है ?

(२) अवाप्त की जाने वाली भूमि का मुआवजा क्या तय किया गया है ?

यातायात मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) उदयपुर-हिम्मतनगर रेल्वे लाइन के निर्माण में उदयपुर जिले की जिन जिन ग्रामों की भूमि आ रही है उसका उल्लेख अनेक्श्योर एक में किया गया है, जिसकी कॉपी सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) नियमानुसार मुआवजा तय किया जावेगा।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिए)

श्री सोहनलाल भटनागर : क्या यह सही है कि यह फहरिश्त पहले अलाइनमेंट की ही है ?

श्री रामकिशोर व्यास : वही है।

श्री सोहनलाल भटनागर : कई जगह तो तय कर दिया है पर मैंने रेट बताने के लिये पूछा है, वह क्या है ?

श्री रामकिशोर व्यास : वे तो जो नियम हैं उनके अनुसार ही मिलेगा।

श्री सोहनलाल भटनागर : पर ये रेटें काफ़ी कम तय की जा रही हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : आपस में पार्टी निगोशियेशन से तय सकते हैं।

Page No 16

जयपुर सर्किट हाउस

८३८. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) जयपुर सर्किट हाउस की किन किन में कब से कितनी कितनी बकाया है और क्यों ? कृपया इस बकाया की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(ख) इस सर्किट हाउस का फिज़ीकल वेरीफिकेशन कब हुआ और उसके अनुसार कितनी, क्या और किस प्रकार की कमी-बेशी पाई गई ?

(ग) इस कमी की पूर्ति सरकार किस प्रकार से कर रही है तथा इसके लिए सरकार ने किन किन को जिम्मेदार ठहराया है ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) जयपुर सर्किट हाउस की बकाया जिन जिन में है उसकी सूची पूर्ण विवरण के साथ सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) जयपुर सर्किट हाउस का फिज़ीकल वेरीफिकेशन मार्च सन् १९५९ में हुआ। जिन मदों में कमी—बेशी पाई गई उसकी जानकारी इस प्रकार है :

फर्नीचर ६० क्रॉकरी ३४, ग्लासवेयर ३०; लीनन २२, कट्लरी ४३, किचन यूटेन्सिल ६३।

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में पूरी जानकारी कर रिपोर्ट देने हेतु एक कमेटी का गठन किया है। कमेटी ने अभी तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है, अतः रिपोर्ट प्रस्तुत न होने तक किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री भैरोंसिंह : इस कमेटी का गठन कब किया गया था ?

श्री दामोदरलाल व्यास : I am sorry, the date is not with me at the moment.

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि सर्किट हाउस के रूल्स के अनुसार क्रेडिट का हिसाब नहीं रखा जा सकता ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां, अब ऐसा आदेश जारी कर दिया गया है कि सिवाय गवर्नमेंट ऑफिसर्स और जो (अश्रव्य) को २९मार्च,५९ को ऑर्डर दे दिया गया है कि किसी को उधार न दिया जावे।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इस प्रकार के आदेश पहले भी थे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इससे पहले आदेश इस प्रकार के नहीं थे।

श्री भैरोंसिंह : जिन प्राइवेट पर्सन्स में बकाया है उनमें बकाया रहने का क्या कारण रहा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : उस वक्त दे दिया गया, वसूल नहीं हो सका। कार्यवाही वसूली की अब की जा रही है।

Page No 17

भैरोंसिंह : किस आधार पर उधार गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : वे वहां र ठहरे, उन्होंने बकाया रख ली।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार के नियम अनुसार बकाया रखना वाजिब था, क्या बकाया रखी जा सकती थी, दो बातें हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं अर्ज कर कर रहा हूँ, पहले बकाया रखने की मुमानियत नहीं थी। इसके बाद में बिल्कुल डेफिनिट मुमानियत कर दी गई है। सिवाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के और किसी को कर्जे पर चीजें दी न जावें।

श्री भैरोंसिंह : जो सूची दी गई है उसमें कई इस प्रकार के व्यक्ति हैं जो ऑफिसर और प्राइवेट पार्टी हैं जिनका ठिकाना नहीं मालूम हो रहा है। इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अनट्रेसेबल हैं उनको ट्रेस करने की कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : जिस तरह से ५६ से अब तक अनट्रेसेबल रहे तो क्या उस अधिकारी से जुर्माना करके वसूल करने की कार्यवाही नहीं करेंगे जिसने उधार दिया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अब अलग अलग केसों में हमें यह देखना पड़ेगा कि किसकी जिम्मेदारी है। हर मामला मेरिट पर डिसाइड किया जावेगा। अलग अलग आदमी की अलग अलग बकाया के लिए अलग अलग इन्फॉर्मेशन्स और रीजन्स हो सकते हैं। अगर आप किसी खास आदमी के बारे में जानकारी चाहें, नोटिस दें, मैं पूरी सूचना दे दूंगा।

श्री भैरोंसिंह : प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के अन्दर जो बकाया है उसे क्यों नहीं वसूल किया जा रहा है अभी तक ?

श्री अध्यक्ष : वे तो कई हैं लिस्ट में।

श्री भैरोंसिंह : मन्त्री महोदय ने कहा कि किसी खास मामले में पूछना चाहें तो पूछ लें, इसलिए मैंने पूछा कि प्रेसीडेन्ट, प्रदेश कांग्रेस कमेटी में बकाया है।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): वे तो ट्रेसेबल हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने साथ में यह भी कहा है माननीय सदस्य को कि वे नोटिस दें। इसके लिए भी नोटिस की आवश्यकता है। कौनसा आइटम है ?

श्री भैरोंसिंह : पेज नम्बर ६ पर है।

श्री दामोदरलाल व्यास : यों सबको ताकीद हो रही है पेमेन्ट के लिए। व्यक्तिगत मामलों की जानकारी यहां मुझे है नहीं।

श्री भैरोंसिंह : गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी ज्यादा हैं और प्राइवेट पार्टी भी अनट्रेसेबल में ?

श्री दामोदरलाल व्यास : सख्ती से सब को ऑर्डर जारी हो गये हैं कि जो ट्रेसेबल नहीं हैं, ट्रेस किये जावें।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : उनकी तनख्वाहों में से क्यों नहीं काट लेते हैं ?

श्री भैरोंसिंह : राजस्थान के सर्विस रूल्स के अन्तर्गत भी एक्शन ले सकते हैं उनके खिलाफ ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह तो रूल्स को देखने की बात है ।

श्री भैरोंसिंह : जब देखने की बात है तो आज तक एक्शन क्यों नहीं लिया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : वसूली की कार्यवाही की जा रही है, मैंने अर्ज किया न ।

श्री भैरोंसिंह : वह तो ५६ से चल रही है । मैं पूछता हूँ, कम से कम गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स से वसूल करने में कौनसी बाधा उपस्थित हो रही है ? उनकी तो पे से आप वसूल कर ही सकते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : अलग अलग आइटमों पर अलग अलग डिस्प्यूट थे । तो बहरहाल यह डिस्प्यूट जब तक तय न हों तब तक आगे कैसे बढ़ सकते हैं ?

श्री भैरोंसिंह : कोई तब तक रिटायर हो गया और उसमें रकम बाकी रह गई तो ? अगर समय पर वसूली हो जाती। तो हो जाती अगर वह रिटायर हो गया और अनट्रेसेबल हो गया तो राइट ऑफ करने के अलावा चारा नहीं रहेगा ।

श्री दामोदरलाल व्यास : राइट ऑफ करने का सवाल पैदा नहीं होता । अगर रिटायर हो गया तो उसकी पेंशन से वसू कर सकते हैं ।

श्री भैरोंसिंह : ये जो लिस्ट में अधूरे नाम दिये हैं डॉक्टर शर्मा, महरा, वगैरह तो क्या इन नामों के कारण उनको ट्रेस आउट कर सकेंगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : उनके पूरे एड्रेसेज़ सर्किट हाउस में मौजूद होंगे ।

श्री भैरोंसिंह : तो आपने उनको क्यों नहीं दिया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : तो आप पूछ लें किस पर्टिक्यूलर आइटम पर पूछना चाहते हैं ?

श्री भैरोंसिंह : सभी इसमें लिखा है ।

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह ।

बृजलालनगर बस्ती का निर्माण

८३६. रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : क्या विकास मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि सब-डिविज़न मालपुरा में कोई बृजलालनगर बस्ती का निर्माण कराया जा रहा है ? अगर हां, तो किस जगह और किन आधारों पर ?

(२) क्या यह सही है कि उपरोक्त बस्ती में कोई स्पेशल कन्सेशन आबाद होने वालों के लिए दिये गये हैं ? अगर हां, तो क्या ?

Page No 19

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

(३) क्या यह सही है कि उपरोक्त बस्ती में बसने वालों को मकानात बनाने के लिए और कुंए इत्यादि के लिए कोई धन-राशि दी जावेगी ? अगर हां, तो कितनी और उसके सम्बन्ध में क्या नियम रखे गये हैं ?

(४) उपरोक्त धन-राशि किस किस कोष में से दी जायेगी ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : जी हां, मालपुरा में हवाई जहाज के मैदान के सामने। ग्रामीण गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड क्षेत्र पर आदर्श बस्ती बसाने के आधार पर पंचायत समिति द्वारा उक्त बस्ती का निर्माण कराया जा रहा है।

(२) मकान बनाने के लिए जमीन जो सिवाय चक थी और तहसील द्वारा बस्ती के लिए अलॉट कर दी गई है बेची न जाकर मुफ्त दी जाती है। आबाद होने वाले लोगों से प्रति मकान १००) रु० अनुदान के रूप में लिए जाते हैं जो इस आदर्श बस्ती के विकास में लगाये जायेंगे। यह सुविधा लोगों को इस बस्ती में बसाने की प्रेरणा देने हेतु दी जा रही है।

(३) जी हां, बतौर कर्ज के। प्रति मकान डेढ़ हजार से दो हजार रुपये तक। सार्वजनिक कुंए का निर्माण पंचायत समिति के अनुदान व जन-सहयोग द्वारा कराया जा रहा है।

(४) ग्रामीण गृह निर्माण तथा ग्रामीण जल प्रदाय योजना के मद से क्रमशः गृह निर्माण एवं कुंए के हेतु कर्ज व अनुदान दिया गया है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या कन्सेशन्स के नियम पब्लिश कराये गये हैं बाहर बसने वालों के लिए ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जी हां, नियम पब्लिश कराये हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : पेपर में या जयपुर गजट में ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह तो नहीं कह सकता हूँ लेकिन नियमों की कॉपी मेरे पास है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मैं आपसे निवेदन करूं कि पब्लिश कराते तो बहुत से आदमी आकर आबाद होते; क्योंकि यह टैक्सलेस इलाका है। वहां मैं भी आबाद हो सकता था। मैं कहता हूँ कि पब्लिश कराने चाहिए।

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : चुनाव नज़दीक आ रहे हैं। अपनी कॉन्स्टीट्यूएन्सी छोड़ कर मालपुरा नहीं आना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी।

प्रान्त में बाहर से आने वाले आई० ए० एस० ऑफिसर्स को स्थानीय ऑफिसर्स से विशेष सुविधायें

८४०. **श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी** (डीग) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

Page No 20

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

(१) राजस्थान में इस समय कितने आई० ए० एस० अधिकारी हैं ? उनमें कितने अधिकारी राजस्थान के निवासी हैं और कितने बाहर के ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) राजस्थान निवासी कितने आई० ए० एस० अधिकारी आज कल बाहर की सेवाओं में हैं ? क्या वे स्वेच्छा से बाहर गये हैं अथवा केन्द्रीय सरकार के आदेश से।

(३) क्या बाहर से आने वाले आई. ए. एस. अधिकारियों को स्थानीय अधिकारियों से कुछ विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती हैं ? यदि हां, तो वे क्या क्या हैं ?

(४) क्या राजस्थान से बाहर जाने वाले आई. ए. एस. अधिकारियों को भी उक्त सुविधाएं प्रदान की जाती हैं ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) राजस्थान में इस समय कुल ११४ आई. ए. एस. अधिकारी हैं, इनमें से ५८ राजस्थान के निवासी हैं व ५६ बाहर के (भारतीय)। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) इस समय ८ राजस्थान निवासी आई. ए. एस. अधिकारी भारत सरकार की सेवा में हैं। उनके बाहर भेजे जाने में उनकी सहमति की आवश्यकता नहीं है क्योंकि केन्द्रीय व राज्य सरकारों का एक निश्चित संयुक्त कोटा निर्धारित है जिसके अन्तर्गत किसी भी आई. ए. एस. अधिकारी को केन्द्रीय सरकार की सेवा में भेजा जा सकता है।

(३) जी नहीं।

(४) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिए)

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : आपकी सूची के अनुसार राजस्थान में बाहर के हैं ५६ और राजस्थान के बाहर ८ हैं, क्या यही स्थिति है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जो सूची में स्थिति है बिल्कुल वही है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : क्या राजस्थान के लोग आई. ए. एस. के योग्य नहीं रहे जो यहां बाहर के ५६ आये हुए हैं और यहां के केवल ८ ही हैं बाहर ?

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय सदस्य जानते हैं कि जो आई. ए. एस. का रिक्रूटमेन्ट होता है और उसमें ५० पर्सेन्ट राजस्थानियों को लेने का स्टेट का है। मगर राजस्थानी जब नहीं आते तब बाहर के लोगों को अलॉट किया जाता है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : जिस अनुपात से बाहर के लोग आते हैं उस अनुपात से राजस्थान के नहीं बन पाते हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां, वह रिज़ल्ट देख लीजिए इम्तिहान के।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : बाहर से आने वालों को किसी प्रकार का कोई डेप्यूटेशन अलाउन्स वगैरह तो नहीं देना पड़ता ?

श्री दामोदरलाल व्यास : वे तो राजस्थान के रेग्युलर कैडर में आते हैं।

(श्री दामोदरलाल व्यास)

डेप्यूटेशन अलाउन्स देने का सवाल ही नहीं खड़ा होता।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : नये रिक्रूटमेन्ट के अन्दर राजस्थान के आते हैं तो उनको केवल राजस्थान में ही अलॉट किया जाता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह जरूरी नहीं है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जैसी स्थिति रही है राजस्थान के लोग आई. ए. एस. में कम आते हैं।

श्री भैरोंसिंह : आपने ५० प्रतिशत के अलॉटमेन्ट का सवाल किस आधार पर कहा कि ५० प्रतिशत लोग नहीं थे, इसलिए राजस्थान में उनका अलॉटमेंट नहीं किया जा सका ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने कहा कि रूल्स के अनुसार 50 % of the posts are to be filled up by Rajasthanis but when the requisite number belonging to Rajasthan does not qualify, non-Rajsthanis are allotted to these places.

श्री भैरोंसिंह : क्या यू. पी. एस. सी. के द्वारा जो अपॉइमेन्ट्स होते हैं उनमें प्रोविन्शिल बेसिस पर अलॉटमेन्ट किया जाता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : I have not followed the question.

श्री भैरोंसिंह : डाइरेक्ट रिक्रूटमेन्ट के अन्दर ५० प्रतिशत राजस्थानियों का चान्स रख देते हैं तो यू. पी. एस. सी. जिस समय सिलेक्शन करता है उस समय ५० प्रतिशत का कोटा रिज़र्व राजस्थान के लिए है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जिस समय अलॉट किया जाता है तो राजस्थानी को राजस्थान में ही अलॉट किया जाता है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : प्रश्न यह है कि बाहर से लेते हैं तो राजस्थान के लोग अप-टू-दी-मार्क नहीं होते या क्या बात है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं क्या जबाब दूं ? आई. ए. एस. के लिए कम्पीटीटिव एग्ज़ामिनेशन्स होते हैं उसमें उत्तीर्ण नहीं होते तो मैं क्या जबाब दूं ?

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या सरकार ने कभी यह जानने की कोशिश की है कि राजस्थान के लोग आई. ए. एस. में कम क्यों आते हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : एग्ज़ामिनेशन में बैठते नहीं होंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(स्थगित प्रश्न २२-३-६१)

ग्राम पंचायत जोगीवाला (गंगानगर) के हिसाब किताब की जांच

४६७. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

(जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) ग्राम पंचायत जोगीवाला, तहसील भादरा, जिला गंगानगर के हिसाब-किताब का ऑडिट कानूनन कब कब होना चाहिए था और वह कब कब किया गया? यदि नहीं किया गया, तो क्यों?

(ख) क्या यह सही है कि भूतपूर्व सरपंच, श्री रामजीलाल, के कार्यकाल के कोई भी हिसाब किताब सम्बन्धी रजिस्टर एवं बही खाते सम्बन्धी कागजात इस समय पंचायत में मौजूद नहीं हैं? यदि हां, तो क्यों?

(ग) क्या यह सही है कि उक्त सरपंच श्री रामजीलाल ने ये सब कागजात पंचायत के नये चुनाव जुलाई १६५६ में होने के पश्चात् सरकारी आज्ञा जारी होने के पश्चात् भी नये सरपंच को नहीं सम्भलाये और इस कारण हिसाब-किताब का ऑडिट सम्भव अभी तक नहीं हुआ है? सरकार ने इस विषय में अभी तक क्या कार्यवाही की है?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) भूतपूर्व सरपंच द्वारा रेकॉर्ड प्रस्तुत नहीं करने के कारण से पंचायत के सन् १६५४ से १६५८ तक के हिसाब का ऑडिट नहीं हुआ। ऑडिट कानूनन प्रत्येक वर्ष होना चाहिए था।

(ख) जी हां, श्री रामजीलाल द्वारा नव-निर्वाचित सरपंच को रेकॉर्ड चार्ज में नहीं देनें के कारण।

(ग) जी हां, विकास अधिकारी पंचायत समिति, भादरा द्वारा श्री रामजीलाल को कई बार चार्ज संभलाने हेतु नोटिस दिए गए किन्तु उन्होंने नोटिस नहीं लिए। अब उनके विरुद्ध पंचायत अधिनियम की धारा १५ (अ) के अनुसार कार्यवाही करने को लिखा गया है। पूर्व में पंचायत अधिनियम में ऐसा प्रावधान नहीं होने से इस प्रकार की कार्यवाही का किया जाना सम्भव नहीं था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कब लिखा गया?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हमने तो लेटेस्ट ही कलेक्टर को अभी लिखा है इसी महीने में कि कानून के अनुसार उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। पहले फौजदारी मुकदमा चलाया था लेकिन खारिज हो गया।

प्रश्न संख्या ४८४

श्री अध्यक्ष : श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिए)

श्री भैरोंसिंह।

(दिनांक २३ मार्च, १६६१ का स्थगित प्रश्न)

उदयपुर जिले की सहकारी संस्थाओं से बकाया रकम की वसूली

४६१. श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री भैरोंसिंह)

(क) क्या यह सही है कि सरकारी समितियों को ऋण के रूप में भिन्न भिन्न विभागों द्वारा दी जाने वाली धन-राशि की वसूली सम्बन्धित तहसील द्वारा की जाती है ?

(ख) यदि हां, तो उदयपुर जिले की किस किस सहकारी संस्था से कितनी कितनी धन-राशि वसूल करनी है यह बकाया कब कब से वाजिब है ?

(ग) क्या यह सही है कि यह वसूली समय पर नहीं हो रही है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो अप्रेल सन् ५७ से अब तक किस किस संस्था से कितनी कितनी रकम वसूल की गई है और कितनी वसूल वाजिब है ?

सहकारी मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) सभी समितियों से नहीं। केवल उन समितियों से जो नाद हंद हो जाती हैं, उनसे पब्लिक डिमान्ड रिकवरी एक्ट के अन्तर्गत तहसीलों द्वारा वसूली की कार्यवाही की जाती है।

(ख) उदयपुर जिले में किसी भी सहकारी समिति से पब्लिक डिमाण्ड रिकवरी एक्ट के अन्तर्गत तहसीलों से वसूली की कार्यवाही नहीं हो रही है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री भैरोंसिंह : सहकारी समितियों में जो बकाया रह जाती है वह किस तरह से वसूल की जाती है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सहकारी समिति अधिनियम कानून बना है उसके तहत में कार्यवाही की जाती है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि अधिनियम के अनुसार डिमाण्ड स्लिप तहसील से इश्यू की जाती है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जी नहीं, ऐसा नहीं होता। जब तक सहकारी समिति के पास फन्ड्स होते हैं और जब तक लिक्वीडेट नहीं हो सकती और जब तक असेट नहीं रहता तब तक डिपार्टमेंट ही वसूली की कार्यवाही करता है।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

(दिनांक २३ मार्च, १६६१, का स्थगित प्रश्न)

पाली शहर में मजदूरों की बस्ती में रोशनी एवं पानी का प्रबन्ध

४६५. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) पाली शहर में जो मजदूरों के रहने के लिए मजदूरों की बस्ती है उसमें मजदूरों की सुविधा के लिए रोशनी का प्रबन्ध हुआ या नहीं ?

(ख) क्या यह सत्य है कि उस कोलोनी में पीने के पानी की व्यवस्था भी आवश्यकतानुसार नहीं है और मजदूरों को वक्त पर पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं होता है ? यदि हां, तो सरकार ने उसके लिए आज तक क्या कदम उठाया ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (क) अभी तक नहीं हुआ है।

(ख) पानी की व्यवस्था कर दी गई है। अभी कुल बारह नल कोलोनी में लगाये गये हैं। हर मकान में नल लगाने व रोशनी के लिए ६८,२५६) रुपये की स्वीकृति दी चुकी है, पर पानी की कमी की वजह से हर मकान में नल अभी नहीं लगाये जा सके। पानी की व्यवस्था पाली शहर में पीने के पानी की कमी को देखते हुए ठीक है।

श्री मूलचन्द डागा : रोशनी की व्यवस्था की बाबत क्या हुआ ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अभी पहले के उत्तर में कहा कि अभी तक नहीं हुआ है।

श्री मूलचन्द डागा : ५ साल हो गए कोलोनी बने हुए, तो पांच साल से प्रबन्ध क्यों नहीं हुआ, क्या कारण है ? अन्धेरे में जो मजदूर सेकन्ड शिफ्ट में जाते हैं, उनको कितनी तकलीफ होती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : रोशनी का इन्तजाम करना म्युनिसिपैलिटी के हाथ में है। इनसे पहले जो चेयरमैन थे उन्होंने क्यों नहीं किया, उनसे जानकारी करके माननीय सदस्य को बता दूंगा।

श्री मूलचन्द डागा : वहां पर एक कुंआ है, उसकी मरम्मत क्यों नहीं करवा देते ताकि लोगों के काम आये ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पुनः दोहराये जावेंगे श्री मोगजी भाई।

हिन्डौन की कोटरी नगर किरना पत्थर खानों के मजदूरों द्वारा भूख हड़ताल

८१२. **श्री मोगजी भाई** (बांसवाड़ा) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि हिंडोन की कोटरी नगर किरना पत्थर खानों के ४,००० मजदूर २८ दिन से भूख हड़ताल पर हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(ख) क्या यह सही है कि उक्त हड़ताल ठेकेदारों द्वारा भारी रॉयल्टी टैक्स लगाने के विरोध में तथा हथोड़ा सिस्टम ३० जून, १९६१ तक चालू रखने के सम्बन्ध में की गई है ?

(ग) क्या यह सही है कि ६ जनवरी, १९६१ को मजदूरों द्वारा ज्ञापन सरकार को दिया गया था तथा ८ फरवरी, १९६१ को एक यूनियन का डेपुटेशन सरकार से मिला था ?

(घ) क्या सही है कि १ फरवरी, १९६१ से रॉयल्टी लेना ठेकेदारों द्वारा सरकार के आदेश पर शुरू किया गया है ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (क) यह सत्य है कि हिन्डौन कोटरी नगर के पत्थर खान वाले एक मजदूर व्यक्ति श्री गोविंदा ने भूख हड़ताल की थी जो दिनांक २–३–६१ से समाप्त कर दी है।

(ख) कोटरी नगर क्षेत्र में पूर्वतः हथोड़ा सिस्टम चालू था, किन्तु अब सरकार की स्वीकृति के अनुसार रॉयल्टी कलेक्शन सेन्ड स्टोन के ११ ग्रुप के ठेके हो जाने के विरधो

(श्री मोगजी भाई)

में खान वालों ने यह मांग की कि पुराने नियमानुसार हथोड़ा सिस्टम ३० जून, सन् १९६१ तक बदस्तूर चालू रखा जावे। परन्तु ठेकों की मन्जूरी के विरुद्ध ऐसी मांग उचित नहीं थी। इस सम्बन्ध में मजदूर वर्ग की ओर से सरकार को अपील भी पेश हुई थी जो गवर्नमेंट को आज्ञा क्रमांक १४४१ दिनांक ८ मार्च, सन् ६१ के अनुसार खारिज कर दी गई है।

(ग) जी हां।

(घ) यह सत्य है कि १ फरवरी, १९६१ से सरकार की आज्ञानुसार ठेकेदारों द्वारा रॉयल्टी मुताबिक एग्रीमेंट लिया जा रही है।

प्लान्ट प्रोटेक्शन स्कीम के अन्तर्गत मुकदमे

८१३. श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : क्या कृषि मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :-

(१) प्लान्ट प्रोटेक्शन स्कीम के अन्तर्गत मुकदमों की क्या योग्यता निर्धारित की गई है? यदि नहीं, तो क्यों और है तो कब से?

(२) [illegible] न मुकदमों का युनिफाइड पे स्केल्स में फिक्सेशन कर लिया गया है? यदि हां, तो कब और नहीं तो क्यों?

(३) क्या इन मुकदमों के युनिफाइड पे स्केल्स और रेशनलाइज्ड पे स्केल्स में कोई अन्तर है? यदि हां, तो क्या और क्यों?

सिंचाई मन्त्री (श्री भीखाभाई) : (१) मुकदमों के लिये हिन्दी लिखने-पढ़ने का ज्ञान होना आवश्यक है। यह योग्यता शुरू से ही रखी गई है।

(२) जी नहीं, सरकार के विचाराधीन है।

(३) युनिफाइड पे स्केल रेशनलाइज्ड पे स्केल से ऊंची थी। ६०-३-९०-१२० युनिफाइड पे स्केल थी और ३०-१-४५ रेशनेलाइज्ड पे स्केल है। वित्त विभाग ने मुकद्दमों की ड्यूटी को ध्यान में रखते हुए उक्त स्केल को उचित समझा।

श्री भैरोंसिंह : आखिरी पोर्शन नहीं सुना।

श्री भीखाभाई : What part?

श्री भैरोंसिंह : Last portion.

श्री भीखाभाई : (३) युनिफाइड पे स्केल रेशनलाइज़ पे स्केल से ऊंची नहीं। ६०-३-९०-१२० युनिफाइड पे स्केल है और ३०-१-४५ रेशनेलाइज़ पे स्केल थी। वित्त विभाग ने मुकदमों की ड्यूटी को ध्यान में रखते हुए उक्त स्केल को उचित समझा।

श्री भैरोंसिंह : जिस समय युनिफाइड पे स्केल निर्धारित किये गये थे तो क्या योग्यता और क्वालिफिकेशन की चीजों को सामने रख कर पे स्केल निर्धारित नहीं किये गये थे?

श्री भीखाभाई : किये होंगे, उस वक्त क्वालिफिकेशन्स, योग्यता और दूसरी जो जनरल दृष्टि थी फाइनेन्स की उसको देखते हुए जो रेशनलाइज़ किया गया है उसके अनुसार

Page No 26

(श्री भीखाभाई)

रेशनलाइज्ड पे है ।

श्री भैरोंसिंह : जिस वक्त रेशनेलाइज्ड पे वगैरह की गई उस समय जिन बातों को ध्यान में रखा गया, क्या उन बातों का ध्यान यूनिफाइड पे स्केल निकली उस समय नहीं रखा गया था ?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : जी हां, उस समय गल्ती हुई थी ।

एक माननीय सदस्य : Very good.

श्री अध्यक्ष : श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी ।

नाक-कान काटे जाने की घटनायें

८१७. श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : क्या गृह मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) गत दो वर्षों के दौरान में राजस्थान के विभिन्न जिलों में 'नाक—कान काटे जाने की कितनी घटनायें घटित हुई हैं ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे ।

(२) उक्त घटनाओं से संबन्धित अपराधियों के विरुद्ध क्या क्या कार्यवाही की गई है ?

(३) क्या यह सत्य है कि जिन व्यक्तियों के साथ ये घटनायें घटित हुई हैं उनमें से अधिकांश कहीं न कहीं के पंच या सरपंच हैं ?

(४) यदि हां, तो क्या सरकार यह स्पष्ट कर सकेगी कि उपर्युक्त स्थिति उत्पन्न होने के क्या क्या कारण हैं ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) :

(१) ऐसे कुल ८२ प्रकरण दर्ज हुए ।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : नाक काटने के कितने हुए और कान काटने के कितने हुए ?

श्री रामकिशोर व्यास : इसमें दोनों के हैं ।

(२) तफतीश से एक प्रकरण झूठा पाया गया, एक अदम पता में रहा तथा एक में पर्याप्त प्रमाण प्राप्त नहीं हुए । शेष ७६ का चालान किया गया, जिनमें १६ प्रकरणों में सजा हुई है । ६ में राजीनामे हुए, २ में अभियुक्त बरी या रिहा हुए, शेष ४६ प्रकरण अदालत में विचाराधीन हैं ।

(३) जी नहीं ।

(४) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : ऐसे कितने मुकदमें हैं जिनमें नाक और कान दोनों ही काटे गये हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह अलग नहीं है ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : अधिकांश में पंच और सरपंचों के कटते हैं, इस स्थिति के लिए क्या है ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने उसका उत्तर दिया है कि 'जी नहीं' ।

एक माननीय सदस्य : आप अपने जिले की जानकारी के आधार पर कहते हैं ?

Page No 27

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : अपने जिले के आधार पर नहीं, मैंने यहां सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में ४—५ केसेज़ में देखा है कि नाक—कान काटे हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : आप निराश क्यों होते हैं, बता देता हूँ। ५ केसेज़ हैं जिनमें पंच और सरपंच के नाक-कान काटे हैं ?

श्री शंकरलाल (रायपुर): वे कहां के हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : एक अलवर, एक भरतपुर डिस्ट्रिक्ट का है, एक नागोर डिस्ट्रिक्ट का है और एक सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट का है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : आपने इनके कारण जानने की कोशिश की है ?

श्री अध्यक्ष : कोई रतनगढ़ के भी हैं ?

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : रतनगढ़ में तैयारी है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : इसमें स्पष्ट प्रश्न है, "यदि हां, तो क्या सरकार यह स्पष्ट कर सकेगी कि उपरोक्त स्थिति उत्पन्न होने के क्या क्या कारण हैं ?"

श्री रामकिशोर व्यास : कारण तो नाक-कान काटने का कारण था। हमने एक्शन लिया और उनका चालान कर दिया। चार मुकदमों का अदालत में चालान कर दिया।

श्री मूलचन्द डागा : किसी सदस्य को मालूम हो गया कि तैयारी है तो उसकी जांच पहले ही कर ली जाय। उन्होंने कहा है कि तैयारी है।

श्री भैरोंसिंह : तैयारी के लिए तो पाली का भी नाम आता है, लेकिन माननीय सदस्य सावधान रहें।

श्री अध्यक्ष : श्री रावतमल पारीक।

(अनुपस्थित)

श्री भीमसेन।

श्री शंकरलाल (रायपुर) : माननीय अध्यक्ष, इस प्रश्न का उत्तर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : ८३०।

प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक आमदनी

८३०. श्री भीमसेन (लुणकरणसर—

[श्री शंकरलाल (रायपुर) द्वारा पूछा गया] : क्या विकास मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:——

(१) प्रथम पंचवर्षीय योजना के पूर्व राजस्थान राज्य में प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक आमदनी क्या थी ?

(२) प्रथम तथा द्वितीय योजनाओं के दौरान में प्रति व्यक्ति औसत आमदनी में कितनी वृद्धि हुई ?

(३) क्या उक्त वृद्धि भारत के अन्य राज्यों के मुकाबले में कम है ? यदि हां, तो कितनी ?

Page No 28

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) प्रथम पंचवर्षीय योजना के पूर्व राजस्थान में प्रति व्यक्ति के आय के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(२) प्रथम पंचवर्षीय योजना-काल में प्रति व्यक्ति औसत आमदनी में वृद्धि के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत नेशनल कौंसिल ऑफ एप्लाइड इकॉनोमिक रिसर्च द्वारा प्रसारित आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में प्रति व्यक्ति की औसत आमदनी में १.७२ प्रतिशत प्रति वर्ष वृद्धि हुई है।

(३) अन्य राज्यों में प्रति व्यक्ति औसत आय की वृद्धि के तुलनात्मक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। समस्त भारतवर्ष में प्रति व्यक्ति की औसत आय में १.४० प्रतिशत प्रति वर्ष की वृद्धि आंकी जाती है। इस प्रकार भारतवर्ष की प्रति व्यक्ति औसत आय में वृद्धि की अपेक्षा राजस्थान की प्रति व्यक्ति औसत आय की वृद्धि अधिक रही है।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़) : जब आपने यह कहा कि प्रति व्यक्ति औसत आय है ही नहीं तो यह कैसे आंका गया है?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने सेकण्ड फाइव इयर प्लान का बतलाया है, उसको आंका है, पूरी डोमेस्टिक आउटपुट को देखते हुए आंका है। नेशनल इन्कम में क्या हुआ और उस लिहाज से कितनी वृद्धि हुई है, जैसा मैंने आपसे कहा टेक्नो इकॉनोमिक सर्वे ऑफ दी स्टेट किया गया है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन।

(अनुपस्थित)

(स्थगित प्रश्न २२-३-६२)

श्री अध्यक्ष : श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर दे दिया जाय।

डाबरा सहकारी समिति द्वारा बाजरे के बीज की खरीद

४८४. **श्री जगदीशप्रसाद माथुर** (सीकर) [श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) द्वारा पूछा गया] : क्या मंत्री, कृषि विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि जिला कृषि अधिकारी, जोधपुर ने पिछले वर्ष जिले भर के लिये ४,५०० मन बाजरे का बीज खरीदने के लिए डाबरा सहकारी समिति को ठेका दिया था?

(२) यदि हां, तो जिस समय समिति ने बाजरा खरीदा उस समय बाजार भाव क्या थे व समिति ने किस भाव से खरीदा?

सिंचाई मन्त्री (श्री भीखाभाई) : (१) ठेका नहीं दिया गया था, परन्तु बीज समिति से खरीदा था।

(२) खरीदने के समय बाजार भाव १७) रु० मन था और समिति से भी इसी

(श्री भीखाभाई)

भाव खरीदा गया। समिति ने बाजरा किस भाव से खरीदा, यह सूचना सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : उस समय के बाजार भाव की दरों की किससे तस्दीक कराई गई थी या जानकारी प्राप्त की गई थी ?

श्री भीखाभाई : तहसीलदार, ओसियां द्वारा तस्दीक की गई थी।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि राजस्थान राजपत्र में जो दरें प्रकाशित की गई थीं उन दरों में और समिति ने जो बाजरा खरीदा था उन दरों में अन्तर है ?

श्री भीखाभाई : जो दरें प्रकाशित हुई थीं वे दरें १६) रु. की दर्ज थीं, लेकिन यह उस बाजरे की दरें थी जो कन्ज़म्पशन के लिए काम में आने वाला था। बीज के लिए जो बाजरा था उसका भाव १७) रु० ही था।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

(८-४०. म. पू.)

प्राक्कलन समिति के बीसवें प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री भोलानाथ (सभापति, प्राक्कलन समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं योजना एवं विकास विभाग (गृह निर्माण योजनाएं, स्थानीय विकास कार्य तथा अर्थ एवं सांख्यकीय विभाग) से सम्बन्धित प्राक्कलन समिति, १९६०-६१ के बीसवें प्रतिवेदन को उपस्थापित करता हूँ।

घग्घर नदी में बाढ़ सम्बन्धी राजस्व मंत्री द्वारा अपने वक्तव्य में संशोधन

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, दिनांक १४ सितम्बर, १९६० को जिला गंगानगर व हनुमानगढ़ में घग्घर नदी में आई बाढ़ के सम्बन्ध में मैंने जो वक्तव्य दिया था उसका आधार दिनांक १३ सितम्बर, १९६० की सायंकाल फोन द्वारा प्राप्त सूचना ही थी जो कि ध्वनि स्पष्ट नहीं होने से आंशिक रूप में सही नहीं थी। बाद में राजस्व सचिव द्वारा स्थान का निरीक्षण करने एवं जिलाधीश द्वारा विस्तृत जानकारी देने पर विदित हुआ कि तारीख १३-९-६० को हनुमानगढ़ में पानी का बहाव ६-७ हजार क्युसेक्स था, न कि १,५००, जैसा कि पूर्व वक्तव्य में कहा गया था। इसी प्रकार ओट्टू में यह बहाव ७-८ हजार क्युसेक्स था। इसके अतिरिक्त ग्राम सीतापुरा, श्रीनगर, अमरपुरा और भोलानगर पूर्ण रूप से डूब में नहीं आये थे; अपितु ग्राम सीतापुरा का एक भाग डूब में आया एवं ग्राम श्रीनगर, अमरपुरा और भोलानगर तीन ओर से पानी द्वारा घिर गये थे। अतः मेरे पूर्व वक्तव्य में इस संशोधन को समाविष्ट किया जावे। जो सूचना सदन को फोन की खराबी के कारण गलत दी गई थी उसका मुझे हार्दिक खेद है।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : आपने जो पहले सूचना दी थी वह किस आधार पर दी थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : टेलीफोन के जरिये कलेक्टर से सूचना ली थी रेवेन्यू सेक्रेटरी ने। आवाज सुनने में गलती हो गई

(श्री दामोदरलाल व्यास)

और समझने में गलती हो गई थी। इस सूचना को मैंने माननीय अध्यक्ष के पास तुरन्त ही ज्योंही मुझे जानकारी हुई, दे दी थी। लेकिन उन्होंने कहा कि हाउस में ही यह सूचना बताई जाय !

श्री भैरोंसिंह : तुरन्त क्या उसी दिन दे दी थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : उस दिन तो शोर्ट नोटिस क्वेश्चन का जवाब दिया था, इसलिये टेलीफोन करके सूचना प्राप्त की गई थी। उसके बाद रेवेन्यू सेक्रेटरी स्वयं देखने गये और कलेक्टर की रिपोर्ट आई जिसके आते ही मैंने ३ अक्टोबर, १९६० को चिट्ठी लिख दी थी।

माननीय उपाध्यक्ष द्वारा दी गई व्यवस्था से उत्पन्न शंका के निराकरण हेतु औचित्य प्रश्न पर अध्यक्षीय निर्णय

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह (वि० सं० १४), सदस्य, विधान सभा ने दिनांक २९ मार्च, १९६१ को एक औचित्य प्रश्न उठाया था और कुछ प्रश्नों पर, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम ३०८ के अधीन, अध्यक्ष का निर्णय चाहा था। उन्होंने यह तर्क प्रस्तुत किया कि सभा के सचिव द्वारा किया गया कोई कार्य, जैसे कि किसी कटौती प्रस्ताव में किया गया कोई संशोधन, अध्यक्ष की ओर से किया गया समझा जाना चाहिये। उन्होंने यह भी कहा कि इस देश की यह सुप्रतिष्ठित परम्परा है कि सचिव द्वारा किया गया कोई कार्य अध्यक्ष की ओर से किया गया समझा जाता है। उन्होंने इस सम्बन्ध में श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल को भेजे गये उनके एक विशेषाधिकार के प्रस्ताव की सूचना के उत्तर का निर्देश किया और साथ यह बताया कि माननीय उपाध्यक्ष द्वारा दिनांक २८-३-६१ को दी गई एक व्यवस्था के द्वारा एक संदेह उत्पन्न होता है जिसके अनुसार समय के पश्चात प्राप्त कोई कटौती प्रस्ताव, सचिव द्वारा, सदन में आने से नहीं रोका जा सकता और यह उक्त उत्तर के (श्री सतीशचन्द्र को भेजे गये उत्तर के) परस्पर विरुद्ध है और इसका अभिप्राय अध्यक्ष के प्राधिकार की निन्दा है।

इन परिस्थितियों में उन तथ्यों को, जिनके कारण श्री भैरोंसिंह का औचित्य प्रश्न उत्पन्न हुआ है, संक्षिप्त रूप में बता देना समुपयुक्त होगा।

दिनांक २१-३-६१ को श्री तनसिंह ने एक प्रश्न उठाया था कि एक कटौती प्रस्ताव को, जिसकी उन्होंने सूचना दी थी, इस प्रकार से संशोधित किया गया है जिससे उसका अर्थ सर्वथा बदल गया है। वादविवाद के दौरान में श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने इस आशय का एक औचित्य प्रश्न उठाया कि यदि किसी माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत किसी कटौती प्रस्ताव में सचिवालय द्वारा परिवर्तन, संशोधन या उलटफेर की जाती है तो स्थिति क्या होगी ? माननीय उपाध्यक्ष ने यह ठहराया कि सचिवालय द्वारा किया गया संशोधन वैध नहीं था। इस व्यवस्था के आधार पर श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने दिनांक २३-३-६१ को, विधान सभा के

Page No 31

(श्री अध्यक्ष)

सदस्य श्री तनसिंह तथा अन्य सदस्यों के कटौती प्रस्तावों में बिना प्राधिकार के परिवर्तन करने के कारण, राजस्थान विधान सभा के सचिव एवं उप-सचिव के विरुद्ध एक विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना दी।

इसके उत्तर में उन्हें यह सूचित किया गया कि चूंकि विधान सभा सचिवालय द्वारा कटौती प्रस्तावों में संशोधन अध्यक्ष की ओर से तथा अध्यक्ष के प्राधिकार के अन्तर्गत किये गये थे इसलिए विशेषाधिकार के हनन का कोई प्रश्न नहीं उठता और इसलिये अध्यक्ष ने उस प्रश्न को सदन में उठाने की अनुमति देने से इन्कार कर दिया था।

दिनांक २८-३-६१ को श्री महेन्द्रसिंह पंवार, सदस्य विधान सभा ने एक औचित्य प्रश्न उठाया कि उनके दो कटौती प्रस्ताव, जिनकी सूचना उन्होंने अधिसूचित समय के पश्चात् दी थी, आवश्यक नोटिस के अभाव के कारण सचिवालय द्वारा रोक लिये गये हैं–और ऐसा करने का अधिकार सचिवालय को नहीं था।

माननीय उपाध्यक्ष ने इस आपत्ति को स्वीकार करते हुए निम्न व्यवस्था दी:–

"I have gone through rules 148 and 146 and other relevant provisions. The clear interpretation of Rule 148 of the Business Rules of this House is that a cut motion received after time cannot be withheld from the House."

अर्थात्

"मैंने नियम १४८ व १४६ तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों को देख लिया है। इस सदन के कार्य–संचालन के नियम १४८ का स्पष्ट अर्थ यह है कि समय के पश्चात् प्राप्त कोई कटौती प्रस्ताव सदन में आने से नहीं रोका जा सकता।"

संक्षेप में, निम्नलिखित प्रश्न विनिश्चय के लिए उपस्थित होते हैं:–

(१) क्या अध्यक्ष की ओर से सचिव द्वारा प्रस्तावों, प्रश्नों आदि की सूचनाओं को संशोधित किया जा सकता है?

(२) क्या सचिव उन प्रस्तावों की सूचनाओं को, जिनके लिए अपेक्षित नोटिस नहीं दिया गया है, उस दिन की कार्यसूची में सम्मिलित किये जाने से रोक सकता है?

प्रथम प्रश्न के लिए मेरा विनिश्चय सकारात्मक है। इस सदन की सुप्रतिष्ठित परम्परा और व्यवहार के आधार पर सचिव को अध्यक्ष की ओर से कटौती प्रस्तावों, प्रश्नों आदि की सूचनाओं में संशोधन करने का प्राधिकार है और ऐसे प्राधिकार का प्रयोग करते हुए किये गये किसी संशोधन के सम्बन्ध में सदन में कोई औचित्य प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। मैं माननीय सदस्यों की सूचना के लिये यह बता दूं कि लोकसभा में भी यही परम्परा और व्यवहार प्रचलित है और राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियमों पर आधारित हैं।

(श्री अध्यक्ष)

दूसरे प्रश्न के विनिश्चय के लिये राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम २८, २५४ तथा २६६ को साथ साथ पढ़ना होगा। नियम २६६ में प्रावधान है कि किसी प्रस्ताव में संशोधन की सूचना जिस दिन प्रस्ताव पर विचार किया जाना है उससे एक दिन पहले दी जायेगी, यदि अध्यक्ष ऐसी सूचना के बिना संशोधन प्रस्तुत किये जाने की अनुमति न दे दे। यहां यह बता दिया जाय कि कटौती प्रस्ताव अनुदानों की मांगों के प्रस्तावों के संशोधन होते हैं। अतः यह नियम सभी कटौती प्रस्तावों पर भी लागू होता है।

नियम २५४ के उप-नियम (१) में प्रावधान है कि प्रत्येक सूचना सूचनालय में दी जानी चाहिये जो इस प्रयोजन के लिये समय समय पर अधिसूचित किये जाने वाले समय के लिये खुला रहेगा। विधान सभा के वर्तमान सत्र के लिये इस उप-नियम के अनुसरण में इस प्रकार अधिसूचित समय प्रातः १०–३० बजे से ३ बजे मध्यान्ह पश्चात् है। उप-नियम (२) के अनुसार उप-नियम (१) के अन्तर्गत अधिसूचित समय के पश्चात् प्राप्त सभी सूचनायें अगले खुलने वाले दिन दी गई समझी जायेंगी।

नियम २८ का उप-नियम (१) सचिव को प्रत्येक दिन के लिये एक कार्य-सूची तैयार करने का अधिकार प्रदान करता है। इस नियम के उप-नियम (२) के अनुसार अध्यक्ष की अनुमति के बिना किसी बैठक में कोई ऐसा कार्य नहीं किया जा सकेगा जो उस दिन की कार्य-सूची में सम्मिलित न हो। इस नियम का उप-नियम (३) यह निर्धारित करता है कि इन नियमों में अन्यथा उपबन्धित अवस्था को छोड़ कर, कोई कार्य जिसके लिये सूचना अपेक्षित हो उस कार्य के वर्ग के लिये अपेक्षित सूचना की कालावधि समाप्त होने के बाद वाले दिन से पूर्व किसी दिन के लिये नहीं रखा जायेगा।

इससे यह ज्ञात होगा कि नियम २५४ के उप–नियम (२) के प्रावधानों के कारण ३ बजे म० प० के बाद प्रस्ताव की जो सूचना प्राप्त होगी वह अगले खुलने वाले दिन को दी गई मानी जायेगी। इस अवस्था में नियम २८ के उपनियम (३) के स्पष्ट प्रावधानों के कारण ऐसे प्रस्तावों की सूचनायें उस दिन की कार्य-सूची में सम्मिलित नहीं की जा सकती। अतः इससे यह तात्पर्य निकलता है कि सचिव ३ बजे म० प० के बाद प्राप्त किसी सूचना को अपेक्षित नोटिस के अभाव में उस दिन की कार्य-सूची में सम्मिलित होने से रोकने के लिए सक्षम है।

इस सम्बन्ध में यह भी बताया जा सकता है कि नियम १४८ में समाविष्ट प्रावधान नियम २५४ (२) व २८ (३) में समाविष्ट प्रावधानों से असंगत नहीं हैं। किसी प्रस्ताव की सूचना का केवल सचिव द्वारा, नियम २८ (३) के अन्तर्गत अपने प्राधिकार के प्रयोग में, उस दिन की कार्य-सूची में सम्मिलित नहीं किया जाना किसी सदस्य को अध्यक्ष से किसी प्रस्ताव में प्रस्तुत करने की अनुमति मांगने से वंचित नहीं करता। नियम २८ (२) में यह प्रावधान है कि वह कार्य, जो उस दिन की कार्य-सूची में सम्मि-

(श्री अध्यक्ष)

लित नहीं किया गया है, अध्यक्ष की अनुमति से किया जा सकता है। नियम १४८, अन्तर्निहित रूप में, किसी सदस्य को कटौती प्रस्ताव प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुज्ञा देता है यद्यपि (किसी मांग के अनुदान को कम करने के) ऐसे कटौती प्रस्ताव की उस दिन से एक दिन पूर्व सूचना न दी गई हो जिस दिन कि वह मांग विचाराधीन हो, तथापि कोई सदस्य कटौती प्रस्ताव के प्रस्तुत किये जाने पर आपत्ति कर सकता है। यदि अध्यक्ष कटौती प्रस्ताव के प्रस्तुत किये जाने की अनुमति न दे दे तो ऐसी आपत्ति अभिभावी होगी। इसी प्रकार नियम २६६ के अन्तर्गत अध्यक्ष, बिना किसी सूचना के, संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकता है।

समर्थकारी प्रावधान, इन तीनों अवस्थाओं में उस कार्य के, जो कार्य–सूची में सम्मिलित नहीं हो, किये जाने के लिये [देखिये नियम २८ (२)] या अपेक्षित सूचना के बिना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिये (देखिये नियम १४८) या अपेक्षित सूचना के बिना संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिये (देखिये नियम २६६) है। किन्तु इस पर ध्यान देना होगा कि इनमें से प्रत्येक प्रावधान का लाभ केवल सदन में अध्यक्ष पीठ से अनुमति मांग कर ही उठाया जा सकता है। इनमें से कोई प्रावधान ऐसी सूचनाओं को कार्य-सूची में सम्मिलित किये जाने की तथा उनको सदस्यों में परिचालित करने की प्रत्याशा नहीं करता। नियम १४८ या नियम २६६ के प्रावधान नियम २८ (३) व नियम २५४ के प्रावधानों का न तो उल्लंघन करते हैं और न उनके प्रति अप्रतिष्ठाकारी हैं।

इन परिस्थितियों में दूसरे प्रश्न पर भी मेरा विनिश्चय सकारात्मक है।

अन्त में माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये यह बता दूं कि सुप्रतिष्ठित संसदीय परम्पराओं के अनुसार विधान सभा सचिवालय के सम्बन्ध में सदन में कोई चर्चा नहीं की जा सकती और यदि उक्त सचिवालय के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई शिकायत या परिवेदना है तो यह लिखित रूप में या व्यक्तिगत रूप में अध्यक्ष को उसके वेश्म (चेम्बर) में प्रस्तुत की जा सकती है। अतः मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे भविष्य में इस संसदीय परम्परा का पालन करें।

पुरःस्थापित विधेयक

(क) राजस्थान सरकार अनुदान विधेयक, १९६१

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान गवर्नमेंट ग्रान्ट्स बिल, १९६१ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान गवर्नमेंट ग्रान्ट्स बिल, १९६१ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री): अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ ।

(ख) राजस्थान राज्य पशु-मेला विधेयक, १९६१

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान स्टेट केटल फेयर्स बिल, १९६१ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूँ ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान स्टेट केटल फेयर्स बिल, १९६१ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ ।

जयपुर मातमी रूल्स (वैधकरण) विधेयक, १९६१

(विचार-विमर्श एवं पारित)

श्री अध्यक्ष : जयपुर मातमी रूल्स (वेलीडेशन) बिल, १९६१ ।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि जयपुर मातमी रूल्स (वेलीडेशन) बिल, १९६१ को विचारार्थ लिया जाय ।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए सिर्फ इतना सा संक्षेप के अन्दर बतलाना चाहता हूँ कि इस बिल को पेश करने की आवश्यकता क्यों हुई ? एक मुकदमा दो पार्टीज़ के दर्म्यान मातमी का हाई कोर्ट में रिट में गया । उस पर हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है कि मातमी रूल्स, १९४४-४५ थे, उन पर जयपुर हिज़ हाईनेस की प्रोपर सेंक्शन नहीं हुई थी, इस वजह से इस कानून को शुरू से इनवेलिड मान लिया । जिस वक्त से ये बने हैं, तब तो इसको वेलिडेट करते नहीं हैं, क्योंकि इसमें हिज़-हाईनेस, जयपुर की प्रोपर सेंक्शन नहीं थी । उसका रिजल्ट यह हुआ कि इसमें कॉम्पली-केशन्स पैदा हो गये और इन रूल्स के नीचे जिन मुकदमों के १९४४ से अब तक निर्णय हुए हैं वे भी वेलिड नहीं रहते हैं । इस वजह से इस बात की आवश्यकता हुई कि इसको वेलिडेट किया जाय और एक बिल पेश किया जाय ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल पर कुछ निवेदन करूं, इससे पहले आपके द्वारा माननीय राजस्व मन्त्रीजी से यह जानना चाहता हूँ कि ये जो जयपुर मातमी रूल्स हैं, पहले कौनसा एक्ट था जिसके माफिक ये रूल्स बने हैं ? क्योंकि जब एक्ट होता है तब रूल्स बनते हैं, मातमी एक्ट पहले होना चाहिये । दूसरी बात यह है कि जिस केस का हवाला दिया है वह किस नेचर का था उस केस की कॉपी चाहूंगा....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : ओन ए पोइन्ट ऑफ

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

इनफॉर्मेशन, सर, अभी माननीय राजस्व मन्त्री-जी ने बताया कि हाई कोर्ट ने इस प्रकार का निर्णय दिया है। हाई कोर्ट में कुछ मामले गये थे, उस वक्त राज्य सरकार की मान्यता थी कि इस पर राजप्रमुख को स्वीकृति हो चुकी है। अब मातमी रूल्स के बारे में राज्य सरकार मानती है कि इस पर राजप्रमुख को स्वीकृति नहीं हुई है, जो रूलर थे स्टेट ऑफ जयपुर के। इस फैक्ट के बारे में राज्य सरकार क्या कहती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री) : (रावराजा श्री सरदारसिंह से) आप भी पूछ लीजिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : It is a question of fact.

मैं अर्ज करूंगा....

श्री दामोदरलाल व्यास : I will just explain as desired by you.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं इसलिए कह रहा हूँ कि it is a question of fact whether the Jaipur Matmi Rules, 1945 had the sanction of the former Ruler of Jaipur State ? In this particular case the Government have filed an application for leave to appeal to Supreme Court and the State is still persisting that the Jaipur Matmi Rules of 1945 had the sanction of the previous Ruler. This is a question of fact which is still pending in the Supreme Court and under our rule 272,: "a member while speaking shall not -(1) refer to any matter of fact on which a judicial decision is pending,". Now this question of fact is still pending and the Government have taken the stand that the Matmi Rules had the approval of the Ruler of Jaipur, and one senior officer of Government, Shri A. A. Kherie has also given an affidavit to this effect. Now the Government will naturally defend the officer who filed that affidavit, and they will argue before the Superme Court that these rules had the sanction of the Ruler. So this question of fact is pending decision in the Supreme Court. The Hon'ble Minister will admit that they have filed an application for leave to appeal to Supeme Court against the decision of the High Court.

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जैसा कह रहे हैं, यह बात सही है कि हाई कोर्ट के अन्दर स्टेट गवर्नमेंट ने इसको इन्सिस्ट किया कि जयपुर मातमी रूल्स पर प्रोपर सेंक्शन हुई और श्री खेरी, जो एक सीनियर ऑफिसर हैं और उस वक्त भी थे जयपुर स्टेट के उन्होंने एक एफीडेविट दिया था कि मातमी रूल्स पर हिज़ हाइनेस की एप्रूवल थी। ओरीजिनल फाइल जयपुर सेक्रेटेरियट की दस्तयाब नहीं हुई, इसलिए वह पेश नहीं की जा सकी। हाई कोर्ट ने मेमोरी के आधार पर इसे स्वीकार नहीं किया कि हिज़ हाइनेस की एप्रूवल हुई थी। मातमी रूल्स में लिखा है: "approved by the Government of Jaipur." जयपुर हिज़ हाइनेस की एप्रूवल नहीं थी, हाई कोर्ट ने इस बिना पर एप्रूवल

(श्री दामोदरलाल व्यास)

को नहीं माना। रहा सवाल यह कि यह सुप्रीम कोर्ट में पेडिंग है, लीव ऑफ अपील पेडिंग होगी। मेरी जानकारी में as the Hon'ble member says, it might have been filed, अपील पेश कर रखी होगी। इस मामले में पेंडिंग होने का सवाल नहीं है क्योंकि अभी अपील पेश होगी। बहरहाल अनसर्टेन्टी के इस पीरियेड को नहीं छोड़ा जा सकता, अभी लीव ऑफ अपील नहीं है, अपील करें। लेकिन ये रूल्स वेलिडेट होने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि १६४४ से १६६१ तक जो मुकदमे फैसल हुए हैं वे हरएक मुकदमे चैलेज हो सकते हैं।

अब सवाल यह कि सिविल कोर्ट में मातमी कौन कौन से नाम से हुई है? उनियारा से आने वाले माननीय सदस्य हैं, उनकी मातमी पहले हो गई होगी....

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): मेरा ताल्लुक नहीं है, मैं भी कहूँगा आपके लिए है।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : जयपुर की मातमी कर रहे हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : इनके नाम पर मातमी हुई हो। मेरा कहने का मतलब यह है कि इतने कॉम्प्लीकेशन्स पैदा हो गये हैं कि हरएक मुकदमा, जो इन २० सालों के अन्दर, १६ सालों के अन्दर फैसल हुए हैं वे चैलेंज हो सकते है; क्योंकि वे वेलिडेट नहीं रहे। इसलिए पेंडिंग केस के लिए हम लॉ को बनाने की चेष्टा कर सकते हैं कि उसको वेलिडेट माना जाय, सेंक्शन को ठीक माना जाय और कब फैसला होगा, कब लीव मिले, उसके लिए इसको नहीं छोड़ा जा सकता, पर्टीक्युलरली जब कि जागीर रिजम्शन के केसेज़ फाइनेलाइज़ हो जायं, इस अनसर्टेन्टी को किसी हालत में नहीं छोड़ा जा सकता है। क्योंकि आज जागीर कमीश्नर के लिए प्रोपर सेंक्शन पैदा करनी है। ऐसी स्थिति में जो जयपुर मातमी रूल्स इन्वेलिड हो गये हैं, मैं समझता हूँ कि यह बहुत आवश्यक है कि इनको वेलिडेट किया जाय।

दूसरी बात, जो उनियारा से आने वाले माननीय सदस्य ने कही कि वे जजमेंट की कॉपी चाहते है। पता नहीं क्यों पाना चाहते हैं। मैंने जो रिलेवेन्ट डिसीज़न है वह बता दिया। इसमें उन्होंने यह तय किया है कि इस बिना के ऊपर मातमी रूल्स जयपुर के वेलिड नहीं हैं, उन पर प्रोपरली सेंक्शन नहीं थी। हिज़-हाइनेस की सेंक्शन होनी चाहिए जयपुर एक्ट, १६२४ के बेसिस पर, वह सेंक्शन नहीं थी। इसलिए उसको वेलिड नहीं करें....

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : In a Civil Court....

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं अर्ज करूं एक बात अर्ज कर दूं........

श्री मदनसिंह : यही पोइन्ट नहीं है कि हाई कोर्ट ने डिसीज़न दिया है, एफीडेविट दिया है। एक पोइन्ट यह भी है कि जब कॉन्स्टीट्यूशन ऑफ इण्डिया लागू हो गया है तब से जितने जागीर सम्बन्धी

(श्री मदनसिंह)

सक्सेशन, मातमी के पॉवर्स हैं वे न गवर्नमेंट को हैं और न राजप्रमुख को हैं। तो ये रूल्स बनाना कॉन्स्टीट्यूशन का चैलेंज करना है; यह भी डिसीज़न हाई कोर्ट ने दिया है। फिर यह वेलिडेशन लाकर असेम्बली में पास करायें, फिर वह सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो तो यह उचित नहीं होगा। कॉन्स्टीट्यूशन ऑफ इन्डिया भी यह चाहता है कि सिविल कोर्ट्स से ऐसे केसेज़ का फैसला होना चाहिये। तो ऐसी सूरत में सिविल कोर्ट्स के पॉवर्स गवर्नमेंट ले रही है, ये फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होंगे क्योंकि हाई कोर्ट ने यह फैसला किया है कि जितने सक्सेशन, मातमी के केसेज हैं, उनको केवल सिविल कोर्ट ही डिसाइड कर सकता है, इसलिये यह बिल कॉन्स्टीट्यूशन के भी विपरीत पड़ता है।

श्री दामोदरलाल व्यास : Sir, let there be a discussion now that the motion has been moved.

श्री मदनसिंह : कॉन्स्टीट्यूशन जब अलाउ नहीं करता है, यह जब कॉन्स्टीट्यूशन के खिलाफ है तो यह बनाने की जरूरत क्या है ?

श्री अध्यक्ष : सारी आपत्तियों का मन्त्री महोदय साथ ही उत्तर दे देंगे।

रावराजा श्री सरदारसिंह : कम से कम कहा है तो मन्त्री महोदय को उसका उत्तर तो देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : और भी आपत्तियां आ रही हैं, मन्त्री महोदय इसका जवाब भी उनके साथ में दे देंगे।

श्री मदनसिंह : जो कॉन्स्टीट्यूशन के डिसीज़न के खिलाफ है उसको हम यहां हाउस में पेश कर सकते हैं क्या, उस पर बहस कर सकते हैं क्या ?

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : आपको कॉन्स्टीट्यूशनल पोइन्ट रेज़ करना चाहिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : He has already had his say. We have so many Bills to pass today. So there should be no repetition. I have heard his point and I will reply.

रावराजा श्री सरदारसिंह : दूसरी बात माननीय अध्यक्ष, यह है कि मातमी के रूल्स हैं वे किसी एक्ट के मातहत रूल्स बने नहीं हैं जिनको कि मान्यता दी जाय। ये तो इन्स्ट्रक्शन्स हैं, इन्स्ट्रक्शन्स सबोर्डिनेट ऑफिसर्स के लिये हैं। मुझे मालूम पड़ा है कि राजस्थान सरकार ने इस डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिये अप्लाई भी कर दिया है कि हम अपील करेंगे।

दूसरी मेरी आपत्ति यह है कि मातमी के जरिये बहुत सी फीस, चार्जेज़ उनसे वसूल होते हैं और वह रुपया सरकारी खजाने में आता है। इसलिये यह सक्सेशन फीस की नेचर में आता है और यह स्टेट ड्यूटी है, सेंट्रल सब्जेक्ट है। इसलिये यह तय होना चाहिये कि इस विषय को डिस्कस करने हेतु हमारा हाउस कॉम्पीटेन्ट है कि नहीं ? दूसरे, यह भी तय होना चाहिये कि यह मनी बिल की डेफिनिशन में आता है कि नहीं ? यदि यह मनी बिल के तहत में आता है तो इस हाउस में आने से पहले गवर्नर की सेंक्शन होनी जरूरी है। यह सब क्लेरिफाई कर दें।

श्री मदनसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय,....

श्री दामोदरलाल व्यास : He has already moved his motion that it should be circulated for public opinion.

श्री अध्यक्ष : वह तो कॉन्स्टीट्यूशनल पोइन्ट रेज़ किया था, अब शायद और कुछ कहना चाहते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : What about that question ?

श्री अध्यक्ष : और भी पोइन्ट्स आने वाले हैं उनके साथ ही मन्त्री महोदय जवाब देंगे।

रावराजा श्री सरदारसिंह : माननीय अध्यक्ष....

श्री दामोदरलाल व्यास : Now what the Hon'ble member is saying ?

श्री अध्यक्ष : आपने पोइन्ट उठाया उसकी ताईद करते हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मातमी के जरिये बहुत से टैक्सेज़ और फीस वगैरह चार्ज किये जाते हैं, जो सक्सेशन ड्यूटी में आते हैं। इसलिये यह मनी बिल होने के कारण बिना गवर्नर की सैंक्शन के इस हाउस में नहीं आ सकता....

श्री दामोदरलाल व्यास : He has already had his say, Sir.

रावराजा श्री सरदारसिंह : आपने इसका जवाब कहां दिया कि यह मनी बिल नहीं है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरा ख्याल है कि सदन के सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि आपका यह सवाल—जवाब का मोहताज ही नहीं है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मोहताज का सवाल नहीं, मैंने सवाल किया है तो उसका जवाब तो आपको देना चाहिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय मंत्रीजी आपको ला-जवाब समझते हैं क्या ?

रावराजा श्री सरदारसिंह : जागीर रिज़म्शन एक्ट में अमेंडमेंट पेश किया है। रेवेन्यू बोर्ड फैसला कर दे। आपके पास दरख्वास्त करें फैसले के १० वर्ष बाद, तो रेवेन्यू मिनिस्टर उसको बदल सकते हैं। अपील की तो फैसला दिया कि सिविल कोर्ट में जाना चाहिये। तो मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि आड़ में ये शिकार खेलना चाहते हैं। इनका खास मतलब यह है कि उसमें नहीं हुआ तो मातमी रूल्स के तहत मान्यता देकर इन जागीरदारों की गर्दन दबोची जाय। आज पंचायतों में आये दिन होता है। जागीरदारों को दबाते हैं कि ऐसा नहीं किया, इसको नहीं किया, तो तेरी मातमी की बकाया निकाल दूंगा। इसी मंशा से यह यहां हाउस में लाया गया है वर्ना इसकी आवश्यकता ही क्या है ? भारत स्वतन्त्र हो गया, कॉन्स्टीट्यूशन लागू हो गया, स्टेट ड्यूटी लग गई तो मातमी को भी उसी के तहत वसूल करेंगे। इससे मातमी भी आप वसूल करेंगे और स्टेट ड्यूटी भी वसूल की जायेगी। तो इसमें आपका ध्येय और ही है और वह अब छिपा हुआ नहीं है, सब जानते हैं। अब कोई जागीरदार रहा ही नहीं तो भी कहते हैं कि जागीरदार हैं....

डॉ० बहादुरसिंह : आपका प्रस्ताव है इस सम्बन्ध में या विरोध कर रहे हैं ?

रावराजा श्री सरदारसिंह : मैं तो यह कह रहा हूँ कि मैं तो इसको मनी बिल मानता हूँ, यह स्टेट ड्यूटी की डेफिनिशन में आता है।

डॉ० बहादुरसिंह : आपका प्रस्ताव तो जनमत के लिये था।

श्री अध्यक्ष : वह तो अब आयेगा, यह तो कॉन्स्टीट्यूशनल ऑब्जेक्शन रेज़ किया है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मैं तो यह कहता हूँ कि जो यह कहा गया है कि पुराने केसेज़ पड़े हुए हैं उनके लिये यह लाये हैं। मैं कहता हूं पुराने केसेज़ के लिये नहीं, हाई कोर्ट से लताड़ पड़ती है तब लाते हैं। नये इलेक्शन आ गये तो बेचारे जागीरदारों की गर्दन दबोचने के लिये यह लाये हैं। इसको जनमत के लिये नहीं भेजें तो सिलेक्ट कमेटी में भेज दें, तब तक सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया जायेगा।

(राजस्व मंत्री और श्री मदनसिंह दोनों एक साथ खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष : पहले मन्त्री महोदय को सुन लें।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : एक ही बात का ऑब्जेक्शन है।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री) : उसके लिये मैंने जवाब दे दिया है कि वह सवाल जवाब का मोहताज नहीं है। मैं यह अर्ज कर देता हूँ कि यह मनी बिल नहीं है। माननीय सदस्य ने कहा कि किसी एक्ट के तहत में रूल्स नहीं बनाये गये थे। माननीय सदस्य को पता नहीं है कि स्टेट में रूल्स, नोटिफिकेशन्स, लॉज़, सर्क्यूलर्स बने थे उनको कॉन्स्टीट्यूशन में क्या रिकॉग्निशन दिया है। Parhaps if he had known it, he would not have raised this point. Any Rules, Notifications, Instructionns or 'Hidayats' or anything of such nature had the force of law in the States, and so in the Jaipur State also.

तीसरा पोइन्ट आपका जनमत के लिये प्रसारित करने का है। तो इसमें जनमत जानने का कोई सवाल नहीं है। एक पोइन्ट बड़े जोर का कहा कि १० साल में जितने केसेज़ हुए हैं उनके रिवीज़नल पॉवर्स गवर्नमेंट ने ले लिये हैं और इसकी आड़ लेना चाहते हैं। हाई कोर्ट के जजेज़ क्या फैसला करने वाले हैं, इसका माननीय सदस्य को पहले ही अहसास हो गया है। मैं निवेदन कर देना चाहता हूँ कि इसका उससे ताल्लुक नहीं है।

तीसरी बात यह है कि राजस्थान में सारी जागीरें रिज़्यूम हो चुकी हैं तो अब उनके सक्सेशन के केसेज़ मातमी के रूल्स के तहत नहीं होंगे, बल्कि कॉन्स्टीट्यूशन के तहत पर्सनल राइट्स सिविल कोर्ट्स में तय कराने होंगे। They will get their decision from the Jagir Commissioner और कोई इन्टीग्रेटिंग स्टेट के रूल्स सक्सेशन के हैं उनके तहत कोई केस अब तय होने वाला नहीं है। यह तो पुराने केसेज़ के लिये,

Page No 40

(श्री दामोदरलाल व्यास)

रूल्स के वेलिडेटिंग के लिये लाया गया है। आप कहते हैं कि जागीरदारों की गर्दन दबोचने के लिये यह कर रहे हैं, किन्तु मैं कुछ दिनों से यह देखता हूँ कि माननीय सदस्य को चुनावों के ख्वाब बहुत आने लगे हैं। हर जगह आप चुनावों की ही बात करते हैं। रिज़म्प्शन होता है उस पर यह सक्सेशन का लॉ लागू नहीं होता। लेकिन पुराने सक्सेशन का लॉ है वह लागू नहीं होता है इसलिए प्रोविज़न रखना पड़ा। अगर इतना समझ लेते तो यह दलील नहीं करते कि आइन्दा केसेज़ होंगे उनमें ये मातमी रूल्स रहेंगे। जितने केसेज़ रिज़म्प्शन से पहले तय जयपुर में हो गये उसको वेलिड बनाने के लिए यह कर रहे हैं।

दांता रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि इसमें कॉन्स्टीट्यूशनल पॉइन्ट रेज़ होता है। जजमेंट में यह लिखा है if it is not an existing Law, then it cannot have the force of law after the Constitution, जयपुर हो या कोई भी हो। कोई भी रूल हो, हाई कोर्ट ने जयपुर मातमी रूल्स को वेलिड नहीं माना। It is not an existing law. इसलिए उन्होंने इस बात को डिस्कस किया है कि सिविल राइट्स, सिविल कोर्ट में डिसाइड होना चाहिये, in the absence of any State law. और जयपुर मातमी रूल्स को वेलिड नहीं माना। जब से यह बना है तब से यह वेलिड नहीं है। इस पर हिज़ हाइनेस के सिग्नेचर होने चाहिये, वे नहीं हैं। इससे यह नतीजा निकलता है कि कॉन्स्टीट्यूशन के बाद में लॉ लागू होगा। मैंने जो बातें इसके कन्सीडरेशन के लिए मूव की हैं उन पर बहस हो जावे।

श्री अध्यक्ष : एक बात माननीय मन्त्री महोदय बतावें कि आप जयपुर मातमी रूल्स वेलिडेटिंग करा रहे हैं लेकिन आप यह कह रहे हैं कि it should be considered as "existing law", which is a question of interpretation. Would it not be better to leave it to the Courts?

श्री दामोदरलाल व्यास : That is very necessary, otherwise where is the necessity of validating the Rules. In the Land Reforms & Resumption of Jagirs Act, "existing Jagir law" has been defined and if these Rules are not recognised as "existing Jagir law", then the very purpose of this Bill is defeated.

श्री अध्यक्ष : You have not done this in case of any other Rules. They have been accepted as "existing law" because they were in force at a particular time.

श्री दामोदरलाल व्यास : Jaipur Matmi Rules are not merely Rules. They can be regarded as Jaipur Matmi Act. It is the only law relating to Succession Grants and the Land Reforms & Resumption of Jagirs Act We have got to recognise these Matmi Rules as "existing law", otherwise there will be confusion in deciding the cases of Jagir Resumption. so far as Jaipur State Grantees are concerned. Supposing a particular Jagirdar has been recognised as a Jagirdar on the basis of these Matmi Rules,

Page No 41

(श्री दामोदरलाल व्यास)

now if we say that these Matmi Rules were not an "existing law" as defined in the Land Reforms & Resumption of Jagirs Act, then that person is not a Jagirdar and his Jagir cannot be resumed.

श्री अध्यक्ष : You are not saying it. You are merely validating certain Rules. Now what ever consequences follow from that validation ore legalisation, leave it to the Courts to determine.

श्री दामोदरलाल व्यास : It cannot be left to the Courts. The High Courts decision is there that it is not an "existing law".

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं फिर निवेदन करना चाहता हूँ कि दो पॉइन्टों को मिक्स न करें। अध्यक्ष महोदय, अगर पूरी फाइल को पढ़ना चाहें तो मैं पेश कर दूंगा। यह तो इसमें लिखा है: "This power could no longer be exercised either by the Rajpramukh or by the State of Rajasthan or by anyone else, and the question of succession of Jagir becomes purely a civil matter."

This is the decision of the Court.

श्री अध्यक्ष : इसीलिये यह कहा कि जब हाई कोर्ट ने यह कह दिया कि अमुक कारण से इसको वेलिड नहीं मानते तो यह सिविल मामला होगा।

श्री मदनसिंह : अभी भी मामले सिविल में डिसाइड हो रहे हैं। यह सैकन्ड डिसीज़न ऑफ दी हाई कोर्ट है, in the same case.

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इसमें हिज़ हाइनेस के हस्ताक्षर कौन से सन् में नहीं हुए ?

श्री दामोदरलाल व्यास: हिज़ हाइनेस के दस्तखत १६४५ में नहीं हुए।

श्री दयाकृष्ण विजय : अध्यक्ष महोदय, जिसमें हिज़ हाइनेस के सिग्नेचर नहीं होते हैं वे चाहे नियम हों, चाहे एक्ट हो वह फोर्स में नहीं आ सकता। यह १६४५ में एक्ट बना। लेकिन कानून कायदे से नहीं बना था इसलिए उसमें वैधानिक शक्ति व एक्ट की शक्ति नहीं आई। तो उसका प्रभाव जिन पर पड़ना चाहिये वह नहीं पड़ सकता और इसीलिए हाई कोर्ट में केस गया और उसमें हाई कोर्ट ने यह कहा कि हिज़ हाइनेस के दस्तखत नहीं होने से वह वेलिड नहीं था। इसलिए यह वेलिडेटिंग बिल लाने को आपको आवश्यकता पड़ी है। आज हम उस कानून को जिस पर हिज़ हाइनेस के दस्तखत नहीं होने से वैध नहीं है, यदि किसी प्रकार की टैक्निकल गल्ती होती तो यह समझ सकते थे कि कोई टैक्निकल गल्ती रह गई है लेकिन जब एक्ट बना और उस पर हस्ताक्षर नहीं हुए तो वह एक्ट एग्ज़िस्ट नहीं होता। जब वह एक्ट इन एग्ज़िस्टेन्स हो नहीं रहता तो हम उसको वेलिड कैसे करेंगे ? अगर यह एक्ट १६४५ में बनता और इसमें हिज़-हाइनेस के दस्तखत हो जाते और छोटी मोटी

(श्री दयाकृष्ण विजय)

गल्ती होती और यह केस हाई कोर्ट में जाता तो हाई कोर्ट छोटी मोटी गल्तियों पर कहता। हो सकता है कि किसी सचिव ने बना दिया हो और कुछ लोगों पर जागीरदारों पर या छोटे लोगों पर लागू करके ग्रान्ट ले ली हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम भी नाजायज़ तौर से उसको वसूल करेंगे। जो कानून फोर्स में नहीं है उसको फोर्स में लाएँ। मैं समझता हूँ कि ऐसा करना इस लेजिस्लेशन के पॉवर में नहीं है। मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़): इवन हिज़ हाईनेस को पॉवर्स थे, मगर फिर भी कॉन्स्टीट्यूशन ऑफ रूल्स के अनुसार पर्सनल लॉ के मुताबिक तय होगा। एच० एच० को पॉवर होते हुए भी डिसीज़न देने का कहा, they will be guided by personal law, i. e. Hindu law, यह सेपरेट जागीरदारों के आप पॉवर देंगे। किसको जागीरदार बनावेंगे? There is no question of Matmi or Jagir now for which they are making law. For future we have personal laws. कम्पेन्सेशन के लिये लॉ है, उसको चैलेन्ज हाई कोर्ट ने किया है। So Matmi Rules for what? When there is no Jagir, what does he want Matmi Rules for? Does he mean to say that again there will be Jagirs and Jagirdars and then he will resume them and give compensation? जागीरें हैं नहीं और मातमी होती है। Matmi Rules were purely for Jagir lands and for nothing else. Under this Bill, if people go in a writ petition for return of their Jagirs, they will get back their Jagirs.

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): माननीय मंत्रीजी ने फर्माया कि वह तो आता ही नहीं। पुराने केसेज़ में मातमी को मान्यता दी जावेगी। यह बता दें कि पुराने केसेज़ पड़े हुए हैं मातमी के जिनमें रुपया वसूल नहीं हुआ है? इसमें पहले राज्यपाल की मंजूरी की आवश्यकता है।

श्री मदनसिंह: यदि आज यह पास हो जावेगा तो मैं कल मेरी जागीर पर कब्जा कर सकता हूँ। जागीर के केसेज़ डिसाइडेड हैं। मातमी यहां से पास हो रहा है तो कल ही जाकर मैं अपनी जागीर पर कब्जा कर सकता हूँ। हाई कोर्ट ने वेलिडेट नहीं किया था और उसके विपरीत यहां इसको पास कर रहे हैं। मैं कल ही जागीर पर कब्जा कर सकता हूँ।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): मैं यह नहीं समझ सका कि यह बहस क्यों हो रही है?

श्री अध्यक्ष: और कोई माननीय सदस्य बोलना चाहें?

श्री किशनाराम (रतनगढ़): मैं तो छोटी सी बात कहूँगा, सुनेंगे तो समझेंगे। मेरा कहना यह है कि नाजायज़ में यह प्रश्न उठाया गया है। लड़का जब पैदा होता है तो नाम, संज्ञा दी जाती है। जो चीज़ ही सामने नहीं है उसको संज्ञा या नाम किस प्रकार से दी जा सकती है? यह तो, ४५ में था। हाई कोर्ट से इस सम्बन्ध में फैसला हो चुका

(श्री किशनाराम)

है कि महाराजा के दस्तखत कानून पर नहीं थे, होना जरूरी था। दस्तखत नहीं होते तो कानून पास नहीं होता। जब कानून ही नहीं बना तो दुबारा यहां पर कैसे विचार हो रहा है ? संज्ञा ही मौजूद नहीं है। नाम ही नहीं है तो नाम या संज्ञा पुकार कर ही नहीं चल सकते कि कानून था। कानून था ही नहीं ! कानून था तो दस्तखत होने चाहिये थे। जब दस्तखत नहीं थे वह तो कागज का बन्डल था। उस बन्डल को पास करवाना चाहते हैं मंत्री महोदय तो यह दूसरी बात है। यह एक बहुत ही गहरी चीज़ है। नाम की संज्ञा ही नहीं है तो उसके मुकाबले में आगे क्या बोला जा सकता है ! कानून ही नहीं था। फिर माननीय मंत्रीजी समझा दें कि कानून था, किसी भी तरह का था। महाराजा के दस्तखत नहीं हुए, किसी सेक्रेटरी ने दस्तखत कर दिये, इसलिए कानून नहीं माना जा सकता। या तो माननीय मंत्रीजी समझा दें कि इस प्रकार से कानून लागू था चाहे दस्तखत महाराजा के न हों। हमारे तो वह कानून के रूप में समझ में नहीं आता है कि वह कोई कानून था ! इस पर पूरा विचार करना चाहिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : I would like to say a few words. The function of the Legislature is to legislate and not to interpret. So far as validation is concerned, it is a different matter and I would not say anything about it at this moment, but so far as these particular lines, "shall be deemed always to have had the force of law and shall be treated as being and as having been an 'existing jagir law' within the meaning of...Rajasthan Land Reforms & Resumption of Jagirs Act (Rajasthan Act 6 of 1952) for the purposes of that Act as well as of the Rajasthan Jagir Decisions and proceedings Validation Act, 1955..." अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि इस प्रकार प्रावधान क्लॉज़ २ बिल में किया गया है। इन्टरप्रिटेशन में एग्जिस्टिंग जागीर लॉ माना जावेगा, यह किया है। लेकिन इन्टरप्रिटेशन का काम तो कोर्ट का है। जयपुर मातमी के मामले में एग्जिस्टिंग लॉ है ऐसा हाई कोर्ट ने नहीं माना है और उसका छोटासा पैराग्राफ मैं माननीय मंत्रीजी को कन्विन्स करने के लिए, उस ओर उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए पढ़ूंगा। पेज १६ पर है: "We are of the opinion that no regulation, rule, order, resolution, notification would come under the definition of 'existing jagir law' until it was in force as law. The Jaipur Matmi Rules were no in force statutory rules and cannot be treated as 'existing jagir law' under the Rajasthan Land Reforms & Resumtion of Jagirs Act, 1952, and the Rajasthan Jagir Decisions & Proceedings (Validation) Act, 1955," इस दृष्टि से निवेदन करना चाहूँगा कि उन्होंने उसको एग्ज़िस्टिंग जागीर लॉ इसलिए नहीं माना कि रिजम्प्शन ऑफ जागीर, जागीर डिसीजन वेलिडेटिंग एक्ट में स्टेचुटरी पॉवर्स नहीं थे। इसलिए वह वेलिडेट लॉ नहीं था और नहीं माना है और मातमी रूल्स, ४५ को वेलिडेट कर रहे हैं। तो यह एक्ज़िस्टिंग लॉ हो

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

जावेगा और नहीं होगा तो यह इन्टरप्रिटेशन की चीज़ है। लेजिस्लेचर द्वारा इन्टरप्रिटेशन करने से कोर्ट के अधिकारों का इन्क्रोचमेंट है। यह मातमी रूल्स उसकी डेफिनेशन में आते हैं या नहीं; यह लेजिस्लेचर का काम नहीं है; बल्कि कोर्ट का काम है। It is the function of the Court so far as interpretation is concerned.

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, इस कानून को, मैं समझता हूँ, बनाने की क्यों आवश्यकता हुई ; यह तो मैंने पहले ही काफी स्पष्ट कर दिया है कि क्यों आवश्यकता हुई इस बात की। दांता रामगढ़ से आये माननीय सदस्य इसका बहुत ज्यादा विरोध कर रहे हैं। मैं समझ नहीं पाया कि यह विरोध किस बात का है। जागीर रिज़म्शन पूरा हो चुका। एक एक पैसे की जागीर रिज़्यूम हो गई। अन-रिज़्यूम्ड है नहीं और अनरिज़्यूम्ड नहीं होती है तो उसका सक्सेशन का प्रश्न पर्सनल लॉ से गवर्न होता है, यह स्पष्ट है। उसमें जागीर सक्सेशन will be governed by his Personal law, and the Personal law means the Indian Succession Act, कस्टम वगैरह जितने भी आते हैं, Hindu Law or whatever it is. फिर सवाल यह क्यों हुआ ? केसेज़ को रीओपन करने का भी सवाल पैदा नहीं होता। सवाल यह पैदा होता है कि माननीय सदस्य इसको ठीक समझते हैं कि ४४ से ५८, ५९ तक मातमी के फैसले हो गये मुकदमों के। रूल्स ने सक्सेशन मंजूर कर दिये, उनको वे रीओ-पन करना चाहते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : आप तो वेलिडेट कर रहे हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : जिस दृष्टि-कोण से आप कहते हैं, लेकिन मुझे तो दूसरे दृष्टिकोण से देखना पड़ता है। साथ ही साथ जागीर लॉज़ को भी देखना चाहिये। उस पर इसका कितना असर पड़ता है। जब तक एग्ज़िस्टिंग लॉ नहीं होगा तो वे लॉ एप्लाई नहीं होंगे और जागीर एक्ट में उसको वेलिडेट माना जावेगा। रिज़म्शन हो चुका है। कुछ माननीय सदस्यों का यह ख्याल है कि it should be left for interpretation by the Courts. I respectfully submit that we should not. We should definitely say that it is an existing Jagir law. यह जरूर है कि हम फर्दर रोंग इन्टरप्रिटेशन या लिटिगेशन के लिए गुन्जाइश छोड़ें ? दांता रामगढ़ से आये माननीय सदस्य की हमदर्दी है और उनको इसमें दिलचस्पी हो सकती है। मैं उस बात को जानता हूँ। जिस मुकदमें में ऐसा फैसला हुआ, एक आदमी को नुकसान हो सकता है और दूसरे आदमी को फायदा हो सकता है। जिसके हक में सक्सेशन ग्रान्ट किया वह नल एण्ड वॉयड हो सकता है और दूसरी गड़बड़ी भी हो सकती है। कुछ लोग डिटेन्ड व्यू ले सकते हैं। कुछ को मुनाफा हो सकता है और कुछ को नुकसान हो सकता है। कुछ नये लिटिगेशन्स स्टेट के लिए हो सकते हैं। इस प्रकार की अनसर्टेन्टी की पोज़ीशन न रहने देने के लिए और इस प्रकार का कोई लेकूना न रहने देने के लिए यह किया जा रहा है। जितने केसेज़ हुए हैं यदि वे नल एण्ड वॉयड होंगे तो इसका मतलब यह हुआ कि जयपुर रूल्स के अनुसार मातमी नहीं कराई तो वे

(श्री दामोदरलाल व्यास)

रिज्यूम हो जावेगो। जयपुर की ज्यादातर ऐसी जीगीरें हैं, मातमी करानी थी नहीं कराई। इस स्थिति को मान लेवें। एग्जिस्टिंग जागीर लॉ के अन्तर्गत डिक्लेअर न करें, then the Government will be put to a loss of lakhs of rupees. न मालूम कितना नुकसान हो सकता है। इसको वेलिडेट करना इसलिये भी आवश्यक है कि मौजूदा जागीर एक्ट्स हैं जिनमें जागीर रिज़म्पशन एक्ट और जागीर डिसीजन्स वेलिडेटिंग एक्ट है उसके लिये भी इसकी बड़ी आवश्यकता है। There is no question of interpretation. It is a declaration in view of the finding of the High Court that it is not an existing jagir law. It is necessary.

श्री श्रीभानसिंह (बयाना): ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया इससे स्टेट को बड़ा फाइनेन्शियल लोस होगा, इस पर पोइन्ट ऑफ ऑर्डर मैं यह उठाता हूँ, कितना लोस होगा उसके लिये एक्सप्लेनेटरी मेमोरेन्डम होना चाहिये। मेरा ऑब्जेक्शन यह है कि हम किसी लेजिस्लेचर को वेलिडेट करते हैं, मातमी रूल्स को वेलिडेट करते हैं मगर लेजिस्लेशन के लिये सर्टेन प्रोसीजर प्रेसक्राइब्ड है।

दूसरा मेरा एतराज यह है कि हम एक ऐसे लेजिस्लेशन को वेलिडेट करने जा रहे हैं जिसके बारे में लेजिस्लेचर इग्नोरेन्ट है। उसमें कितने क्लॉजेज हैं, कौन से रूल्स हैं, क्या हम वेलिडेट करने जा रहे हैं, इसके लिये न तो रूल्स ही हमारे सामने हैं और न उनको टेबल ऑफ दी हाउस पर ही रखा गया है और न मेम्बर्स को सर्कुलेट ही किया गया है। क्या लेजिस्लेचर के without knowing as to what the rules are, can this Legislature validate?

इन दोनों आपत्तियों के बावजूद लेजिस्लेशन के सामने रूल्स के न होते हुए हम किसी भी लेजिस्लेशन को वेलिडेट नहीं कर सकते। जब तक कॉपी सर्कुलेट नहीं की जाती तब तक वेलिडेट मेम्बर्स नहीं कर सकते। इसके साथ साथ एक्सप्लेनेटरी मेमोरेन्डम भी नहीं है, रूल्स के अनुसार इसका सर्कुलेशन भी नहीं हुआ है। इसलिये इसको इस तरह से डिस्पोज ऑफ नहीं किया जा सकता।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): रूल्स की इसमें आवश्यकता नहीं है। हम रूल्स में तो अमेन्डमेन्ट नहीं कर रहे हैं, हम उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन-परिवर्द्धन नहीं कर रहे हैं। रूल्स के आधार पर ही तो फैसला हुआ है....

श्री श्रीभानसिंह (बयाना): मेरा पोइन्ट ऑफ ऑर्डर है उसको पहले डिसपोज़ ऑफ किया जाय।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़): आप अमेन्डमेन्ट इसमें नहीं कर सकते।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जिस समय मैंने जवाब दिया था उस समय बयाना से आने वाले माननीय सदस्य थे नहीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): पोइन्ट ऑफ ऑर्डर का डिसीज़न चेयर से होता है, आपके द्वारा नहीं।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं जवाब तो दे सकता हूँ। इस एक्ट के तहत में किसी प्रकार के रूल्स बने हुए नहीं हैं। This is a separate law by itself. प्री इन्टीग्रेशन डेज के अन्दर कुछ रूल्स बनते हैं। You can call them Jaipur Matmi Act even. As a matter of fact this is the law relating to State Grants in the former Jaipur State and they are not rules framed under any Act. So far as this law is concerned it is published in the Gazette and for the purpose of validation, I don't think we have to provide the specific rules or law to the Hon'ble members. It is in the Library and the Hon'ble members can see the Gazette also. It is well known and I need not supply a copy to the Hon'ble members here.

As for the losses, there will be many losses, and the resumption of Jagirs can be successfully challenged by any Jagirdar. Therefore, a statement of the probable losses cannot be given here. It is only to protect the State Government from any possibility of loss that this is being validated.

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : आप यह बतलाइये कि ऐसे मातमी के कितने केसेज़ पेन्डिंग हैं?

श्री दामोदरलाल व्यास : I have already said that this does not apply after resumption of Jagirs.

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): इसमें लिखा है, हजारों केसेज़ हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : Well, I cannot give you the exact number. These cases go to the lower Courts, they don't come to the Government.

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : अध्यक्ष महोदय, हिज़ हाइनेस, जयपुर के समय में जितने रूल्स या सर्कुलर्स इश्यू हुए हैं, कानून की दृष्टि से वे ऑर्डर्स की श्रेणी में आते हैं। यह जो बात आप फरमा रहे हैं ये सब ऑर्डर्स कानून की श्रेणी में आते हैं, यह आप किस आधार पर कहते हैं?

रावराजा श्री सरदारसिंह : हजारों केसेज़ हैं या लाखों हैं, यह तो बतलाइये?

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : मैं एक इम्पोर्टेन्ट चीज़ अर्ज कर रहा हूँ। जयपुर हिज़ हाईनेस के बनाये हुए मातमी रूल्स को आप इस स्थिति में लेना चाहते हैं। इसका मतलब है कि जिस प्रकार का जागीरदारों का ताल्लुक था उसके अनुसार सारे जागीरदार वापिस हो जायेंगे। कानून से जिनको आपने खत्म कर दिया उनको वापिस आप ही बना रहे हैं। हिज़ हाइनेस का डिसीजन कि अमुक जागीरदार है उस डिसीजन को अब मान्य नहीं करना चाहिये, क्योंकि अब जागीरें खत्म हो चुकी हैं। अगर ऐसा है कि जागीरदार कोई था और कोई बन गया है उसके लिये तो वे कोर्ट में केस लड़ सकते हैं। उसमें आपके डिसीज़न का सवाल नहीं आता है। अगर आप इस प्रकार का कानून पास करते हैं तो आप उनको वापिस इज्जत देते हैं, वे फिर से पक्के जागीरदार हो जाते हैं। इस तरह से तो आपकी ज्यादा बदनामी होगी।

(६. ४० म० पू०)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री श्रीमानसिंह ने दो आपत्तियां उठाई हैं। एक तो यह कि इस कानून के बनने से और न बनने से कितने केसेज़ अफेक्टेड होते हैं, सरकार को कितना नुकसान होता है, इसकी सूचना सदन के समक्ष आनी चाहिये और जब तक ये सूचनायें नहीं आतीं तब तक इस विधेयक पर विचार नहीं किया जा सकता।

दूसरी आपत्ति उन्होंने यह उठाई है कि जिन रूल्स का वैधकरण करने जा रहे हैं उनकी प्रतिलिपि माननीय सदस्यों के समक्ष होनी चाहिये ताकि जानकारी प्राप्त करके रूल्स में वैधकरण जो हो रहा है यह उचित है या उसमें किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता है उसके अनुसार उसमें संशोधन दिये जा सकें।

उपरोक्त दोनों आपत्तियों के बारे में मेरी यह व्यवस्था है कि जहां तक पहली बात का सवाल है रूल्स की प्रतिलिपि माननीय सदस्यों के पास होती तो यह उचित ही होता ताकि माननीय सदस्य उनमें संशोधन प्रस्तुत कर सकते। मैं समझता हूँ, ऐसा न होने पर भी ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न हो गई हो कि जो हम वैधकरण करने जा रहे हैं वह रूल्स ऑफ प्रोसीजर के विरुद्ध है, ऐसा मैं नहीं मानता।

जहां तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है सरकार को कितना नुकसान हो रहा है, इसकी सूचना सदन के समक्ष हो, यह न तो सम्भव है और न आवश्यक ही। ऐसी सूरत में माननीय सदस्य ने जो आपत्तियां उठाई हैं उनको मैं अस्वीकार करता हूँ। अब जो प्रस्ताव सदन के समक्ष है उस पर मत–दान होगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, अभी इस पर मत दान लेने से पहले यह आवश्यक है कि इस बारे में माननीय रावराजा श्री सरदारसिंहजी ने जो प्रस्ताव रखा था कि यह जन मत जानने के लिये प्रसारित किया जाय उसको पहले लिया जाना चाहिये।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री) : He has moved the motion. उन्होंने इस पर यह भी कहा था कि अगर यह जन मत जानने के लिये प्रसारित नहीं किया जाता है तो इसको कम से कम सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय और इस तरह से मोशन पर डिबेट हो चुकी है उस पर ठाकुर श्री मदन-सिंहजी ने भाषण दिया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, point of order, Sir, I would draw your attention to rule 65:, "65. Publication after introduction-As soon as may be after a bill has been introduced, the Bill unless it has already been published, shall be published in the Gazette."

अध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरी सूचना है और जानकारी है यह विधेयक सदन में पुरःस्थापित किये जाने के बाद राजपत्र में अब तक प्रकाशित नहीं किया गया है और इसका

Page No 48

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

राजपत्र में प्रकाशित किया जाना आवश्यक है । जैसे words रूल ६५ में दिये हैं और जैसी नियमावली है उसके बाद ६६ आता है तो जनरली क्लॉज़ का जो इन्टरप्रिटेशन होता है उसके हिसाब से मैं अर्ज करूंगा कि चूंकि रूल ६५ पहले हैं और ६६ बाद में, इसलिये जब तक ६५ की कम्पलाएन्स नहीं होती यानी यह विधेयक इन्ट्रोडक्शन के बाद गजट में प्रकाशित नहीं हो जाता तब तक सदन में इस पर विचार नहीं हो सकता ।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : मैं दूसरा पोइन्ट ऑफ आर्डर रेज़ कर रहा हूँ ।

श्री अध्यक्ष : पहले इसका तो फैसला हो जावे । कोई माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं तो बोलें ।

श्री दामोदरलाल व्यास : पहले प्रकाशित हो जाना, यह जरूरी नहीं है । इसमें यह लिखा है :—

"As soon as may be after a Bill has been introduced, the Bill, unless it has already been published, shall be pubished in the Gazette." But it is not a condition precedent to its being taken into consideration That does not mean that पब्लिकेशन के बाद ही हो सकता है ।

That is a wrong interpretation. It is not necessary that it should be published before it is taken in to consideration. We have done itso many times. You cannot put words in the rules which are not there.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह सवाल नहीं है । जनरली जो सेक्शन पहले आता है उसका कम्पलायेन्स करने के बाद अगले सेक्शन का एप्लीकेशन होता है । तो इसके अनुसार चूंकि क्लॉज़ ६६ बाद में रखा गया है इसलिये पहले ६५ की कम्पलायेन्स होनी चाहिये । अब आप बताईये कि इसका कम्पलायेन्स हुआ क्या और इन्ट्रोडक्शन के बाद में इसका पब्लिकेशन गजट में हुआ क्या ? अपने दफ्तरों में दबा दबा कर बैठ गये हैं कागज ।

श्री दामोदरलाल व्यास : I said it is not necessary.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेरा प्रश्न यह है कि आया इसको कन्सीडरेशन में लिये जाने से पहले इसका गजट में प्रकाशित होना जरूरी है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : आपकी आपत्ति यह है कि रूल ६५ के अन्तर्गत किसी विधेयक पर विचार तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि वह गजट में प्रकाशित न हो गया हो । अगर यह विधेयक गजट में पहले प्रकाशित हो जाता तो उसको पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती और चूंकि वह अभी तक गजट में प्रकाशित नहीं हुआ है इसलिये आज यह प्रस्ताव करना पड़ा कि सदन की अनुमति से इसे पुरःस्थापित किया जावे ।

(श्री अध्यक्ष)

अब दूसरा प्रश्न जो इसके सम्बन्ध में रखा गया है वह यह है कि जब तक यह गजट में पब्लिश न हो जावे तब तक उसे यहां विचारार्थ ले सकते हैं या नहीं ? तो मेरी इस बारे में ऐसी मान्यता है कि रूल ६५ में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जो गजट में प्रकाशित होने से पहले लेने से रोकता हो । अतः माननीय सदस्य की आपत्ति अस्वीकार की जाती है ।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा): मैं दूसरा पोइन्ट ऑफ ऑर्डर यह पेश कर रहा हूँ....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ऐसा होना चाहिये या नहीं ? क्या ये रूल्स मेन्डेटरी हैं या नहीं, यह भी देखना जरूरी है, नहीं तो हमेशा के लिये इस तरह की छूट मिल जावेगी । वे आगे किसी विधेयक को छपाने की, गजट में देने की जरूरत ही नहीं समझेंगे ।

श्री अध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय ।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा): जयपुर मातमी रूल्स (वैधकरण) विधेयक, १९६१ पर थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूँ । उसके....

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : What is the Point of Order ?

श्री अध्यक्ष : निवेदन के लिये तो बहस का मौका देंगे ।

श्री दयाकृष्ण विजय : जिस समय रूल्स बने, हो सकता है उसके बनाते वक्त राजा के हस्ताक्षर नहीं हुए, पर राजा ने कुछ जागीरदारों को उत्तराधिकार दिये और जो नियम थे उनका पालन किया । अब एक तरफ तो नियमों के अनुसार बराबर काम होता गया, दूसरी तरफ उन पर हस्ताक्षर नहीं होने से वे वैध नहीं हुए तो अवैध होने का डर बताया जा रहा है और इससे सरकार को कितना नुकसान होगा, यह सवाल अलग है । पर इससे यह सवाल खड़ा होना चाहिये.......

श्री दामोदरलाल व्यास : Sir, what is the Point of Order after all ? He should state the Point of Order first and then ask the question

श्री दयाकृष्ण विजय : मैं आ रहा हूँ अपने पोइन्ट ऑफ ऑर्डर पर । जो रूल्स एग्ज़िस्टेन्स में आज नहीं हैं उनके कम्पलीकेशन के विषय में न जाते हुए भी पहले यह विचार करें कि इन रूल्स के ऊपर भी एग्ज़िस्ट हो सकते हैं या नहीं ? जो एग्ज़िस्टेन्स में कानून नहीं है तो हम वैध भी किसको करें ? अगर पहले कोई जिस किसी भी तरह का कानून हो तो उसकी वैधता अवैधता पर सोचा जा सकता है, पर यहां तो वैध या अवैध कोई कानून ही नहीं है एग्जिस्टेन्स में ।

श्री अध्यक्ष : इसीलिये तो यह आवश्यकता महसूस हुई है ।

श्री दयाकृष्ण विजय : मेरा पोइन्ट यह है कि अगर कोई कानून पहले बना हुआ होता तब तो उसकी वैधता और अवैधता की बात समझ में आ सकती थी, पर जो एग्जिस्टेन्स में ही नहीं है कोई कानून तो उस स्थिति में तो सरकार को एक नया कानून ही

(श्री दयाकृष्ण विजय)

सामने लाना चाहिये था। आज तो ये कह रहे हैं कि अपूर्ण सा पहले का कोई कानून है उसको ही कानून मान कर उसको वैध किया जावे, तो यह तो बहुत बड़ी खामी है।

श्री अध्यक्ष : There is no Point of order involved.

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : अभी भी साइन करवा कर उसे यहां रखते तो भी ठीक था।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़) : अब उनके दस्तखतों की क्या वेल्यू है ?

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : मैंने कॉन्स्टीट्यूशनल और लीगल पोइन्ट दोनों रखे थे। अगर राजप्रमुख के दस्तखत भी थे तो भी उसे नहीं कर सकते। ऐसी सिचुएशन में यह और है कि हाई कोर्ट का डिसीजन है इसमें १०–१५ मिनट ठहर जावें। ऐसा हाई कोर्ट का डिसीजन है Even the H. H, did not have the powers. फिर भी उनको अधिकार नहीं है कि इन चीजों पर मातमी के सम्बन्ध में कोई नया कानून लाया जाये।

श्री अध्यक्ष : जैसा कहते हैं वैसी स्थिति है और हाई कोर्ट की रूलिंग है तब तो इस प्रकार अपनी व्यवस्था दे सकते हैं।

श्री मदनसिंह : एक बार चैलेन्ज हो गया कोर्ट से, केसेज़ पोइन्ट आउट हो गये। हाई कोर्ट ने डिसीज़न दिया है कि नहीं रख सकते ऐसा लॉ। फिर अगर आप बनावेंगे ऐसा लॉ तो लोग फिर कोर्ट में जावेंगे। फिर आप यहां लेजिस्लेशन लावेंगे। तो क्या यह अच्छा लेजिस्लेशन होगा ? सौ पचास आदमियों के लिये आप कोई लॉ बनावें, यह कहां तक उचित है ? हाई कोर्ट के ऑर्डर को भी ध्यान में रखना कुछ जरूरी है लेजिस्लेशन में।

श्री अध्यक्ष : Should we proceed on to vote on the motion ?

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : मैं कुछ कहना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष: मैं तो कह रहा हूँ, माननीय सदस्य बोलना चाहें तो बोल सकते हैं।

श्री मदनसिंह : तो जो सदन के समक्ष हम कानून बनाने जा रहे हैं, पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर होते हुए भी कुछ कुछ प्रकाश डाला, पर इस कानून के बनाने के लिये जब तक कम से कम कोई अच्छे ग्राउन्ड्स न हों तब तक ऐसा कानून बनाना प्रजातन्त्र के विरुद्ध है। हमारा संविधान बन चुका है। प्रत्येक नागरिक के लिये एक तरह का कानून बन चुका है। यही नहीं, दस–ग्यारह साल बीत जाने के बाद इसे सारी जनता जान भी चुकी है। कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी इस सम्बन्ध में अपने कई निर्णय दे चुके हैं। इसके बावजूद भी कुछ ऐसे जागीरदार हैं जिनको स्वार्थवश जयपुर महाराजा के डिसीजन लेने के बाद भी इस सरकार ने कुछ अपने ढंग से-पक्षपातपूर्ण ढंग से, कुछ जागीरदारों को इस कानून के तहत में नये ढंग से जागीरें बक्शी हैं और जिनका इस असेम्बली में विरोध हुआ है, उनके करेक्शन के लिये उन पर

(श्री मदनसिंह)

लीपापोती करने के लिये, अपनी गल्तियों को ठीक ढंग से कराने के लिये यह कानून बना रहे हैं ।

और जिनका मसला अध्यक्ष महोदय, मैं फिर....

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): किनको जागीर दी गई ?

श्री मदनसिंह : मैं बताता हूँ ।

श्री दामोदरलाल व्यास : मलसीसर वाला केस तो नहीं है, जिस समय आप अक्सर मेरे पास आया करते थे ?

श्री मदनसिंह : मलसीसर का केस कोई बाला-वाला ठीक का नहीं है । अध्यक्ष महोदय, यह सवाल पहले भी आया था और शायद सदन के माननीय सदस्य इस मसले को नहीं समझे थे । उन्होंने समझा कि यों ही किसी जागीरदार का होगा । चौकड़ी के केस में, जिसमें महाराजा श्री माधोसिंह जी ने श्री जीवनसिंह को हकदार कर दिया था और फिर वह मसला हिज़ हाइनेस, जयपुर के पास आया । वही केस जिसको महाराजा श्री माधोसिंहजी ने बहाल किया था उसके ऊपर फिर डिसीज़न महाराजा जयपुर ने दिया था उस केस को फिर राजस्थान सरकार के उस समय के रेवेन्यू मिनिस्टर जो आज चीफ मिनिस्टर हैं, उस समय श्री जीवनसिंह को मलसीसर की गद्दी का हकदार बनाया, जिसके लिए मैंने ऑब्जेक्शन किया था और मैं जानता हूँ, अध्यक्ष महोदय, इस केस को ज्यादा स्टडी किये हुए हैं । आज वह केस कॉन्सटीट्यूशन ऑफ इन्डिया के कुछ अनुच्छेदों का कोटेशन देकर हाई कोर्ट में कर रखा है । ऐसे क्योंकि १०-१५ केसेज है जो सरकार ने अपने मन से राजप्रमुख के समय में दूसरे जागीरदारों स्थापित कर दिया है उनके लिए हाई कोर्ट ने कहा कि ये वेलिडेट नहीं हो सकते । उनके वेलिडेशन के लिए यह कानून बनाने जा रहे हैं ताकि क्योंकि बड़े बड़े घोटाले हुए हैं या नजराने हुए हैं वह चौड़े आते हैं । वह माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर साहब पर प्रेशर डाल रहे हैं । आप उस समय रेवेन्यू मिनिस्टर नहीं थे । यह केस आपके टाइम का नहीं था, चीफ मिनिस्टर जब रेवेन्यू मिनिस्टर थे, उस समय के केसेज हैं । अब वे जागीरदार चाहते हैं कि चूंकि हमारे हक खत्म हो चुके हैं इसलिए आज सरकार चाहती है कि उन केसेज की हम खुद सुनवाई करेंगे । ऐसे केसेज़ जयपुर में ज्यादा थे ।

इसलिए अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं सोच सकते हैं कि यह कितना न्याय संगत है ? जागीरी लॉ बन चुके हैं, उनके फैसले हो चुके हैं और जागीरदार भी नये लॉ के मुताबिक अगर जयपुर का आदमी है और जोधपुर में शादी हुई होती है तो उस जागीरदार का वहां जाकर जैसा हम कहते हैं ससुर के घर पर भी अधिकार हो सकता है । वे लोग भी इफैक्टेड हैं कि वे जयपुर के जागीरदार बन गए । अध्यक्ष महोदय, ऐसा लॉ किसी भी सदस्य को नहीं पास कराना चाहिए जिसके लिए बहुत कुछ लॉ बन चुके हैं, जागीरों के मसले तय हो चुके हैं । मैं समझता हूँ कि, अध्यक्ष महोदय, कोई जागीर अभी देनी नहीं है जिसके लिए अर्जेन्सी हो । सिर्फ अभी

(श्री मदनसिंह)

सवाल यह आता है कि कम्पेन्सेशन किसको मिले ? अब कोई जागीर का मसला तय होता तो मैं मानता हूँ कि माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि जितने भी पेन्डिंग केसेज़ हैं उनकी मातमी का फैसला होना जरूरी है। तो केवल कम्पेन्सेशन का प्रश्न रहता है कि वह किसको मिले, इसके सम्बन्ध में जागीर के कानून बन चुके हैं और सिविल में जाकर उनको सिविल सर्टीफिकेट लेना पड़ता है। मैं समझता हूँ कि जो जागीरदार गवर्नमेन्ट के सामने दर्ख्वास्त रखेंगे वह सिविल कोर्ट में भी रख सकते हैं और मैं समझता हूँ कि इसमें सिविल कोर्ट ही फाइनल डिसीज़न दे। जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा कि जो पेन्डिंग केसेज़ हैं हम सही रूप में उनमें डिसीज़न देना चाहते हैं तो इसके बाद क्या होगा कि उनको फिर भी सिविल कोर्ट में जाना पड़ेगा। इसका मतलब तो यह है कि सिविल कोर्ट के राइट्स रेवेन्यू मिनिस्टर में निहित होते हैं। इसका मतलब यह है कि बिल्कुल एक आदमी को ताकत दी जा रही है, जो राजा-महाराजाओं की ताकत थी और मैं समझता हूँ कि जैसे पुराने जमाने में भिश्ती था उसे एक दिन का राज्य देकर भारतवर्ष में चमड़े के सिक्के चलवाये थे वे कुछ दिन के लिए रेवेन्यू मिनिस्टर साहब को आज प्रजातन्त्र में वे अधिकार दिये जा रहे हैं, जो, मैं समझता हूँ, ऐसे अधिकार असेम्बली को भी नहीं हो सकते कि जब जागीरें खत्म हो चुकी हैं और इस युग में उन कानूनों को वापिस लेना चाहते हैं जो कि जयपुर महाराजा के कानून बने हुए थे।

अध्यक्ष महोदय, कानून की दृष्टि से और कॉन्स्टीट्यूशन की दृष्टि से एग्ज़ाम्पल दी थी जिसको इवेड करने की कोशिश की। हाई कोर्ट के डिसीज़न में यह भी था कि क्योंकि वे लॉ ठीक ढंग से बने हुए नहीं थे और राजप्रमुख के दस्तखत नहीं थे, जयपुर महाराजा के टाइम पर कोई लेजिस्लेशन नहीं था, इसलिए हाई कोर्ट ने उसका भी रेफरेन्स दिया था कि ये लॉ ठीक नहीं हो सकते और साथ ही साथ यह भी दिया था कि जिसके अन्दर कई केसेज़ हैं। यह भी मान लीजिए कि जयपुर राजप्रमुख को अधिकार था फिर भी कॉन्स्टीट्यूशन ऑफ इन्डिया में ये अधिकार बिल्कुल गलत थे। इसलिए हाई कोर्ट डिसीज़न देता है कि यह कॉन्स्टीट्यूशन ऑफ इन्डिया के विपरीत कानून बन रहा है। इसलिए माननीय सदस्यों को यह भी सोच लेना चाहिए, इस कानून को पास करने के पहले कि हम भारत के संविधान को चैलेन्ज कर रहे हैं जिसके जरिये आज राजा, महाराजा और जागीरदारों के पुराने रीति–रिवाज और कानून खतम हो चुके हैं। उनको आज आप पास करने जा रहे हैं। आज आपका राज्य है कल जागीरदारों का भी हो सकता है इसलिए सर्टेन कानून प्रजातंत्र में असेम्बली के जरिये लायेंगे तो आपको भी कोई हक नहीं होगा कि उन कानूनों को आप चैलेन्ज कर सकें। इसलिए ही यहां पर १० साल का टाइम रखा है। वैसे केसेज़ तो ३५ वर्ष पुराने भी हो सकते थे जिनकी फाइलें पड़ी हैं। तो, दस साल का मतलब यह है कि जितने इन्होंने अपने टाइम में फाइनल किये हैं और जिनको हाईकोर्ट में चैलेन्ज करके हाई कोर्ट ने उनकी खिलाफत की है तो उनको, असेम्बली के जरिये उन केसेज़ को लेकर सरकार अब स्वयं उनमें डिसीज़न दे।

(श्री मदनसिंह)

अध्यक्ष महोदय, जहां तक रेवेन्यू मिनिस्टर साहब का फरमाना था कि आपको पता नहीं कि इससे कितने जागीरदारों को तकलीफ मिलेगी, मैं तो समझता हूँ कि इससे ज्यादा तकलीफ मिलेगी। अगर आज जागीरदार सिविल कोर्ट्स से डिसीज़न लेते हैं तो उनको डिसीज़न जल्दी मिलेगा बजाय इसके कि एक कोर्ट बीच में रेवेन्यू मिनिस्टर साहब की ओर आ गई और रेवेन्यू मिनिस्टर के पास दख्वास्त आयेगी। मैं नहीं समझता कि आज प्रजातंत्र के जमाने में एक ही रेवेन्यू मिनिस्टर रह सकता है। दूसरे आये उसकी क्या भावना हो, पता नहीं। इसलिए यह जागीरों का प्रश्न इतना सिंगर आन करने की कोशिश कर रहे हैं, जिन जागीरदारों के सिविल सर्टीफिकेट्स आ चुके हैं वह भी लेजिस्लेचर के पास होने के बाद उनके भी सिविल सर्टीफिकेट्स खतम हो जाते हैं और फिर नये जागीरदार दख्वास्त करके नये जागीरदारों का रेवेन्यू मिनिस्टर साहब तक का सीमित कोर्ट बन जायेगा। मैं समझता हूँ कि इससे ऐसी हवा चलेगी कि राजस्थान में जिन जागीरदारों के शान्ति से कम्पेन्सेशन तय हो गए वे लोग भी अपने अपने रेकॉर्ड पेश करेंगे और कहेंगे कि आपको राइट्स हैं कि जो केसेज़ सिविल सर्टीफिकेट लिए हुए हैं वे भी इसमें आ गये हैं। इसलिए जो असेम्बली पास करती है और कोर्ट के डिसीजन हैं, रेवेन्यू बोर्ड के डिसीजन हैं उनकी भी सब सुनवाई मिनिस्टर साहब के जरिये होगी। तो आप समझ सकते हैं कि यह क्या तमाशा हो रहा है? यह सिविल कोर्ट्स के डिसीज़न के ऊपर क्या तमाशा हो रहा है और जिन जागीरदारों को कम्पेन्सेशन मिल चुका है और डिसीज़न हो चुका है उनको प्रोपर राइट्स और कम्पेन्सेशन मिल चुके हैं उनके वापिस झगड़े होकर आयेंगे। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि कानून को समझने वाले इस कानून के लिए क्या सोचेंगे कि आज इस युग के अन्दर सब डिवीज़न और सारी पोज़ीशन साफ हो चुकी है और एक सर्टेन सेक्शन और उसमें भी सर्टेन आदमी जिसके साथ सही ढंग का न्याय हो चुका है उसकी वापिस रेवेन्यू मिनिस्टर साहब के पास आकर मातमी केसेज की सुनवाई होगी। इसलिए मैं समझता हूँ कि यह ठीक नहीं है।

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, जिसको मैं कह भी चुका हूं कि यह मातमी किस चीज़ की है। यह मातमी, किस चीज़ का कानून जयपुर के टाइम में माना जा रहा है। किस चीज पर क्या है? अगर किसी खेत की मातमी है तो मैं मानता नहीं क्योंकि आजकल खातेदारी राइट्स के अलग रूल्स हैं। जब कोई चीज़ नहीं है, जागीर खतम हो चुकी है, जो चीज़ नहीं है, उसके लिए वापिस रूल्स को फ्रेम कर रहे हैं। जो चीज़ खतम हो चुकी है, जो लॉ लग चुका है, जागीरें रिज्यूम हो चुकी हैं उनके लिए सिविल सर्टीफिकेट होगा, फिर जाकर कम्पेन्सेशन मिले। मैं समझता हूं, यह एक अच्छा कानून नहीं होगा। इसके लिए और भी एग्ज़ाम्पल जो माननीय सदस्य दिन रात जागीरों के केसेज़ लड़ रहे हैं, वे कहेंगे। आज जो रेवेन्यू मिनिस्टर साहब ने तरीका दिया है वह तरीका उचित नहीं है।

तीसरा, अध्यक्ष महोदय, हमारा जो एक कानून सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। पेंडिंग इस-उसलिए हैकि में हाई कोर्ट बिल्कुल साफ है

(श्री मदनसिंह)

कि कॉन्स्टीट्यूशन के ऑफ इंडिया खिलाफ है और राजप्रमुख के रूल्स पर ठीक ढंग से दस्तखत नहीं हुए थे, केवल माननीय खेरीजी के एफिडेविट पर रूल्स बने हुए हैं । एक व्यक्ति के एफिडेविट पर रूल्स बने हैं तो उन रूल्स को सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट ने चैलेन्ज किया है, वेलिटी का फैसला करें । मान लीजिये कि जो ये रूल्स पास करते ये और सुप्रीम कोर्ट ने वही डिसीज़न दिया जो कि हाईकोर्ट, जयपुर ने दिया है तो मैं समझता हूं कि उसका मतलब क्या होगा । सुप्रीम कोर्ट के डिसीज़न को चैलेन्ज करके आज पेश किया है और यह दुरुस्त है, अध्यक्ष महोदय, कि जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया है उसको शायद मैं कहता हूं कि मान्यता दे सकती है सुप्रीम कोर्ट कि जयपुर दरबार के रूल्स सही नहीं थे और भारत के विधान के खिलाफ यह कानून बना है । अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि वह भारत के संविधान के विपरित जयपुर मातमी रूल्स हैं तो इस लेजिस्लेचर की क्या हालत होगी ? इसका मतलब यह है कि भारत के सविधान के खिलाफ एक चीज़ है । हाई कोर्ट कहती है कि भारत के संविधान के खिलाफ यह चीज़ है, उसको चैलेन्ज सुप्रीम कोर्ट में किया है, उसका डिसीज़न नहीं हुआ है । उसको आप लोग जानते हैं कि भारत के संविधान के खिलाफ है, उसको चैलेन्ज किया है, उसको विथ्ड्रॉ करना पड़ेगा । केवल कुछ जागीरदारों को खुश करने के लिए कि अमुक अमुक तारीख को हमने तुमको वायदा किया था उस वायदे की पूर्ति के लिए यह कर दिया । हम क्या करें सुप्रीम कोर्ट ने भारत के संविधान के प्रावधानों के खिलाफ आ रहा था तो उन्होंने यह कर दिया । जो १००, ५० में किया जायगा उसी में आयगा और वापिस उठायेंगे । यह अच्छे लेजिस्लेचर का काम नहीं है कि ऐसा लॉ लिया जाय जब कि साफ लॉ बन चुका है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जागीरें तो मिलने वाली नहीं हैं, वह तो बिल के रूप में रिपोर्ट हो चुकी है ।

मातमी किसको कहते हैं अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी इजाजत हो तो सबको सुना दूं ? मातमीदार एक जागीर का कब्जा है, यह चीज़ नहीं है । शेखावाटी में मातमीदार एक है और जमीन के राइट्स, जमीन के भोगने वालों को हैं । जैसे ५०० बीघा की जागीर है । उसकी मातमी होती है श्री करणसिंह के नाम पर, लेकिन उसके भोगते हैं ५० आदमी इससे स्पष्ट होता है कि मातमी से ओनर नहीं बनता है । ओनर बन कर कम्पेन्सेशन ले जाय, यह गलत बात है । आज रेवेन्यू मिनिस्टर साहब यह चाहते हैं, लेकिन शेखावाटी के अन्दर केवल कम्पेन्सेशन मातमीदार को दिया है ? मातमीदार एक था, उसके को-शेयरर्स हैं । उनको कम्पेन्सेशन दिया है । जागीरें तो मिलने वाली नहीं हैं । कम्पेन्सेशन के लिए यह डिसीज़न हो रहा है, अध्यक्ष महोदय । तो मेरा यह स्ट्रोन्गेस्ट पोइन्ट है कि मातमीदार के फेवर में लॉ हो जायगा लेकिन फिर भी कम्पेन्सेशन उसके को-शेअरर्स को बराबर मिलेगा जो जमीन के जागीरदार हैं । इसलिए यह लॉ आया है । अगर एक मातमीदार का प्रश्न आता है तो जहां यह क्लिअर है कि एक मातमीदार है लेकिन भोगता होगा उसी को कम्पेन्सेशन मिलेगा । यही लॉ का मतलब है । किसी को जागीरी तो नहीं दे सकते । मातमीदार है उसको पूरा कम्पेन्सेशन

(श्री मदनसिंह)

नहीं मिलता है। उसके को-शेअररर्स हैं उनको भी मिलता है। बाकी जो कम्पेन्सेशन है जागीर का वह हजारों की संख्या में कम्पेन्सेशन मिल रहा है। इसलिए लॉ स्टेन्ड नहीं करता है। तो यह किस चीज के लिए हो रहा है? को-शेअररर्स को आप जागीरदार मान चुके हैं। सेटलमेंट के रेकॉर्ड में जिनका कब्जा है उनको कम्पेन्सेशन दे रहे हैं। उनको जागीरदार माना है। तो ये रूल्स किस पर लागू करना चाहते हैं? मातमीदार को जागीरदार उसी स्टेज पर मानते हैं और उसके को-शेअररर्स भी जागीरदार हैं। तो मैं समझता हूं कि कहां डिफिकल्टी आती है? जो एक जागीरदार सेटलमेंट के रेकॉर्ड में जागीरदार है, आज भी जो जागीर लॉ है उसको मानता है, इसलिए यह नौबत क्यों आ रही है? किसी को जागीरी काटनी है कि यह नौबत आई है? इसलिए मैं समझता हूं कि मेरा सबसे बड़ा जो आग्र्यू-मेंट है कि मातमीदार ही जागीरदार नहीं है। आपने जब उसके लिए कोशेअररर्स को जागीरदार मान लिया है, इसलिए मैं समझता हूं कि सिवाय ५-१० जागीरदारों को खुश करने के लिए, पुराने वायदे हैं, पुराने घोटाले हैं उनको दबाने के लिए हो सकता है। जैसा कि मैंने जिक्र किया है कि २-३ रूलर्स के फैसलों को कुछ मिनिस्टर्स ने बैठ कर उनके खिलाफ यह देकर उनको रिवर्ट किया है जिसका रेवेन्यू बोर्ड में तय हो सकता है रेवेन्यू बोर्ड के डिसीज़न्स को लॉ में लाकर खतम करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि फिजूल लॉ बना रहे हैं। केवल उन लोगों को संतोष दिलाने के लिए कुछ फेवर किया था उसके लिए बना रहे हैं। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, आज के प्रजातन्त्र के युग में ऐसा रेफरेन्स देकर आज रूलर्स के लॉ को एक्सटेन्ड करना चाहते हैं, यह प्रजातन्त्र को बहुत बड़ा चैलेन्ज है और घातक सिद्ध हो सकता है। सन् ६२ में दूसरी असेम्बली भी ऐसे कानून पास करेगी और आप रोक नहीं सकेंगे। कई मर्डर कैसेज़ ऐसे हैं कि जो न्यायपूर्ण होने चाहिए थे। जयपुर दरबार के रूल्स को लॉ कर सकते हैं। दूसरे लॉ को, अध्यक्ष महोदय, आपने फर्माया था कि इतने लॉ बने हैं उनके लिए क्यों नहीं हुआ, केवल जागीरदारों के लिए ही क्यों हो रहा है? इसलिए प्रश्न नहीं उठता कि जिसको इफेक्ट करने वाली चीज है। जिनको इफेक्ट करने वाली चीज थी जागीरदारों को, उनको कम्पेन्सेशन मिल चुका है। उनके को-शेअररर्स को मिल चुका है। इसलिए ऐसा कानून इस युग के अन्दर पास करना, मैं समझता हूँ, उचित नहीं होगा।

श्री तेजमल बापना (बनेड़ा): अध्यक्ष महोदय, जो मातमी रूल्स के वेलिडेशन का प्रश्न सदन के सामने है उस पर मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। कि यह जैसा कि बतलाया गया है कि सन् ४४ में ऐसा कोई एक अधिनियम बना जिसमें जयपुर स्टेट में मातमी के कुछ मसले तय किये जाते थे। आज सन् १६६१ का यह जमाना है जब कि सन् ५४ में ही बहुत सी जागीरें रिज्यूम हो चुकी हैं और हो सकता है कि इनकी मातमी का प्रश्न तय भी हो चुका हो। जहां तक उन रूल्स के देखने का प्रश्न है, अच्छा होता यदि उनको देखने का थोड़ा समय हमको मिलता तो हम उसकी गहराई में जाते, उसके खास खास प्रावधान हैं उनको देखने का हमको अवसर मिलता। मुझे यह कहना है, अध्यक्ष

(श्री तेजमल बापना)

महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि सरकार को इसमें हजारों रुपयों का नुकसान होगा और काफी परेशानी उठानी पड़ेगी मेरे यह बात समझ में नहीं आई कि गवर्नमेंट ने तो ग्रान्ट्स दी थीं, जागीरें जो दी थीं उनको रिज़्यूम कर लिया और पर्टिक्युलर क्वेश्चन में कम्पन्सेशन पाने का हकदार घोषित कर दिया है तो अब ए के बजाय यदि बी आता है और क्लेम करता है तो उससे गवर्नमेंट को कहां नुकसान होने की संभावना है? और कहां परेशानी की सम्भावना है? जहां तक जागीर रिजम्शन का प्रश्न है·······

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री) कोई कम्पन्सेशन ले भी गया हो तो?

श्री तेजमल बापना : तो उसके लिये प्रावधान है, कोई रोंग पर्सन कॉम्पन्सेशन ले गया है तो उससे वापिस वसूल करके राइट पर्सन को दिया जा सकता है, दावा करके दिया जा सकता है·······

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : गवर्नमेन्ट दावा करती फिरेगी?

श्री तेजमल बापना : लेकिन मुकदमे से गवर्नमेन्ट को कहां परेशानी आती है, कहां अधिक पैसा दिया जाता है? इसके बजाय इतने फैसले हो चुके हैं उनमें गवर्नमेंट कहां आती है? इन सब का स्पष्टीकरण बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ मातमी रूल्स भी देखने हैं इसलिये इसको डेफर कर दिया जाय तो उचित होगा।

श्री माणकचन्द कोठारी (जयाल) : अध्यक्ष महोदय, इन मातमी रूल्स पर काफी देर से वाद–विवाद हो रहा है। जहां तक मैं समझ पाया हूँ, एक सरल सी बात यह है कि सन् १६४४ या १६४५ में ये मातमी रूल्स जयपुर स्टेट में बने थे। अभी जो फैसला हाई कोर्ट का हुआ है वह इस बिना पर हुआ प्रतीत होता है कि जयपुर स्टेट में जो रूल्स बने उन पर महाराजा साहब के हस्ताक्षर नहीं हैं। हम यह बात जानते हैं कि जो गजट में उस समय नोटिफिकेशन प्रकाशित हुआ वह रेवेन्यू सेक्रेटरी की तरफ से हुआ और उस समय महाराजा साहब की सेंक्शन बिना गजट में नोटिफिकेशन के प्रकाशित हो जाना संभव नहीं था और उस जमाने में महाराजा साहब सोवरिन बॉडी थे, हिज़ हाईनेस के नाम से जो गजट में निकल जाता था वह कानून समझा जाता था। यह बात भी हो सकती है कि जब मुकदमा चला हाई कोर्ट में, सन् ४५ से ५१ के बीच में किसी ने उसको चैलेन्ज नहीं किया; क्योंकि यह बराबर समझा जाता रहा कि यह महाराजा साहब का कानून है, कोई इसको चैलेन्ज नहीं कर सकता। लेकिन इसके बाद इसको चैलेन्ज किया या चुनौती दी और हिन्दुस्तान का विधान आया। यह भी सम्भव हो सकता है कि उसकी इन्टरेस्टेड पार्टी द्वारा फाइल हटा दी गई हो और सरकार के सामने मजबूरी पैदा कर दी हो जिसके कारण सरकार हाई कोर्ट में वह फाइल पेश नहीं कर सकी और महज इस बिना पर, मुकदमा फैसल हो गया। मैं यह भी समझता हूँ कि जितने पेन्डिग केसेज हैं उनसे भी ज्यादा हजारों फैसले हो चुके होंगे। यदि इसको वेलिडेट नहीं करेंगे तो जितने अभी फैसले हो चुके हैं उनसे ज्यादा हजारों और खड़े हो जायेंगे। इसलिये इसको वेलिडेट इस बिना पर करना आवश्यक

(श्री माणकचन्द कोठारी)

है कि ४५ से ५४ के बीच में जितने हुए हैं वे नये सिरे से चैलेन्ज नहीं किये जायेंगे।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि इस कानून के बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट यह भी फैसला कर सकता है कि यह विधान के विपरीत है। सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करें, कानून का इन्टरप्रिटेशन करने का उनको अधिकार है। लेकिन लेजिस्लेचर, स्टेट में रहने वाले लोगों के हित की बात समझता है, न्यायसंगत समझता है उस प्रकार के कानून बनाता है। सुप्रीम कोर्ट अपना फैसले करता रहेगा और लेजिस्लेचर अपना काम करता रहेगा। इसलिये इस भय से कि सुप्रीम कोर्ट में फिर जायेंगे और फिर उसके लिये कुछ होगा, इस दलील से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट नहीं भी करे। इसलिये मैं समझता हूँ १०० या २०० केसेज पेन्डिंग हैं उनकी ओर ही नहीं देखना चाहिये लेकिन हजारों केसेज जो फैसल हो चुके हैं उनमें कॉम्प्लीकेशन नहीं हो; इसको भी ध्यान में रखना चाहिये। वैसे हम भी नहीं समझ पाये कि यह मातमी कानून है क्या। यदि यह हमारे सामने होता तो ज्यादा अच्छी तरह से इस पर विचार कर सकते थे। लेकिन आज की परिस्थिति में जल्दी से जल्दी इसको वेलिडेट किया जाय।

(१०. २८. म. पू.)

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष पदासीन)

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी): उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर मातमी रूल्स अमेन्डमेंट के विषय पर बहुत से सम्माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रस्तुत किये हैं। मैं अपने विचार प्रकट करता हुआ सबसे पहले यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस विधेयक को हम सदन के सामने प्रस्तुत करें कम से कम वह सारे सदस्यों के बीच इतनी सफाई से आना चाहिये कि हर सदस्य उस विधेयक की मूल बात या मंशा को समझ सके। जहां तक मैं समझता हूँ माननीय मन्त्री महोदय ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है इस विधेयक के साथ में यदि वे इससे सम्बन्धित सारी सामग्री को भी प्रस्तुत करते, वे जो रूल्स पुराने थे उन सारे नियमों को प्रस्तुत करते और साथ ही साथ अब इसको वेलिडेट क्यों करना है, संशोधन क्यों करना है और किस प्रकार का नुकसान होता है, आम जनता या राज्य सरकार को किस प्रकार की दिक्कत खड़ी होगी, इन सारी बातों के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण जरा सफाई के साथ दिया जाना चाहिये था। लेकिन जब इस प्रकार से नहीं दिया जाता है तो स्वाभाविक है, ऐसा स्पष्ट मालूम पड़ता है कि इसकी मंशा चाहे वेलिडेट करने की दृष्टि से आम जनता के हित की हो, चाहे सरकार अपनी किसी दिक्कत को दूर करना चाहती हो लेकिन जहां तक सदस्यों के दिल और दिमाग का सवाल है वे ऐसा महसूस जरूर करते हैं कि इस मामले में मंशा कुछ दूसरी भी हो सकती है। तो मैं इस सम्बन्ध में सबसे पहले....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीज़न्स पढ़ा है या नहीं?

श्री मुरलीधर व्यास: पढ़ा है और कहें तो फिर पढ़ कर सुना दूं। इससे मतलब

(श्री मुरलीधर व्यास)

नहीं सध सकता। सामने चाहे कुछ भी हो, बात जितनी सफाई के साथ रखनी चाहिये वह नहीं आई और जो बातें सामने अभी आई उनसे स्पष्ट होता है कि सदन ने जो घन्टे भर पहले बहस की वह दूसरे तरीके से आई और असली मंशा दूसरे तरीके से प्रतीत होती है। एक बात मैं यह जरूर कहना चाहूँगा कि कोई भी मन्त्री हों, सदन में कानून बनाते हैं तो कानून बनाने वालों के सामने सारी बातें स्पष्ट आनी चाहिये।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि यहां सिर्फ इतनी ही बात कह देना कि, ठीक बात है, आम जनता के लिये, विधेयक में खास करके यह दिया है कि ठाकुर श्री जयसिंह बनाम ठाकुर श्री सौभागसिंह के मुकदमे में राजस्थान उच्च न्यायालय ने हाल ही में निर्णय दिया है कि मातमी रूल्स कभी विधि का प्रभाव नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते हैं और किसलिये वैध करना चाहते हैं ? मैं कहना चाहता हूँ कि इस बात पर यदि सोचते हैं तो सन् ४४, ४५ में जब से इस प्रकार के रूल्स लागू थे उनके अनुसार काम चलता था। उसके बाद में भी जब राजस्थान बना और राजप्रमुख के रूप में जयपुर हिज़ हाइनस ने काम किया, जहां तक वैधकरण का सवाल था उस समय भी राजस्थान सरकार आसानी से कर सकती थी, लेकिन उस मय नहीं हुआ। राजप्रमुख खुद हिज हाईनेस थे। लेकिन अब क्योंकि हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया है, इस आधार पर वैधकरण करना चाहते हैं तो ऐसा मालूम होगा कि राज्य अवश्य ही····

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री) : राज्य के बारे में क्या मालूम पड़ता है, वह भी बता दीजिये ताकि आपकी तेज राय को समझ सकें कि क्या राय है।

श्री मुरलीधर व्यास : सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूँ कि उसके अन्तर्गत यह जो एक मात्र आपत्ति थी कि हिज़ हाइनेस के हस्ताक्षर नहीं थे, इस सम्बन्ध में दलील दी गई कि उस समय ये सारी बातें हो सकती थीं और हस्ताक्षर नहीं थे तो उसके आधार पर यह कानून भी न जाने किस तरह से रहा हो। उसके बाद ही मातमी का जहां तक सवाल है वह यह था कि उस समय खुद हिज़-हाइनेस किसी जागीरदार की मौत होती थी तो उसके उत्तराधिकारी को वे अधिकार या सक्सेशन राइट देते थे। वह अधिकार देते और उसके बाद में पगड़ी आदि पहिनाते। इससे जो स्टेट ड्यूटी मिलनी चाहिए थी वह मिल जाती थी। इस प्रकार रिसास्ती समय में हिज़ हाइनेस अधिकार देते होंगे। फिर उसके बाद में राजा लोग तो चले गये और नये राजा आयें, मन्त्री महोदय भी इसी प्रकार देते रहे होंगे या····

श्री दामोदरलाल व्यास : आप किसी बात को नहीं जानते हैं तो उसकी जानकारी कर लें, बजाय इसके कि गलत बात कहें सदन के सामने। आप समझ लें कि मातमी का मतलब यह नहीं है जो आप समझ रहे हैं; मातमी सक्सेशन के केस के डिसीज़न को कहते हैं। मातमी का मतलब किसी को पगड़ी पहिनाना नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : सक्सेशन का डिसीजन आपने दिया यानी आपने ताज

(श्री मुरलीधर व्यास)

पहिनाया जो पहले राजा पहिनाते थे। आप कोई नई बात नहीं कह रहे हैं, मैं भी वही बात कह रहा हूँ। उसके बाद यह काम आपने किया, किसी तरह से किया। क्या यह नहीं हो सकता कि जिस किसी का अधिकार था उसको ताज न पहिना कर किसी दूसरे को ताज पहिना दिया हो?....

श्री उपाध्यक्ष : Why to depend upon surmises. I will request the Hon'ble member to come to the facts.

श्री मुरलीधर व्यास : मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस चीज में भी कई प्रकार, जैसा कि दांतारामगढ़ से आने वाले सम्माननीय सदस्य ने कहा, आपने अपने तरीके से फैसले दिये और उन फैसलों के आधार पर हाई कोर्ट में कुछ लोग पहुँचे और वहां अपनी बात रखी। बात रखने के आधार पर यह निर्णय हुआ कि इस प्रकार का जो कानून था, क्योंकि उसके ऊपर हस्ताक्षर नहीं थे, इसलिए यह वैध नहीं हो सकता। अब उसका रास्ता दूसरा भी है कि जो कुछ आपने फैसला दे दिया, निर्णय दे दिया, जिन लोगों के सिर पर ताज रख दिया, जागीरदारी मामलों का सक्सेशन दे दिया उसके बाद कानून के दरवाजे का यूज़ करते हैं, उस कानून के दरवाजे के ऊपर वे लोग पहुँच सकते हैं और उसका फैसला करा सकते हैं और उन्हें हर तरीके से न्याय मिल सकता है। हमारी समझ में यह नहीं आया कि इसके अन्दर सरकार को आर्थिक नुकसान क्या है, सरकार के सामने दिक्कत क्या हो सकती है? हो सकता है कि सरकार ने कोई फैसला किसी के पक्ष में दे दिया हो और वह न्याय के दरवाजे पर जाता है और वह फैसला आपके खिलाफ पड़ जाता है। परन्तु वह भी आखिर न्याय के दरवाजे पर इसका फैसला होता है। तो जो हमारी सरकार लेजिस्लेचर बनाती है, कानून बनाती है उसको मन्शा यह होती है कि हम दूसरों के लिए न्याय उपलब्ध करा सकें। न्याय दिलाने के लिए, जनता की सुविधा के लिए लेजिस्लेचर हो, इसलिए कानून बनाते हैं। जो न्याय के दरवाजे पर लोग जाना चाहें। उनका रास्ता खुला रहे। वहां पर आप ऐसा कानून क्यों बनायें कि दूसरों को कोई न कोई बाधा पहुँचे? जो सही तरीके से न्याय प्राप्त होना चाहिए, जैसा वे चाहते हैं, जो सही है उस तरह का न्याय उसको मिल जायेगा, उसमें आपको बाधक नहीं बनना चाहिए; क्योंकि इसमें न राज्य सरकार का नुकसान है और न अन्य किसी प्रकार का नुकसान है; बल्कि मैं तो कहता हूँ कि हो सकता है कि कोई गलत फैसला हमारे जमाने में हो गया हो और किसी को सक्सेशन का अधिकार दे दिया हो उस सम्बन्ध में कोई न्यायसंगत मामला हो सकता है। उसके लिए ए आये, बी आये, सी आये, जो भी आये, वह न्याय के दृष्टिकोण से न्याय के दरवाजे से न्याय प्राप्त करना चाहता हो। जब हाई कोर्ट की तरफ से फैसला हुआ है और उसमें कोई ऐसी बात नहीं जिससे राजस्थान सरकार का नुकसान हो, जनता का नुकसान हो। प्रश्न तो इतना है कि जो आदमी हकदार है, वह हक प्राप्त कर सकता है। केस लड़ने वाला केस लड़ेगा, पैसा लगायेगा, जो कुछ होगा। परन्तु हमारे लिए नुकसान नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस मामले के अन्तर्गत जहां मेरी समझ में बैठा है, जहां तक मैं समझ

(श्री मुरलीधर व्यास)

पाया हूँ ऐसे मामलों में राजस्थान सरकार को वैधकरण कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है। इससे न राजस्थान की जनता का सम्बन्ध है, न किसी और का सम्बन्ध है; सम्बन्ध इसका न्याय से है और जहां न्याय का दरवाजा खुला है उसको बन्द करने के लिए, रोकने के लिए, अपने आप में सारी मोनोपोली, न्याय के अधिकार ले लेने के लिए वैधकरण का कानून रखना अपने आप में बिल्कुल ठीक नहीं है। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूँ।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो वैधकरण विधेयक आया है इसके लिए मेरा निवेदन है कि आज प्रस्ताव यह है कि जनता के सामने इसको प्रकाशित किया जाय या नहीं। उसके साथ साथ मैं निवेदन करूं कि रियासतें मिल कर राजस्थान बना, उस समय अलग अलग रूल्स थे, अलग अलग कानून थे उनको विधान के जरिये वैध कर दिया गया। अब सवाल यह है कि जागीर रिज़म्शन एक्ट बना। उसमें जो सन् १९५२ में बना यह है कि कौनसी तारीख तक जो फौत हो चुकी है उन पर कौनसा कानून लागू होगा, उसके बाद पर्सनल लॉ कब लागू होगा। पर्सनल लॉ लागू होने से पहले जो जागीरदार फौत हो गये हैं उन पर कौनसा लॉ लागू होगा, पुराना कानून है वह लागू होगा। इस स्थिति में १९४४ में कई रूल्स बने। उन रूल्स का जयपुर स्टेट में कानून का रूप धारण किया हुआ था। उसके आधार पर राजस्थान बनने के बाद जयपुर की स्टेट के वक्त के दोनों लॉज़ थे, उनके रूल्स के तहत में केसेज़ में फैसला किया गया है। अब सवाल उपस्थित होता है कि कई मुकदमे हाई कोर्ट में गये। उन पर निर्णय दिया कि चूंकि इन पर हिज़ हाइनेस के दस्तखत नहीं हैं इसलिए यह वैध नहीं है, इसलिए रूल्स वैध नहीं हो सकते। कानूनी रूप में यह धारणा नहीं है, इन कानूनों के अनुसार दूसरी अदालत में जाना चाहिये।

अब सवाल है कि संविधान के खिलाफ कानून बनाया जा रहा है, यह प्रश्न उठाया गया। मैं निवेदन करूं कि संविधान के खिलाफ कानून नहीं है क्योंकि वैधकरण करने का लेजिस्लेचर को पूरा अधिकार है। अब नुकसान क्या होगा, यह प्रश्न उपस्थित होता है। मैं निवेदन करूंगा कि जागीर रिज़म्शन एक्ट लागू किया गया है, उसके तहत जो पुराने रूल्स थे उनके मुताबिक जिन जागीरदारों को मुआवज़ा दिया गया है उस मुआवजे का अगर वैधकरण नहीं किया जाय तो सिविल कोर्ट में दूसरे जागीरदार मालिक बन जाते हैं और कहते हैं कि पहले अवैधानिक रूप में मुआवजे का रुपया दिया गया है इसलिए अब यह राजस्थान सरकार की ड्यूटी है कि वह रुपया अदा करे। अगर गैर कानूनी अधिकार वाले व्यक्ति को राजस्थान सरकार रुपया अदा कर देती, तो दूसरा कानूनी दावा करे तो उसको भी राजस्थान सरकार रुपया देगी, न कि कोई दूसरा पेमेन्ट करने जायेगा। इस तरह मैं समझता हूँ कि राजस्थान सरकार पर करोड़ों रुपयों की आपत्ति आ सकती है। अब जो जयपुर मातमी रूल्स हैं उनके अन्डर में १९४४ से लेकर १९६० तक और आज तक फौत हुए या उसके पहले फौत हुए हैं तो उसके सम्बन्ध

(श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा)

में कार्यवाही उसके मुताबिक हुई है। इसलिए अगर वैधकरण नहीं किया गया तो दरअसल राजस्थान सरकार पर लाखों रुपयों का नुकसान होने का पूरा पूरा अन्देशा है।

अब सवाल यह है कि रूल्स नहीं हैं। मैं निवेदन करूं कि रूल्स हमारे सामने हों तो क्या हम उनमें हेरफेर कर सकते हैं, उनमें परिवर्तन–परिवर्धन कर सकते हैं ? हमारे सामने प्रश्न यह है कि जो रूल्स हैं उनको वेलिडेट करना है; यह नहीं है कि उनमें परिवर्तन या परिवर्धन करना है। फिर हमें रूल्स की आवश्यकता है। रूल्स के तहत जो मुकदमे तय हुए हैं और जो मुकदमे जयपुर स्टेट के, जिस तारीख से जागीर रिज़म्प्शन एक्ट लागू किया गया है उस तारीख से पर्सनल लॉ लागू होगा। जो केसेज़ पेंडिंग हैं, अगर यह वैधकरण नहीं किया गया तो पर्सनल लॉ में चले जायेंगे। इस तरह दो विपरीत दशाएं पैदा होंगी। यह मान लिया जाय कि यह वैधकरण है, जो फैसले दिये गये हैं वे ठीक हैं, लेकिन आज इस कानून को एक्ज़िस्टेन्स में नहीं रखते हैं तो सवाल आयेगा कि जो पुराने मुकदमे पड़े हुए हैं उनका नये कानून के मुताबिक फैसला करें या पुराने के मुताबिक, जिनकी मौत हो हो गई है उनके सम्बन्ध में पुराने कानून के अनुसार कार्यवाही होगी। मैं समझता हूँ इसलिए यह वैधकरण बिल लाया गया है, यह उपयुक्त है। अगर यह पास नहीं हुआ तो राजस्थान सरकार को बहुत नुकसान होने का अन्देशा है। इसलिए इसे पास करना चाहिये।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मातमी रूल्स के बारे में जो बिल पेश हुआ है उसके बारे में अभी जो बहस चली है, जिन लोगों ने इसका विरोध किया है और दिक्कतें बतलाई हैं ; वह तो उनके लिए स्वाभाविक है, कोई नई बात नहीं है क्योंकि वे लोग इस स्थिति को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि इसमें जो अवैधकरण से जो उलझनें हैं, हाई कोर्ट से जो फैसले हुए हैं, जो स्थिति पैदा हुई है उसका लोग फिर फायदा उठाना चाहते हैं। यह बात थी कि वे लोग हाई कोर्ट गये और एक टैक्निकल पोइन्ट पर कि सिर्फ उस पर दस्तखत नहीं हुए, जनता उन्हें मानती है, यह सरकार उन्हें मानती है कि ये रूल्स हैं और जागीरदार, जिनका फैसला किया है, वे मानते हैं कि ये रूल्स हैं। सरकार भी मानती कि है ये रूल्स हैं और सरकार ने उनको सत्य समझ कर उनके बारे में कुछ फैसले किये हैं, उन फैसलों के बारे में कोई विचार जो किसी वकील के दिमाग में आया उसने किसी को बतलाया कि इसको रोका जा सकता है, वे हाईकोर्ट में गये और केवल टैक्निकल पोइन्ट पर, सिर्फ इतने पर कि उस पर दस्तखत नहीं हैं उसको विधि सम्मत नहीं कहा जा सकता। जब·······

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : इसका मतलब यह है कि हाई कोर्ट ने अन्याय किया, उसने जो न्याय किया वह अन्याय किया !....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : वह मतलब नहीं है·······

श्री उपाध्यक्ष : He is only discussing the technical grounds which

Page No 62

(श्री उपाध्यक्ष)

the High Court has taken in its decision.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं अर्ज यह कह रहा था कि इसमें सिर्फ इतनी सी बात हाई कोर्ट को लगी कि यह कानून की ताकत नहीं रखता क्योंकि जो सुप्रीम पॉवर उस समय की थी, महाराजा, उनके इस पर दस्तखत नहीं थे। हाई कोर्ट ने उस वक्त फैसला दिया, कानूनी फैसला दिया, सही दिया, इसमें कोई दो राय नहीं। सरकार भी इसको मानती है, इज्जत देती है।

दूसरी दलील दी जाती है जो मेरे ख्याल से बहुत प्रतिक्रियावादी दलील थी। वह दलील यह दी गई कि राजा के टाइम में जितने केसेज़ तय हुये हैं उनका तो वैधकरण कर दो, पर रेवेन्यू सेक्रेटरी ने इन रूल्स को सही मान कर फैसले किये हैं, जब कि कॉन्स्टीट्यूशन फोर्स में आ गया, उनको नहीं माना जाय। यह दलील मेरी समझ में नहीं आती। इन रूल्स के मातहत सैकड़ों फैसले किये। उसके बाद हाई कोर्ट में गये तो यह कहना कहां तक औचित्य रखता है कि राजा के वक्त में जो फैसले हुए हैं उनको तो मान लिया जाय और इसके बाद में जो फैसले किये हैं उनको नहीं माना जाय? हमको तो आपकी इस बात पर आश्चर्य नहीं, पर जनता कहीं कुछ सोचने न लग जाय। आपकी प्रभु भक्ति पूर्ण है........

श्री मदनसिंह : हमारी प्रभु भक्ति के आधार पर राज प्रमुख बनाया?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : हम तो वैसे लेने के लिए राजप्रमुख बना दें, फिर हटा दें, पर जहां आपको बैठा दिया है, आप अच्छी तरह जानते हो।

श्री मदनसिंह : मैं बाइज्जत वहीं बैठा हूँ जहां माननीय सदस्य बैठे हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : हां, आप तो जनता के बल पर बैठे हैं, पिता श्री से पैदा हुए थे इसलिए नहीं बैठे हैं।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर-पूर्व) : ऑन ए पोइन्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन, सर, मैं माननीय सदस्य से जानना चाहूँगा कि पुराने मातमी रूल्स थे उन्हीं को वेलिडेट किया जा रहा है या चैंजेज़ किये हैं?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उसमें कोई चैंज नहीं किया गया है।

श्री मदनसिंह : माननीय उपाध्यक्ष, बहुत गलत सूचना सदन को दी गई है, नये बने राजप्रमुख के टाइम में गलती हुई, उसका वैधकरण किया जा रहा है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : रूल्स वही थे, कॉन्स्टीट्यूशन लागू हो गया तो राजप्रमुख के नाम से उन्हीं रूल्स के माफिक फैसले किये। आपने रूल्स बनाये थे, उनको इतना जायज मान लिया, कॉन्स्टीट्यूशन फोर्स में आ गया तो भी उन्हीं कायदे–कानूनों को वैसे ही मान कर फैसला किया और मातमी रूल्स के मातहत फैसले किये। हाई कोर्ट में गये, उन रूल्स की वैधानिकता को चुनौती दी और वहां यह पाया गया कि उस समय की स्टेट के फाइनल पॉवर ने दस्तखत नहीं किये थे इसलिए हाईकोर्ट ने इस तरह का

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

फैसला किया, हाईकोर्ट को पॉवर थी। इसको इस रूप में लाया जा रहा है। जनता के सैकड़ों आदमियों को दिक्कत होने वाली है, आपके आदमियों को दिक्कत होने वाली है। उनको यह लेजिस्लेचर दिक्कतों से बचा रहा है। कई जागीरदारों को उस फैसले के बाद नींद नहीं आती........

श्री मदनसिंह : यह तो शक्ल से पहिचाना जा सकता है कि नींद किसको नहीं आ रही है।

श्री उपाध्यक्ष : दोनों सदस्यों को आती है। आप आगे बढ़िये।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: उनकी दिक्कतों को दूर करने के लिए, जो निश्चिन्तता से बैठ कर उन रूल्स के माफिक संतोष महसूस करते हैं, वे हाई कोर्ट के फैसले से नहीं डरते उनको डिस्टर्ब करने के लिए। नहीं मिला वह भी शान्त, मिला वह भी शान्त। सब मानते हैं कि न्याय हुआ है पर यह बिल आने के बाद उनको डिस्टर्बेन्स हो रही है, परेशानी हो रही है, उस परेशानी को दूर करना हमारा कर्तव्य है। उस कर्तव्य को पूरा करने के लिए सरकार जा रही है। तो रूल्स के बारे में सोते हुए आदमी को जगाया जा सकता है, जागे हुए को नहीं जगाया जा सकता। सोशलिस्ट महोदय हैं वे भी कहते हैं कि इन रूल्स को वेलिडेट नहीं कराना चाहिये; सभी को मालूम है, दांता, श्री मदनसिंह और श्री मुरलीधर व्यास दोनों एक बात पर सरकार को इस तरह क्रिटिसाइज़ करते हैं, आश्चर्य की बात नहीं है।

कोई नई बात नहीं हुई है, जो रूल्स हैं उनमें कोई गल्ती रह गई, वेलिडेशन कर रहे हैं। इतने क्रान्तिकारी लेजिस्लेशन पूरे करते रहे हैं उसी तरह इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, इसलिए इन रूल्स का वैधकरण किया जा रहा है। जो कि रूल्स उनके हैं, जिनकी लीगेसी में बैठते हैं या विरोध करते हैं, उन्हीं के रूल्स का वैधकरण कर रहे हैं, उनकी वजह से दिक्कत हुई। जागीरदार हैं शान्ति से फैसला करा कर बैठे हैं, उनकी शान्ति के लिए वैधकरण किया जा रहा है। मैं समझता हूँ सदन को इसे मान लेना है। मैं इसका सपोर्ट करता हूँ। जो सारे ऑब्जेक्शन्स उठाये गये हैं वे सब सुपर्फ्लुअस हैं, मैं उनका विरोध करता हूँ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी सदन के सम्मुख जयपुर मातमी रूल्स वेलिडेशन बिल, १६६१ को विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है। इसके सम्बन्ध में उनियारा से आने वाले माननीय सदस्य ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि इस विधेयक को जनमत जानने हेतु प्रसारित किया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर मातमी रूल्स वेलिडेशन बिल के सम्बन्ध में कई प्रकार की आपत्तियां, जब यह विधेयक विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था, सदन में उठाई गई। उन आपत्तियों को न दोहराते हुए और उनके सम्बन्ध में जो असंतोषजनक उत्तर माननीय राजस्व मन्त्रीजी की ओर से दिया गया उसके विषय में चर्चा नहीं करते हुए मैं कुछ बातें सदन

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

के सामने रखने का प्रयास करूंगा। जयपुर मातमी रूल्स जयपुर राज्य के समय में १९४५ में बने थे और इन रूल्स के बनने के पश्चात् राज्य में जितने भी सक्सेशन के केसेज थे, जागीरदारों के उत्तराधिकार के मामले थे वे सारे मामले उन नियमों के अन्तर्गत तय होते रहे। अब लगभग १५ वर्ष पश्चात् राजस्थान के उच्च न्यायालय में जब यह प्रश्न विचाराधीन हुआ और जब दो आदमी एक जागीर के मामले में रेवेन्यू बोर्ड के फैसले के बारे में हाई कोर्ट के सामने गये और यह आपत्ति उठाई कि जो जयपुर मातमी रूल्स के तहत कार्यवाही करने का सवाल है या उत्तराधिकार आदि के प्रश्न पर जो भूत–पूर्व जयपुर राज्य के राजा के वक्त का सवाल है वह इसलिये पैदा नहीं होता कि जयपुर मातमी रूल्स, १९४५ कानून की नजर में कोई कानून नहीं है। इसके लिये सबसे बड़ी दलील यह दी गई थी कि इस पर भूतपूर्व जयपुर राज्य के महाराजा की सेंक्शन नहीं थी इसलिये यह कोई वैध कानून नहीं है और इसके अन्तर्गत कोई ऐसी कार्यवाही नहीं हो सकती। यही नहीं, माननीय उपाध्यक्ष, यह भी आपत्ति उठाई थी कि १९५० में भारत का संविधान लागू हुआ तो उसके पश्चात् सक्सेशन के मामलों को तय करने का अधिकार सिविल कोर्ट्स को है और इसलिये भारत के संविधान के लागू होने पर उत्तराधिकार आदि के मामले हैं वे हिन्दू लॉ या दूसरे सम्बन्धित लॉ के आधार पर दीवानी अदालत में तय होंगे। १९५० के पश्चात् इस प्रकार की स्थिति चलती रही। जागीरों का रिज़म्शन हुआ और इसके बाद कई प्रकार की आपत्तियां आईं। अदालतों में कई मामले गये तो राजस्थान की सरकार ने जागीर Decissions & Proceedings Validating Act पास कराया। उपाध्यक्ष महोदय, उसके पश्चात् जब आज १५ वर्ष बीत गये और यह परिस्थिति पैदा हुई कि एक मुकदमा हाई कोर्ट में गया था तो यह प्रश्न खड़ा हुआ तो हमारी राज्य सरकार ने और राजस्व मंत्री ने विधेयक प्रस्तुत किया है और आज सदन से मांग की जाती है कि सन् १९४५ में रूल्स बने जिनका कोई लेजिस्लेटिव फोर्स नहीं था, कोई कानूनी फोर्स नहीं था, लीगल फोर्स नहीं था। उस कानून को यह सदन अब अपनी मोहर लगा कर कहे कि जितने भी फैसले उस कानून के अन्तर्गत हुए हैं, जितने भी निर्णय हुए हैं उन पर वैधता की । . लगा । इसलिये इस प्रकार का विधेयक प्रस्तुत किया गया है और अनेक दलीलें दी गई हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि हमें इसकी मौलिक, मूलभूत बातों पर विचार करना होगा। मैं समझता हूँ कि जब हम इस प्रकार के कानूनों को वैध कर देते हैं तो अन्य कारणों के अतिरिक्त यह एक कारण होता है कि आज राजस्थान में उस प्रकार की स्थिति बन गई है कि कोई भी कानून को विधान सभा में लाकर उसकी मोहर लगाई जा सकती है। पिछले चार वर्षों के अनुभव पर मैं यह कह सकता हूँ कि हमने राजस्थान विधान सभा में कई बार इस प्रकार के वेलिडेटिंग बिल पास किये हैं। जब किसी मामले को अदालत में चैलेंज किया जाता है और जब अदालत का इस प्रकार का फैसला हो जाता है कि अमुक कानून वैध नहीं था, कानून के अनुसार नहीं था, नियमों के विरुद्ध था तो इस प्रकार का अदालत से फैसला होने के बाद सरकार इस

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

प्रकार का वेलिडेटिंग बिल लाती है। कुछ समय पहले जब हमारी सरकार ने म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर को अपोइन्ट किया तो उसको कोर्ट में चैलेंज किया गया और जब यह स्थिति सामने आई कि प्रशासक की नियुक्ति बिना कानून, कानून के खिलाफ की गई थी और जो की गई है वह गलत है और उसके द्वारा की गई समस्त कार्यवाही अवैध है तो हमारी राजस्थान सरकार उसके जो भी कॉन्सीक्वेन्सेज़ हो सकते थे उनको फेस नहीं कर सकी और उसके लिये राजस्थान विधान सभा में वेलिडेटिंग कानून लाया गया। एक नहीं; हमने इस प्रकार के कई वेलिडेटिंग बिल पास किये हैं। इसी प्रकार जब कानून के खिलाफ म्युनिसिपैलिटीज़ टैक्स लगाती हैं और उसके मामले अदालतों में जाते हैं और जब अदालतों में उन टैक्सों को गैर कानूनी बताया जाता है तो हमारी सरकार उनके सम्बन्ध में वेलिडेटिंग बिल सदन में प्रस्तुत करती है। हम मान सकते हैं कि किसी प्रकार की विशेष परिस्थितियें हो सकती हैं जिनके कारण वेलिडेटिंग बिल लाने की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन आज मुझे कुछ ऐसा लगता है कि जब कभी कोई मामला अदालत में आता है और न्यायालय में उनको चुनौती देते हैं तो उसका फैसला सरकार के जब खिलाफ हो जाता है या उसके पहले जब सरकार को यह महसूस होने लगता है कि यह फैसला हमारे खिलाफ होगा तो इस प्रकार का वेलिडेटिंग बिल लाकर नागरिकों के अधिकारों का जो न्यायालयों में जाने का है और सरकार के गैरकानूनी कार्यों के खिलाफ न्यायालयों में चुनौती देकर न्याय प्राप्त करने का मूलभूत मौलिक अधिकार जो नागरिकों को दिया गया है, जिसके द्वारा जनता अपना रिलीफ प्राप्त कर सकती है जनता के उन सब अधिकारों पर आप कुठाराघात करना चाहते हैं, अदालतों के पॉवर्स हैं उन पर भी आप एनक्रोचमेंट करना चाहते हैं। आप, अदालतों ने जो फैसला दिया है उसको भी रद्द कराना चाहते हैं।

आज हमारे माननीय मंत्रियों में सब से ज्यादा कानून की दृष्टि से माहिर, जो अपने आपको कानून का माहिर समझते हैं, जाखिरदार समझते हैं, पंडित समझते हैं, कानून के माहिर, जानकार विशेष, हमारे राजस्व मंत्री महोदय हैं। आज मैं समझता हूँ कि पिछले पुराने इतिहास को उठा कर देखा जावे तो मालूम होगा कि सन् १६५७ के बाद आज सन् १६६१ चल रहा है। पिछले चार वर्षों में १३ वेलिडेटिंग बिल आये हैं जिनमें से ७ विधेयक इस प्रकार के हैं जो राजस्व मन्त्री से सम्बन्ध रखते हैं। १३ में से ७ राजस्व मन्त्री के हैं। हर साल इस हिसाब से ३ विधेयक पास हुए हैं। १६५८ में ४ हुए। उसमें से दो उनसे सम्बन्ध रखते हैं। १६५६ में हमारे यहां पर ५ हुए जिनमें से दो उनके थे। १६६० में दो हुए। दोनों उनके थे। १६६१ में जो अभी चल रहा है उसमें तीन विधेयक चल रहे हैं जिनमें से एक उनका है। इस तरह से कुल १३ में से ७ विधेयक माननीय राजस्व मंत्री से सम्बन्ध रखते हैं। फिर हम यह कहते हैं कि हम कानून के पंडित हैं, कानून के माहिर हैं, मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के वेलिडेटिंग बिल लाना साफ प्रकट करता है कि वे कानून के कहां तक पंडित हैं जो इस प्रकार वेलिडेटिंग बिल लाते

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

हैं और अपने आपको कानून के माहिर बताते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : Mr. Satish Chandra This is not the point at issue. This is something of a personal reflection. Let us go into the facts of the Bill.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय कह रहे हैं कि सदन में वेलिडेटिंग बिल के बारे में विरोध किया जाता है....

श्री उपाध्यक्ष : This is not the position here before the House. You will please proceed with the debate within the scope of the Bill.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आखिर यह चीज रिफलेक्ट करती है ।

श्री उपाध्यक्ष : My observations are that Hon'ble member will not cast reflections.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं कोई पर्सनल इन्टीग्रिटी या कैरेक्टर के बारे में नहीं कहता । मैं यह कहना चाहता हूँ कि आखिर सदन उनकी एफिशियेन्सी के बारे में जाने तो सही कि कितने एफिशियेन्ट हैं । दूसरों के लिये कहीं....

श्री उपाध्यक्ष : मैंने इस सम्बन्ध में अपनी व्यवस्था दे दी है कि यह प्रश्न सदन के सामने नहीं है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह आखिर डिपार्टमेंट की एफिशियेन्सी पर तो रिफलेक्ट करती है ।

श्री उपाध्यक्ष : You are away from the scope of the Bill.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं यह कहूँगा कि आज सदन में यह जरूरत क्यों पैदा हुई कि इस वेलिडेटिंग बिल को लाया जाए ? आज इसकी जरूरत इस कारण से हुई कि राजस्थान के हाई कोर्ट में केस गया और हाई कोर्ट ने फैसला दिया । हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट एडवोकेट से और गवर्नमेंट एडवोकेट ने विधि सचिव से पूछा कि १९४५ में जो यह रूल सैंक्शन हुआ है उसकी स्वीकृति हिज़ हाईनेस की मिल चुकी ? उन्होंने कहा कि स्वीकृति हो चुकी है । मैं यह कहूँगा कि हाई-कोर्ट का फैसला तो हो चुका है, लेकिन सरकार ने उन डिपार्टमेंट्स के खिलाफ क्या कार्यवाही की जिन्होंने जब हाई कोर्ट में मामला गया तो मिसल पेश नहीं कर सके ? सन् १९४५ में भूतपूर्व महाराजा ने स्वीकृति दी ७.११.४५ को । उनकी दलील थी कि ७. ११. ४५ को मातमी रूल्स की स्वीकृति मिल चुकी है । लेकिन जब कागजात मांगे तो मैं यह कहूँगा कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट और दूसरे सम्बन्धित विभाग इस प्रकार के कागजात जो १५ साल पुराने थे उस रेकॉर्ड को कोर्ट के सामने पेश नहीं कर सके । आज हमारे यहां १५ साल के कागजातों और फाइलों का पता नहीं । १५ साल पहले के कागजात हमारी सरकार के अधिकारी अदालतों में पेश नहीं कर सके और जब कागज़ात पेश नहीं कर सके तो हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया कि जयपुर मातमी रूल्स लीगल्ली स्वीकृत नहीं हैं । मैं समझता हूँ कि

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

माननीय मंत्री महोदय इससे सहमत होंगे कि अगर हाई कोर्ट में हिज़ हाइनेस की सेंक्शन पेश कर सकते कि जयपुर मातमी रूल्स में स्वीकृति मिल चुकी है, १९४५ या उसके पश्चात रूलर को सेंक्शन मिल चुकी थी तो हाई कोर्ट में कतई इस प्रकार का फैसला नहीं हो सकता था। यही कारण वेलिडेटिंग बिल के आने का है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट की एफिशियेन्सी पुराने रेकॉर्ड्स को हाई कोर्ट में पेश करने में असमर्थ रही और अपने हलफनामे के द्वारा विशेष अधिकारी के हलफनामे को हाई कोर्ट के जजों के विश्वास की दृष्टि से साबित करने में हमारी सरकार असमर्थ रही कि हिज़ हाइनेस की स्वीकृति मिल चुकी। राजस्थान सरकार के रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट के वरिष्ट अधिकारी ने हलफनामा पेश किया और उसके बाद हाई कोर्ट के सामने जाहिर किया कि ७. ९. ४५. को सक्सेशन मिल चुकी है, हाई कोर्ट की फुल बैंच ने, जिसमें जस्टिस श्री जगतनारायण और जस्टिस श्री राणावत बैठे थे, उस हाई कोर्ट की फुल बैंच ने राजस्थान के वरिष्ठ अधिकारी, जयपुर राज्य के भूत-पूर्व राजस्व मण्डल के वरिष्ठ अधिकारी ने जो हलफनामा पेश किया था उस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया और यह माना कि उस मामले में विश्वास करने के लिए तैयार नहीं हैं और यह मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि सक्सेशन मिल चुका। उस हलफनामे के अतिरिक्त राजस्थान के वरिष्ठ अधिकारी, रेवेन्यू के विशेषज्ञ उस हलफनामे के बेसिस पर हाई कोर्ट के सामने सुबूत पेश नहीं कर सके, शंकाओं का समाधान नहीं कर सके।

सवाल यह खड़ा होता है सदन में कि राजस्थान सकारर के खिलाफ इस प्रकार के कानून के बारे में, उसके इन्टरप्रिटेशन के बारे में जब उच्च न्यायालय में मामले जाते हैं, जिस प्रकार से प्रोसिक्युशन होना चाहिये, जिस प्रकार का सहयोग होना चाहिये, जिस प्रकार का इन्टरप्रिटेशन होना चाहिये और जिस प्रकार के फैक्ट्स हाई कोर्ट के सामने आने चाहिये उनको हाई कोर्ट के सामने रखने में राजस्थान सरकार का रेवेन्यू विभाग, राजस्थान सरकार के वरिष्ट अधिकारी रखने में असफल रहते हैं और इसके साथ साथ राजस्थान सरकार के जो कानून के विशेषज्ञ हैं, जिनको सरकार नियुक्त करती है वे हाई कोर्ट के सामने रखने में असमर्थ रहते हैं। यह एक गम्भीर मसला है जिस पर सदन को विचार करना होगा और उचित निर्णय भी लेना होगा। आखिर यह परिस्थिति किस कारण से पैदा होती है ? मैं समझता हूं कि बेसिक डिफेक्ट यही था कि हाई कोर्ट के सामने सुबूत पेश नहीं कर सके।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ यह निवेदन करना चाहूंगा कि कई माननीय सदस्यों ने विचार प्रकट किये कि कानून बनाया जा रहा है और अगर यह नहीं बना तो राजस्थान सरकार को बड़ा भारी नुकसान होगा। जहां तक नुकसान का सवाल है, आर्थिक हानि का सवाल है उसके लिए हमारे सामने कोई तथ्य नहीं रखे गये हैं कि आखिर राजस्थान सरकार को कितना नुकसान होने वाला है। बयाना से आने वाले माननीय सदस्य के पोइन्ट ऑफ ऑर्डर पर माननीय राजस्व मंत्रीजी ने कहा कि गवर्नमैन्ट को फाइनेन्शियल लौस होगा।

Page No 68

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

फाइनेन्शियल लौस के बारे में स्टेटमैन्ट ऑफ ऑजेक्ट्स एन्ड रीज़न्स में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। कितना होने वाला है, किस प्रकार से होने वाला है, कोई उल्लेख नहीं किया गया है। यदि सदन को विश्वास में लेते इस सम्बन्ध में तो बात आसानी से समझ में आ सकती थी। कितने केसेज़ पेन्डिग हैं, कितना इसका असर पड़ेगा, कुछ नहीं। केवल स्टेटमेन्ट ऑफ ऑजेक्ट्स में लिखा दिया कि हजारों केसेज़ ऐसे हैं। हमारे पास उनकी संख्या नहीं, उनकी मात्रा नहीं, उनके बारे में पूरी जानकारी नहीं और वेलिडेशन एक्ट सदन में लाकर पास कराने जा रहे हैं इसका पब्लिकेशन गजट में हुआ नहीं। आखिर यह सब क्या है ? जल्दबाजी क्यों करते हैं, यह प्रश्न सामने है और दूसरे आम मसले हैं। स्टेटमेन्ट ऑफ ऑजेक्ट्स एन्ड रीज़न्स में यह लिखा है ठाकुर जयसिंह बनाम ठाकुर सौभाग सिंह के मुकद्मे में राजस्थान उच्च न्यायालय ने हाल ही में निर्णय लिया है। उच्च न्यायालय में जाने के बाद वहां फैसला हुआ और यह हुआ कि मातमी रूल्स अवैध हैं। भूतपूर्व महाराजा की स्वीकृति उस पर नहीं थी और इसी सिलसिले में माननीय राजस्व मंत्रीजी ने कहा कि सदन का फैसला हो चुका है जिस कारण काफी असर पड़ेगा। इसलिए वेलिडेशन एक्ट लाना चाहते हैं। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार को इसको लाने की क्यों आवश्यकता हुई ? हाईकोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए राजस्थान सरकार के रेवेन्यू विभाग ने एप्लीकेशन फोर लीव पेश की है। एक तरफ तो राजस्थान सरकार लीव लेना चाहती है और हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में जाकर रद्द कराना चाहती है और यह दिखाना चाहती है कि हाई कोर्ट ने फैसला दिया वह गलत दिया है और दूसरी ओर राजस्थान सरकार सदन द्वारा इस प्रकार बिल लाकर वेलिडेट करवाना चाहती है। वेलिडेशन का बिल पेश कर रही है, इसके द्वारा उन कानूनों पर राजस्थान सरकार मोहर लगवाना चाहती है। मैं रेवेन्यू मिनिस्टर से पूछना चाहूंगा कि आप सुप्रीम कोर्ट में गये और सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दे दिया कहीं कि राजस्थान हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है, वह गलत दिया है मातमी रूल्स को सन् ४१ में स्वीकृति मिल चुकी थी और अपना इन्टरप्रिटेशन देने के बाद सुप्रीम कोर्ट इस निर्णय पर पहुंचे कि राजस्थान सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, भूतपूर्व राजस्व मंडल के मेम्बर श्री अलफात हुसेन खेरी ने हलफ नामा जो दिया है उस पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के जज यह कह देते हैं तो फिर वेलिडेशन एक्ट की क्या कीमत रहेगी ? फिर इसकी क्या आवश्यकता है। आखिर आप सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहते हैं तो फिर सदन में इसको पास कराने की क्या आवश्यकता है ? चूंकि हाई कोर्ट का ऐसा फैसला हो गया इसलिए सदन से इसका आप वेलिडेशन कराना चाहते हैं। एक तरफ तो आप अदालत की शरण लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के निर्णय को एक तरफ तो आप चैलेन्ज करते हैं और दूसरी तरफ अपने माफिक प्रोक्योर करने के लिए वेलिडेशन आप सदन में प्रस्तुत करते हैं, यह कोई अच्छी बात नहीं है।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

उपाध्यक्ष महोदय, इसी सन्दर्भ में मैं दूसरी बात कहूंगा कि राजस्थान हाई कोर्ट ने ठाकुर श्री जयसिंह बनाम ठाकुर श्री सौभागसिंह के मामले में फैसला दिया और रिमान्ड दिया; रेवेन्यू बोर्ड ने नवम्बर, ६० में वापिस किया। उसको छः महीने होने आये, कम से कम इस छः महीने के काल में राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला होने के बाद रेवेन्यू बोर्ड में उसका फैसला हो जाना चाहिये था; केस आ जाना चाहिये था उसके पास, उस केस की वापिस सुनवाई हो जानी चाहिये थी और जिस व्यक्ति ने रेवेन्यू बोर्ड के फैसले के खिलाफ, रेवेन्यू बोर्ड के फैसले को न मानने और उस फैसले से नाराजगी प्रकट कर हाई कोर्ट में अपील की और उस पर निर्णय हाई कोर्ट का हुआ वह फाइल वापिस उसके पास आ जानी चाहिये। मैं किसी व्यक्ति विशेष में दिलचस्पी नहीं रखता। लेकिन जिस मुकदमे में हाई कोर्ट का फैसला हो गया, रेवेन्यू बोर्ड ने रिमान्ड कर दिया, यह कहा कि ये ऑब्ज़र्वेशन्स दिये हैं, जो फाइन्डिंग्ज़ दी है, उन पर राजस्व मंडल फिर से विचार करे। यह फैसला वापिस राजस्व मंडल में आवेगा। यह कहा गया कि मातमी रूल्स को गलत करार दे दिया है और इस बिना पर दे दिया कि उसमें कानूनी सेंक्शन नहीं है। राजस्थान सरकार ने यह देखा कि हाई कोर्ट का फैसला हो गया, उसको मानना होगा, वेलिडेशन एक्ट पेश करना होगा जिससे उन पुराने मातमी रूल्स पर मोहर लगाई जाय और रेवेन्यू बोर्ड में फिर से मामला चलेगा और हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके ऑब्ज़र्वेशन के तहत फिर से उस पर विचार कर फैसला देना होगा, इसलिए इसको रेवेन्यू बोर्ड के पास फाइल न भेजी जाय, एडवोकेट्स ने, एडवोकेट जनरल ने रेवेन्यू मिनिस्टर और रेवेन्यू विभाग ने यह फाइल वापिस राजस्थान के रेवेन्यू बोर्ड को नहीं लौटाई। यही नहीं, रेवेन्यू बोर्ड ने इसके लिए चिट्ठियां लिखीं, रिमाइन्डर दिये, एडवोकेट जनरल को चिट्ठी लिखी और गवर्नमेन्ट को लिखा कि हाई कोर्ट का फैसला हो गया, केस भेजो; लेकिन वापिस भेजा नहीं। फाइल दाब कर बैठ गये। मिसल नहीं भेजी रेवेन्यू बोर्ड को वापिस और उसको दाब कर बैठ गये, इसलिए कि वेलिडेशन बिल पास न हो जाय।

श्री उपाध्यक्ष : I think, it is advocating a personal case now.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : The Bill itself emnates from a personal case. It is based on a decision in a personal case and this is my charge how the Validation Bills are being introduced in the House.

श्री उपाध्यक्ष : It is too much that a point pertaining to a personal case should be brought in here. yes, you will proceed.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि जब एक वेलिडेशन का बिल केवल एक केस के निर्णय पर सदन में पेश किया जाता है तो उससे सम्बन्धित तथ्य सदन में रखना मेरा कर्तव्य हो जाता है। इस वेलिडेशन एक्ट के साथ साथ मैं कह सकता हूँ कि किस प्रकार की गड़बड़ियां

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

की जा रही हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हम इस प्रकार की परम्परा डाल रहे हैं कि जब तक इस प्रकार का वेलिडेशन एक्ट नहीं पास हो जाय, उससे पहले जो अदालतों में राज्य सरकार के निर्णयों के विरूद्ध केसेज चल रहे हैं उन केसेज को फ्रस्ट्रेट कर दिया जाय। जब कोई हाई कोर्ट में राज्य सरकार के निर्णय के विरूद्ध केस चल रहा है, उसके निर्णय को हाई कोर्ट में चैलेन्ज किया गया है, उसमें हाई कोर्ट का जजमेन्ट होने से पहले ही इस प्रकार के वेलिडेशन ले आने से इस बिना पर रिट्स खारिज हो जावेंगी कि चूंकि विधान सभा ने कानून पास कर दिया है। जजमेन्ट होने के बीच में इस प्रकार का वेलिडेशन एक्ट पास हो जाने से जजमेन्ट को फ्रस्ट्रेट कर दिया जाय और नलीफाइ कर दिया जाय, यह जो क्रिया है राजस्थान सरकार की, यह अत्यन्त निन्दनीय है। संविधान में जो अधिकार दिये गये हैं, लेजिस्लेचर उनके खिलाफ मोहर लगवाना चाहता है। इसलिये मैं समझता हूँ कि इस तरह से हम अनधिकृत और अनावश्यक दखलन्दाजी करेंगे तो सारी गड़बड़ हो जायेगी। हमें अफसोस इस बात का है कि जितने वेलिडेशन के बिल आये हैं जिनकी संख्या करीब १३ है अधिकांश का या सब का सम्बन्ध दुर्भाग्य से कहिये या सौभाग्य से कहिये हमारे राजस्व मंत्रीजी का है। पहले यदि इसकी जानकारी रख देते तो मैं समझता हूँ आप अपनी प्रोसीक्यूटिंग एजेन्सी को मजबूत बनाते तो ये सब त्रुटियां हमें नजर आती हैं उनको दुरुस्त करने की आवश्यकता नहीं रहती। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि आप अपनी प्रोसीक्यूटिंग एजेन्सी को मजबूत बनाइये ताकि भविष्य में आपको इस प्रकार से वेलिडेट कराने की नौबत ही न आये। आपने इतने बड़े बड़े अधिकारी रख रखे हैं इतना हाई पेड स्टाफ रख रखा है जो हाई कोर्ट में जाकर मुकदमें लड़ते हैं। लेकिन वे उसमें जीत नहीं सकते। आपको अपनी प्रोसीक्यूटिंग एजेन्सी को और सुदृढ़ करना चाहिये। मैंने जो कुछ भी तथ्य रखे हैं वे केवल इसी दृष्टि से रखे हैं कि भविष्य में हमारे सामने इस प्रकार की नौबत न आये। आज जो यह परिस्थिति पैदा हुई है वह वहविभागीय अधिकारियों की लापरवाही के कारण हमारी प्रोसीक्यूटिंग एजेन्सी के सुचारू रूप से काम न करने के कारण हुई— है। आज उनके कारण सदन में कई प्रकार के आरोप लगाये जा रहे हैं। राजस्थान विधान सभा में जब जागीरदारी डिसीजन्स वेलिडेटिंग एक्ट आया था उस समय यह कहा गया था कि यह बिल पास हो जाने के बाद भी दस साल पुराने जो कानून हैं उनके अन्तर्गत निगरानी सुनने का अधिकार होगा। उस पर विरोध प्रगट किया गया था और यह भावना प्रगट की थी, इसके लिये रेवेन्यू बोर्ड को ऑथोरिटी माना जायेगा जहां आई. ए. एस. ऑफिसर्स बैठते हैं, जिनका पच्चीस साल का एक्सपीरियन्स होता है। उनसे फैसला हो जाने के बाद भी राज्य सरकार यह चाहती है कि निगरानी के अधिकार मिलने चाहिये। मैं समझता हूँ कि उसका सदन द्वारा विरोध होगा। आप इस वेलिजेशन बिल से उन सारे फैसलों को वैध करने जा रहे हैं। रेवेन्यू बोर्ड ने जो कुछ फैसला दे दिया उसके अनुसार निगरानियां हुई। रेवेन्यू मिनिस्टर द्वारा किसी प्रकार फैसला दिया उन फैसलों को आपको वेलिडेट करना होगा। इस प्रकार से जितने

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

भी कानून के खिलाफ नियम बनाये गये उन नियमों के अन्तर्गत जो कुछ फैसले हुए उन सबको वेलिडेट करने जा रहे हैं। वैसी हालत में हमें विचार करना होगा। आज इसी प्रकार की परिस्थिति है। इस बारे में एक दूसरा सवाल सामने आता है। जागीरें खत्म हो गई, जागीरदार खत्म हो गये, अब एक पैसे की भी जागीर नहीं रही। हो सकता है कुछ केसेज पेन्डिग हों सक्सेशन के बारे में, जब कि २६ जनवरी, १९५० से जब हमारा भारत का संविधान लागू हुआ उसके बाद से इस प्रकार के जो अधिकार थे, जैसे किसी आदमी के उत्तराधिकार का मामला है यह उसके फन्डामेन्टल राइट्स का सवाल आ जाता है। हमने उस प्रकार के अधिकारों का निपटारा करवाने के लिये सिविल अदालतों को अधिकार दिया है, दीवानी अदालतों को अधिकार दिया है। हमें उनके अधिकारों में किसी प्रकार की दख्लन्दाजी नहीं करनी चाहिये। उत्तराधिकार के जितने भी मामले हैं वे दीवानी अदालतों द्वारा तय होने चाहिये। यह मातमी का सवाल तब आता था जब कि कोई बड़ा जागीरदार मर जाता था। उसका सबसे बड़ा लड़का उसका उत्तराधिकारी होता था, उसको सब अधिकार मिलते थे, सारे सक्सेशन्स के राइट उसको मिलते थे। मातमपोशी का काम जब खत्म हो जाता है तब एक प्रकार की यह रस्म होती है। इस प्रकार की परम्परा चली आई है, जिससे किसी के लड़का नहीं होता वह गोद लेता है तो उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। प्राचीन काल में भूतपूर्व राजाओं के जमाने में यह एक बड़ा ऑकेजन होता था और सबसे बढ़िया ऑकेज़न होता था। ऐसे समय में जहां बड़े बड़े जागीरदारों का इस प्रकार का ऑकेजन होता था तो उसमें राजा–महाराजा भी जाया करते थे। यह उस समय का एक बड़ा फंक्शन माना जाता था। तो ऐसे समय में राजा महाराजा यदि नाराज होते थे तो उनके सक्सेशन को मान्य नहीं किया जाता था, उसके उत्तराधिकार को मानते नहीं थे।

आज जो केस सदन के सामने है जिस हाई कोर्ट का हवाला देकर पारित करवाया जा रहा है उसके बारे में यह हालात है कि यह केस १९३० से चलता आ रहा है। लेकिन इस बारे में राजा महाराजाओं को दर्ख्वास्तें दी गई। लेकिन उन्होंने इनका रिकॉग्निशन नहीं किया। इसके लिये ३७ में रिव्यू पिटीशन पेश की गई उसको रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद जयपुर के प्राइमिनिस्टर के पास १६।६।४७ को दर्ख्वास्त दी गई, रेवेन्यू बोर्ड को दर्ख्वास्त दी गई, उसके सामने सारा मामला गया। सन् ४८ तक यानी अट्ठारह साल तक वह एक भारत के नागरिक की हैसियत से जागीरदार होते हुए अधिकारियों के पास बराबर दर्ख्वास्त देता रहा। यह मामला चलता रहा कि यह मेरा गोद लिया हुआ लड़का है। सन् ४८ में वह मर गया। लेकिन उस गोद को मन्जूरी नहीं दी। गोद को सैंक्शन देने का मतलब होता उसको सारे उत्तराधिकार के बेनीफिट्स जो थे वे सब उसको मिलते, सारी जायदाद पर उसको हक मिलता। यह सब मन्जूरी देने के अधिकार उस समय के राजा-महाराजाओं के थे। मैं नहीं कह सकता कि उन रूल्स का किस प्रकार से दुरूपयोग हुआ या क्या हुआ। यह बात हो सकती है उस समय बड़ी बड़ी भेटें होती

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

थीं, अलग अलग तरीका था उस समय का, उस बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता। मान लीजिये कोई पचास लाख की जागीर का सवाल हो, उस समय कानून के हिसाब से जो परम्परा थी उसमें से कुछ भेंट होती थी तभी मन्जूरी होती थी। लेकिन संविधान के लागू हो जाने के बाद सारी परिस्थितियां बदल गईं। वे सब अधिकार जहां राजा-महाराजाओं को सक्सेशन के केसेज़ को मंजूर करने का अधिकार था वहां यह काम दीवानी अदालतों में तय होने चाहिये। मैं नहीं समझता कि आज हम इसको वेलिडेट करने जा रहे हैं उससे हम पुरानी परम्परा कायम रखना चाहते हैं, यह कभी भी उचित नहीं है। माननीय राजस्व मन्त्री महोदय ने जागीरें खत्म कीं। जागीरों का रिजम्पशन कम्प्लीट हो गया। राज्य में एक पैसे की भी जागीर नहीं रही जिसका रिज़म्पशन बाकी हो।

आज हम यह वेलिडेटिंग बिल पास करके यह करना चाहते हैं कि भूतपूर्व रियासतों के समय में जहां जयपुर स्टेट में महाराजा मानसिंहजी को उत्तराधिकार की मंजूरी देने का अधिकार था आज वे ही अधिकार हमारे राजस्व मन्त्री ले रहे हैं। आप इससे यह बताना चाहते हैं कि भारत का संविधान ५० में लागू हो जाने के बाद भी आज सन् १९६१ के अन्दर महाराजा मानसिंहजी को वे अधिकार आप वापिस देना चाहते हैं। आपको उससे क्या मतलब है ? जिसके केसेज़ इस प्रकार के हों वे सिविल कोर्ट्स में जाकर उनको तय करावे। दोनों पार्टीज जायेगी। जिस किसी के भी फेवर में फैसला हो आपको उससे लेना-देना क्या ? आपको उसमें दिलचस्पी क्या है ? दो पार्टियां लड़ रही हैं। उसमें चाहे श्री सौभागसिंह जीते या श्री जयसिंह जीते, उसमें आपको दिलचस्पी क्या ? जो भी निर्णय होगा उत्तराधिकार के सम्बन्ध में उसी को राइट मिल जायेंगे। इसमें तो राज्य सरकार का इतना ही सम्बन्ध है कि जो अदालत फैसला कर दे उसको ही उत्तराधिकारी मान लें और उसको वे सब फायदे दे दें जो कि उत्तराधिकार होने पर मिलते हैं। राज्य सरकार यह कह सकती है कि उसमें गलत फैसला हो सकता है। लेकिन आपको उससे लेना देना क्या ? जब अदालत द्वारा जिसको उत्तराधिकारी मान लिया गया उसको आप कम्पेनसेशन आदि जो भी है वे दे दें। अदालत के बीच में इस प्रकार से रुकावट पैदा करना मैं समझता हूँ उचित नहीं है। आप इसके द्वारा पुराने अधिकार जो महाराजा को मिले हुए थे उसी परम्परा को कायम रखवाना चाहते हैं। संविधान के लागू होने के बाद हमने इस प्रकार के मामलों के निपटारे के लिये सिविल कोर्ट्स की व्यवस्था की थी। एडोप्शन के केसेज़ सक्सेशन के केसेज़ इनहेरिडिटरी के केसेज़ सिविल लॉ के तहत ही चलते हैं। उसमें किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन करना उचित नहीं है और न आवश्यकता ही है। इसके द्वारा राजस्थान का एक भाग आप ऐसा रखना चाहते हैं जिसके सेंक्शन के बारे में निर्णय देने का अधिकार आप, राजस्व मन्त्री अपने हाथ में रखना चाहते हैं जब कि विधान के अनुसार इस प्रकार के अधिकार सिविल अदालतों को हैं।

तो ये दो अदालतें निर्माण करना, डिस्क्रिमिनेशन करना और नागरिकों में भेद करना, वह भी जागीरदारी के आधार पर कतई उचित

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

नहीं ठहराया जा सकता। आज भारत के जितने नागरिक है संविधान के अनुसार सब बराबर हैं, सबको बराबर हक हैं। हमने दिये हैं और हमारे संविधान की सबसे बड़ी यही विशेषता है। इसका लाभ सब उठा सकते हैं। हरेक आदमी कानून के सामने जा सकता है, अदालतों में जा सकता है, किसी भी कोर्ट में जा सकता है और अपने मूल अधिकारों का निर्णय कहीं से भी कराया जा सकता है। पर इस कानून के द्वारा यह सरकार चाहती है वह पहले वाला डिस्क्रिमिनेशन बना रहे और एक वर्ग का निर्णय वह अपने हाथ में रखे। मैं समझता हूँ, आज तो मैं कुछ नहीं कह सकता, पर यह समय ही बता सकता है कि इसे भी कोई कोर्ट में चैलेन्ज करता है या नहीं, यह तो भविष्य की बात है। पर अपनी सामान्य बुद्धि के आधार पर, अपने सामान्य ज्ञान के आधार पर कह सकता हूँ कि संविधान की जो धारा १४, १६ व अन्य धाराएं हैं उनके रहते आज आप एक टेरीटरी के अन्दर, एक टेरीटरी के आधार पर जयपुर में इस प्रकार का कानून रखें, दूसरी टेरीटरी में दूसरे प्रकार का रखें और इस तरह एक ही राज्य में, एक ही राज्य के भिन्न भिन्न जिलों में कुछ के लिये कुछ कानून रखें और कुछ के लिये कुछ तो इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन आज के संविधान के युग में आपका चल नहीं सकेगा।

माननीय मन्त्री महोदय को ध्यान होगा, जयपुर इनइक्विल मैरेजेज़ एक्ट था। जयपुर में बेमेल विवाह नहीं हो सकता था। यह उस समय एक बड़ा प्रोग्रेसिव कानून था। आज का नहीं, पुराने जयपुर रियासत के जमाने का कानून था। अदालतों ने माना, यह प्रोग्रेसिव कानून है। सरकार को चाहिये था कि इस प्रकार का कानून सब जगह लागू किया जावे कि लड़के लड़कियों की शादी में उम्रमें भेद ज्यादा नहीं होना चाहिये। आज भी लोक सभा में इस तरह का कानून आ रहा है। पर इस कानून को उच्च न्यायालय ने इनवेलिड करार दे दिया। इस बिना पर कि यह कौनसी बात है कि जयपुर के इलाके में १५ और ५५ वर्ष के आदमी की शादी नहीं हो सकती और जोधपुर में कर सकते हैं, दूसरे इलाके में कर सकते हैं। तो यह जयपुर जोधपुर में क्यों डिस्टिंक्शन किया जावे? तो जिस तरह से यह डिस्क्रिमिनेटरी कानून रहा, चाहे वह प्रोग्रेसिव भी क्यों न रहा हो, तो आज हम इस प्रकार का वेलिडेटिंग बिल पेश करके उसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। इससे दूसरी भूतपूर्व रियासतों के कानून में डिस्क्रिमिनेशन करेंगे। इतना ही नहीं, जयपुर में भी नागरिक नागरिक में डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है संविधान की लाइट में। तो यह कोई स्वस्थ परम्परा नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि आप इस सम्बन्ध में इस तरह की गलत परम्परा इस सदन में नहीं डालें और इसे जुडिशियरी कोर्ट पर छोड़ दें। वे जैसा करें, करें। जुडिशियरी के मामले में आपकी कानून की कितनी ही जानकारी रही हो, कितनी ही पुरानी आपकी प्रेक्टिस रही हो, आप इस जुडिशियरी के मामले में दख्लन्दाजी न करें। इन शब्दों के साथ उनियारा से आने वाले माननीय सदस्य के संशोधन का मैं समर्थन करता हूँ और इस विधेयक का विरोध करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

Page No 74

श्री आबिदअली (सवाई माधोपुर) : जयपुर मातमी रूल्स (वैधकरण) विधेयक, १९६१ के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव आया है कि इसे पब्लिक ओपीनियन के लिये भेजा जाय, मैं उसका विरोध करता हूं

उपाध्यक्ष महोदय, हाउस के अन्दर एक बिल आता है। साधारणतया एक प्रिन्सिपल की बात है कि उस बिल का ऑब्जेक्ट देख लिय ।जावे, उसकी रिलेवेन्सी पर ध्यान दे दिया जावे और इसके बाद उसकी रिलेवेन्सी का ख्याल रखते हुए आज अगर हाउस में विचार आता है तो समझते हैं कि हम न्याय करते हैं विधेयक के साथ भी और सदन के साथ भी और अगर इर्रिलेवेन्ट बातों को यहां लाकर जो फैक्ट्स in issue हैं उन पर ध्यान न रख कर केवल जनता को और प्रेस गैलरी को प्रभावित करने के लिये इस प्रकार के भाषण यहां दिये जावें जिनका फैक्ट्स in issue से कोई सम्बन्ध न हो तो मैं यह निवेदन करूंगा कि हमको ऐसे वातावरण से बचना चाहिये, ऐसी प्रेक्टिस से बचना चाहिये और हाउस के अमूल्य समय का पूरा पूरा ख्याल रखना चाहिये।

बात सीधी सी थी कि इस रूल्स वेलिडेटिंग बिल को पब्लिक ओपीनियन के लिये भेजा जावे गा नहीं। इसमें जो क्लॉजेज़ हैं उनको क्रिटिसाइज़ किया जाता इसके लिये और फिर यह बताया जाता कि यह इस योग्य है कि इसे पब्लिक ओपीनियन के लिये इन पोइन्ट्स पर भेजा जावे, तब तो बात कुछ समझ में आ सकती थी और कुछ डिसीजन भी हो सकता है। पर असल बात नहीं बताई जाती। उसे टालने की कोशिश की जाती है, पोइन्ट्स ऑफ इश्यू से हट कर बात की जाती है। बात वास्तव में यह है कि जब मातमी रूल्स वेलिडेटिंग बिल यहां आया तो वह इसलिये आया कि हाई कोर्ट का फैसला हो गया था तो इसलिये सेंक्टिटी लाने के लिये इसे यहां लाया गया ताकि इसके अनुसार जितने भी डिसीजन्स अब तक हो चुके हैं उनमें कॉम्पली-केशन्स पैदा न हों। यह फैक्ट्स in issue था।

पर दुख के साथ यह निवेदन करना पड़ता है कि जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य जो एडवोकेट हैं, कानून के पंडित हैं वे आर्ग्युमेन्ट्स इसमें यह रखते हैं कि इसे जनता में इसलिये भेज दिया जावे, ओपीनियन उसकी जानने के लिये कि इसमें हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर ने जहां १३ वेलिडेटिंग बिल्स इस सदन में आये हैं उनमें से ७ उनके हैं। मैं पूछता हूं आप बताइये आखिर इस पोइन्ट का जनमत से क्या सम्बन्ध है? क्या आप जनता से कोई डिक्री लाना चाहते हैं कि चूंकि उन्होंने वेलिडेटिंग बिल रखा और आप इग्नोर करते हैं इस फैक्ट को, इसलिये डिक्री दे दीजिये कि यह पास न हो? "कहां की ईंट कहां का रोड़ा भानुमती ने कुनबा जोड़ा।" मैं नहीं समझ सका।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : इससे हजारों पर इफेक्ट पड़ेगा।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : कितनों पर पड़ेगा बताइये न?

श्री आबिदअली : वह भी बताऊंगा। मैं बताऊंगा। कहा जाता है कि जनमत के लिये भेज दिया जाय। जनमत इसमें क्या बात कहेगा? क्लॉज २ में लिखा है:

Page No 75

(श्री आबिदअली)

"It is hereby declared that the Jaipur Matami Rules, 1945, published in the Jaipur Gazette Extraordinary dated the 8th December, 1945, under Revenue Department Notification No. 15941/Rev. dated the 24th November, 1945, shall have and shall be deemed always to have had the force of law and shall be treated as being and as having been an 'Existing Jagir Law' within the meaning of clause (d) of section 2 of the Rajasthan Land Reforms and Resumption of Jagirs Act (Rajasthan Act VI of 1952) for the purposes of that Act as well as of the Rajasthan Jagir Decisions and Proceedings (Validation) Act, 1955 (Rajasthan Act of 1955) and any other law relating to Jagirs of Jagirdars." इन दो विधेयकों का हवाला देकर बताया गया है कि इसे वेलिड कर दिया जावे । क्या आप जनता से यह गारन्टी लेना चाहते हैं कि राजस्थान जागीर रिजम्पशन एक्ट की धारा २ के अन्दर वेलिडेट कर देते हैं तो क्या एतराज है, क्योंकि उन्होंने तो केवल उठ कर प्रस्ताव पेश कर दिया ? क्या ग्राउन्ड्स हैं, इसका उनको पता नहीं । जनता आखिर किस ग्राउन्ड पर आकर कहेगी कि यह ठीक है या बेठीक है ?

रावराजा श्री सदरदारसिंह : आपने जयपुर....

श्री उपाध्यक्ष : आप भी दर्मियाने बहस ही पूछना चाहते हैं ?

श्री आबिदअली : जो मोस्ट रिलेवेन्ट फैक्टर इसमें था वह छोड़ दिया । जो परम्परा बनी हुई है सरकार की केवल आलोचना करने की उसी आधार पर कह दिया गया, जो कुछ कहना था । मैं निवेदन करता हूँ कि रेवेन्यू मिनिस्टर साहब इस बिल को ठीक लेकर आये हैं । ५५ से लेकर वे इस प्रकार के मामले देखते आये हैं और उनमें उन्होंने काफी रूचि ली है, काफी छानबीन करके एक एक मामले को देखा है और इससे आखिर वे इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इसे वेलिडेट कराया जावे, नहीं तो काफी कठिनाइयां होंगी । तो यह उनको एफीशियेन्सी का सुबूत है, न कि डेफीशियेन्सी का । मैं फुल फोर्स के साथ अर्ज करूंगा कि यह दर हकीकत रेवेन्यू मिनिस्टर साहब की हिम्मत है कि जो पुराने जयपुर स्टेट के समय में इल्लीगेलिटी हुई उसकी उन्होंने छानबीन की और उसे अब वेलिडेट कराने के लिये लाये हैं । जो इल्ली-गेलिटी विभाग में हो रही थी और आगे भी होती जा रही थी उसकी छानबीन की, उसको ट्रेस आउट करने में काफी मेहनत की, कोशिश की यह पता लगाने की कि यह गलत कानून है । जिसके पीछे फोर्स ऑफ लॉ नहीं है ऐसे मामले को खोज कर वे यहां हाउस में पेश करते हैं तो कहते हैं कि यह उनकी डेफिसियेन्सी है ।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़): और वह सदस्य–जो हाई कोर्ट का फैसला रखा जाता है तो....

श्री उपाध्यक्ष : The Hon'ble member will please not interrupt the debate.

Page No 76

श्री मदनसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह हाई कोर्ट के फैसले के विपरीत बात है।

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order please. !! It does not affect the Hon'ble High Court. Yes, please proceed.

श्री आबिद्अली : तो मैं निवेदन करता हूँ कि जो लेबर करते हैं, प्रोपर ढंग से अपने विभाग हैंडल करते हैं, जो इर्रेगुलेरिटी राजाओं के जमाने से होती चली आई हो उसको खोज करके आज वेलिडेट कराते हैं तो आप कहते हैं वे अनएफीशियेन्ट हैं। मैं कहता हूँ, यह उनकी सबसे बड़ी इफीशियेन्सी है। आर्ग्युमेन्ट दिया जाता है कि हाई कोर्ट में एक बहुत बड़े उच्चाधिकारी थे गवर्नमेन्ट सर्विस के तो उन्होंने एफीडेविट दिया। वह इस प्रकार से कह दिया गया मानो वे राजस्थान सरकार के कोई अधिकारी हों हालांकि वास्तविकता यह है कि वे जयपुर स्टेट के वक्त सरकार की नौकरी में थे। सन् १६४५ में मामूली रूल्स बनाये गये। उस सम्बन्ध में उन रूल्स को महाराजा जयपुर की स्वीकृति हुई या नहीं, इस सम्बन्ध में एफीडेविट दिया था। जयपुर महाराजा के नौकर थे वे और कह सकते हैं कि उस समय में इसकी सेंक्टिटी हो गई थी। वह बात इस तरह से रख दी गई कि हाल की बात हो। इसका गोलमाल जिक्र कर दिया गया। वह जो एफीडेविट दिया गया वह जयपुर स्टेट के वक्त के नौकर का दिया गया था। वह जयपुर स्टेट-सरकार का कर्मचारी था न कि राजस्थान सरकार का। मगर....

श्री मदनसिंह : आप ऑर्डर देखें, यह बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : I will not allow the Hon'ble member to speak when the debate is going on.

(११.३० म. पू.)

(श्री आबिद्अली पुनः बोलने को खड़े हुए)

श्री मदनसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ इस तरह....

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order!! The Hon'ble member will proceed.

श्री मदनसिंह : मैं बीच में ऑब्जेक्शन करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! I will not allow the Hon'ble member to interrupt. मैं माननीय सदस्य से कहूँगा कि जब माननीय सदस्य बोल रहे हों तो बीच में निरर्थक रूप से इस तरह बाधा न पहुँचाई जाये।

श्री मदनसिंह : मुझे ताज्जुब होता है। मैं जब बोलता हूँ तो मुझे भी डिस्टर्ब किया जाता है, उस समय आप ऑब्जेक्शन नहीं करते....

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order !! When the Chair is on its legs, I would expect the Hon'ble members to extend co-operation in maintaining the traditions of the House.

श्री मदनसिंह : मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपसे भी न्याय चाहूँगा।

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order please !! If this is the position, I am afraid, we may not be in a position to maintain traditions and decorum of the House. I expect full co-operation from the House and specially when the Hon'ble member on this side (Shri Satish Chandra) was delivering his speech, I know fully well that none of the members on this side did make any effort to intercept his debate. Atleast this healthy spirit should be maintained in between the two parties of the House. Yes.

श्री आबिदअली : तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस समय यहां भाषण दिया था उस समय मैं बिल्कुल वेलिड ऑब्जेक्शन कर सकता था, लेकिन चूंकि मैं जानता था कि मुझे बोलने का अवसर दिया जायेगा इसलिए मैंने एक शब्द भी नहीं कहा और जब कि मैं अपनी बातों को फुल ऑथोरिटी के साथ कह रहा हूँ और जो कुछ भी मैं कहूँगा वह रेकॉर्ड के आधार पर होगी....

श्री उपाध्यक्ष : But I do expect the co-operation specially when such issues do crop up on the Floor of the House, they should draw the attention of this Chair, so that healthy traditions of the House may be maintained.

श्री आबिदअली : तो, उपाध्यक्ष महोदय, मातमी रूल्स के वेलिडेशन का बिल यहां विचारार्थ था। मैं सदन के सामने यह बात रख रहा था कि रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट में कितनी एफीशियेन्सी है। महज कुछ बातें कह कर रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट के बारे में यहां सदन में इस तरह से कहा जाये, यह किसी भी तरह से ठीक नहीं है। मैं फैक्ट्स के आधार पर कहूँगा कि १९५४ और पर्टीक्युलरली १९५७ के बाद से लेकर अब तक जिस प्रकार का रिवोल्यूशन रेवेन्यू डिपार्टमेंट से आया है शायद ही किसी स्टेट में आया हो। आप टिनेन्सी एक्ट को उठा कर देखिये, जितने भी कल्टीवेटर्स हैं उनसे पूछिये कि कितना रिवोल्यूशनरी स्टेप लिया गया है? यह किसने किया? रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट ने। सच तो यह है कि अभी कल ही हमने कोर्ट फीस का बिल पास किया है, उससे जितनी सुविधायें जनता को रेवेन्यू मिनिस्टर के कार्य-काल में आई हैं उतनी किसी में नहीं आई। मेरे पास इसके फैक्ट्स हैं। अगर आप कानून को जानते हैं और उनको देखने की तकलीफ गवारा करें, टिनेन्सी एक्ट को देख लीजिए, रेवेन्यू एक्ट को देख लीजिए और जितने भी कानून बने हुए हैं वे सब इनके समय के देख लीजिये। जितने भी रेवेन्यू से सम्बन्धित केसेज़ हैं और जितने भी रेवेन्यू कानून बने हैं उनमें रिमार्केबल एचीवमेन्टस हैं और मैं इसका पूरा क्रेडिट देता हूँ। जितने भी विधेयक हैं, १९५४ से लेकर अब तक और पर्टीक्युलरली १९५७ से अब तक रिपीट करें तो आपको मालूम हो जायेगा कि वे अल्ट्रावायर्स हैं या जनता के लिए हितकारी हैं। तब तो मैं जानूं कि आपने एक पर्टीक्युलर डिपार्टमेन्ट की आलोचना की। इस प्रकार के हैल्थी कानूनों के लिए भी हम इस तरह से आलोचना करने लगें तो इसके क्या माने हैं? एक बात बड़े मजे की कही गई, हालांकि उसका इससे सम्बन्ध नहीं

(श्री आबिदअली)

है। मैं स्पष्ट कर दूं कि ये मातमी रूल्स १९४५ के बने हुए है और १९४५ के मातमी रूल्स के आधार पर जितने भी जागीरदार थे उनका फैसला इन मातमी रूल्स के ऊपर होने का था, यह जयपुर सरकार की जिम्मेदारी थी। आज की राजस्थान सरकार क जिम्मेदारी उस समय नहीं थी कि इन रूल्स को वेलिडेट कराती। जो जिम्मेदारी उस समय की जयपुर सरकार ने नहीं निभाई वह आज निभाई जा रही है। मैं उस सम्बन्ध में फिर एक बात सदन को यह कहूँगा कि जयपुर सरकार के जयपुर के महाराजा को जितने अधिकार प्राप्त थे मातमी रूल्स के आधार पर किसी आदमी के सक्सेशन के केस को तय करने के इसी तरह के अधिकार आज रेवेन्यू मिनिस्टर साहब को दे रहे हैं। एक माननीय सदस्य ने बड़ी ही रिडीकुलस बात कही, बड़ी अजीब सी बात कही कि सिविल कोर्टस को फैसला करना चाहिए। १९४५ से अब तक जितने भी सक्सेशन के जागीरों के मामले थे वे सब मातमी रूल्स के आधीन डिसाइड होते थे। तो जागीरों के सम्बन्ध में जो अधिकार जयपुर की सरकार को प्राप्त थे वही अधिकार लिए जा रहे हैं। यदि ऐसा नहीं करते तो हजारों की तादाद में जितने भी फैसले थे वे इनवेलिडेट हो जाते। इसलिए यह वेलिडेशन बिल हमारे सामने आया। सक्सेशन के मामले में जो डिसीज़न हो चुका है कोई भी आदमी किसी भी पर्टीक्युलर फैसले को लेकर जागीरदार के मामले को हाई कोर्ट में ले जा सकता है। इसलिए जो डिफीकल्टी रह गई है उसके आधार पर करने की बात है तो कहा जाता है कि ये तमाम अधिकार सिविल कोर्टस से छीन कर रेवेन्यू मिनिस्टर साहब को दे रहे हैं। कानून को समझने वाले लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि अधिकारों को लेने का मतलब क्या है। फिर जब कि आज हाउस का एक एक माननीय सदस्य इस बात को जानता है कि जागीरदारों की व्यवस्था जिस प्रकार से की गई जागीर रिज़म्शन एक्ट के तहत और जागीरदारों के सक्सेशन के जितने भी मामले थे उनको फाइनली भी तय किया। यहां किसी नये जागीरदार को बैठाने का मामला नहीं था; बल्कि कम्पेन्सेशन के केसेज़ चल रहे थे उस कम्पेसेन्शन का पैसा कौन से क्लेमेन्ट को और कौन से उत्तराधिकारी को मिलना चाहिये, इस हद तक ही केवल मातमी रूल्स का असर पड़ता है। मैं निश्चित रूप से इस बात को कह सकता हूँ कि यह जो जनमत के लिए प्रस्ताव आया है कि इसको जनमत के लिए भेजा जाये, यह बिल्कुल निराधार है। पर इस प्रस्ताव के साथ साथ यह दलील नहीं आई है कि जनता किस पर्टिक्युलर पोइन्ट के ऊपर अपना मत दे सकेगी। यह तो कानूनी बात है। अगर कन्डक्ट ऑफ बिज़नेस में यह व्यवस्था होती कि कानूनी राय जानने के लिए सुप्रीम कोर्ट को भेज दें तो समझ में भी आता है कि इस सम्बन्ध में बार एसोसियेशन की ओपीनियन आ जायेगी और उनकी ओपिनियन के मुताबिक इस बिल को बना सकेंगे। जितने डिफेक्टस हैं उनको रिमूव किया जा रहा है, कोई नया अधिकार प्राप्त नहीं हो रहा है, राज्य सरकार को फायदा नहीं हो रहा है, किसी पार्टी को फायदा नहीं हो रहा है। एक छोटी सी बात है कि इसको वेलिडेट

(श्री आबिदअली)

कर दिया जाये और कहा जाता है कि जनमत के लिए भेज दिया जाये । इसलिए, इन्हीं शब्दों के साथ इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूँ ।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): माननीय उपाध्यक्ष, इस प्रस्ताव के पक्ष में बोलने वाले कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं, और मेरे ख्याल से....

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर–पूर्व) : श्रीमान्........

श्री उपाध्यक्ष : I have made a note o [illegible]it. Yes.

श्री सोहनलाल भटनागर : उसमें मुख्य दलीलें दो दी गई हैं। एक तो यह है कि ऑर्डिनरी लॉ प्रिवेल करना चाहिये और इसके लिए स्पेशल लॉ नहीं होना चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष, हर माननीय सदस्य जानता है कि अपने राजस्थान में जितनी कोवेनेन्टिंग स्टेट्स थीं उनमें जो जागीरों का सक्सेशन था उसके रूल्स अलग थे। अगर रूल्स नहीं थे तो कस्टम और यूसेजेज़ से गवर्न किये जाते थे। इस लिहाज से देखते हुए, मेरे ख्याल से लॉ ऑफ लैण्ड रिफॉर्म्स एण्ड जागीर रिज़म्प्शन एक्ट में एग्ज़िस्टिंग जागीरों की डेफिनेशन दी हुई है, उसमें वह बिल्कुल स्पष्ट कहा गया है: "'Existing Jagir Law' means any Act, Ordinance, Regulation, Rule, Order, Resolution, Notification or Bye-law relating to Jagirs or Jagirdars in force in the whole or in part of the State at the commencement of this Act and includes :

(i) any custom or usage relating to such jagir or jagirdars prevailing at the commencement of this Act in the whole or in part of the State and having the force of law and

(ii) the terms and conditions contained in any order or instrument granting or recognising the grant of a jagir," तो कस्टम और यूसेजेज़ को भी माना है। तो, माननीय उपाध्यक्ष, सदन के माननीय सदस्य अच्छी तरह से जानते हैं कि कई कोवेनेन्टिंग स्टेट्स में सक्सेशन ऑफ जागीर के कोई लॉज़ नहीं थे, रूल्स नहीं थे, लेकिन कस्टम और यूसेजेज से गवर्न किये जाते थे। पर्सनल लॉ के अनुसार एक आदमी जो मरता है तो उसकी जायदाद का बराबर शेयर लड़कों को मिलता है। लेकिन जहां रूल ऑफ प्राइमोजेनिचर एप्लाई करता है वहां पर सबसे बड़े लड़के में जागीर वैस्ट करती है। इसके अनुसार वह जागीर जो ग्रान्ट की गई थी उसके साथ राइट्स और ड्यूटीज़ भी लगी हुई थीं और राइट्स और ड्यूटीज़ को गवर्न करते हैं आया कुछ आदमी ठीक तौर से राइटफुल एयर हो सकते हैं, कौन ऑब्लीगेशन को ठीक तौर से कन्फर्म कर सकता है, इसी दृष्टिकोण को रखते हुए पहले सारे अधिकार सिविल कोर्ट, ऑर्डिनरी कोर्ट से आउस्ट किये हुए हैं। जागीर रिज़म्प्शन एक्ट बनने के बाद भी ऑर्डिनेरी लॉ से आउट किया गया, इसलिए जागीर वेलिडेशन प्रोसीडिंग्स के अन्दर जो नोट दिया है इस दृष्टि से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जागीर सक्सेशन जो है उसको

(श्री सोहनलाल भटनागर)

इन्टरप्रेट कर लिया या उसको गवर्न कर लिया। उन्हें सिविल कोर्टस और ऑर्डिनरी कोर्ट्स में अधिकार दिये जायं तो मेरे ख्याल से राज्य के जागीरदार हैं उनके लिए इसी दृष्टिकोण से अलग कानून बना हुआ था। यूसेजेज़ और कस्टम भी यहां परा लॉ का फोर्स रखते थे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय राजस्व मन्त्री ने कहा कि कोई केस पेंडिंग नहीं है और यह गल्ती हो गई कि वहां पर मान लिया कि रूल्स बन गये, मगर रूल्स पर सिगनेचर नहीं हुए हैं। तो अगर रूल्स को नहीं किया जाता है तो ऐसे कितने ही केसेज़ हैं जिनका डिसीज़न हो गया है उन रूल्स के मातहत। जैसा कि मैंने निवेदन किया कि अगर रूल्स नहीं बनते तो पुराने यूसेजेज़ और कस्टम के मातहत दरबार को अधिकार था कि वे उसके राइट्स को डिसाइड करते। लेकिन अगर बन गये और कोई स्पेसिफिक उसके अन्दर हवाला है, उन केसेज़ के अन्दर, वह स्पेसिफिक हवाला होते हुये भी रूल्स की वैधता को नहीं मानें तो सारे के सारे केसेज़, जो कि हजारों हो सकते हैं, मैं नहीं जानता हूँ कि कितने हैं, उन्हें रीओपन किया जायेगा, सिविल कोर्टस और दूसरी कोर्टस में जायज़ किया जायेगा। जागीरों के केसेज़ पहले से डिसाइड हो चुके हैं, जिनको कम्पेन्सेशन मिल चुका है वे वापिस रीओपन होंगे और वापिस उनमें झगड़ा होगा। इस दृष्टिकोण से, मेरे ख्याल से जो वेलिडेटिंग बिल रखा है, सदन में पास किया जा रहा है, वह बिल्कुल दुरुस्त है।

दूसरा, जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि हाई कोर्ट के सामने कोई केस जाता है रिट में उनको लेकर सरकार इस सदन के द्वारा वेलिडेट करा देती है तो, माननीय उपाध्यक्ष, इसके बारे में कई बार बहस हो चुकी है कि हमारा लेजिस्लेचर जो है वह सुप्रीम है। इसको कोई भी कानून बनाने का हक है। हाई कोर्ट का काम उसको इन्टरप्रेट करने का है। इस दृष्टिकोण से हाई कोर्ट के सामने जब केस पेंडिंग है उस वक्त लाना लॉ में नहीं विचार किया हुआ है कि लेजिस्लेचर क्योंकि हाई कोर्ट के डिसीज़न के सामने एक केस पेंडिंग है उस पर लॉ नहीं बनाये। तो उसको पूर्ण अधिकार है। अगर केस भी होता है तो लॉ बन सकता है, हमारे कॉम्पीटेन्स में है। जहां तक लॉ बनाने का अधिकार है बनाना चाहिये और उससे शर्क करते हैं तो मेरे ख्याल से डेमोक्रेसी की भावना से, जिस दृष्टिकोण से लेजिस्लेचर बनाया गया है उसको नगण्य बनायेंगे।

तो इन्हीं शब्दों के साथ जो कुछ विचार माननीय सदस्य ने व्यक्त किये हैं कि इसको जनमत के लिए भेजा जाय, मेरे ख्याल से जनमत को भेजने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। जो कुछ भी हो चुका है उसको मन्जूर करना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री महेन्द्रसिंह पंवार।

(११.४५. म. पू.)

(श्री आबिदअली, सभापति पदासीन)

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर–पूर्व) : सभापति महोदय, प्रस्तुत विधेयक पर जो

(श्री महेन्द्रसिंह पंवार)

चर्चा चल रही है उससे अन्दाज मुझे लगता है कि हम इस विधेयक की जो बुनियादी, कानूनी दृष्टि से आलोचना होनी चाहिए थी उससे थोड़ा निखर गये हैं और इसलिए चन्द शब्दों में उसकी सही कानूनी स्थिति आपके सामने रखना चाहता हूँ।

श्रीमन्, आम जायदादों के लिए और सम्पत्ति के लिए जो नियम होते हैं वे जागीरों के लिए या इम्पार्टेबल स्टेटस के लिए लागू नहीं होते हैं। अब उसका पूरा इतिहास है। अब वह इतिहास उस पुरानी राजनैतिक व्यवस्था से सम्बन्धित है जिसको हम फ्यूडेलिज्म कहते हैं। आज जितनी जागीरें हैं उनको सही दृष्टि से देखें तो वे सम्पत्तिमात्र नहीं हैं। सम्पत्ति उनमें होती है, मगर वह पुरानी राज्य व्यवस्था के अनुसार मिलिटरी सर्विस थी। ये जागीरें इसलिए दी गई हैं कि राज्य की सेना के लिए हम सिपाही रखें, फौज को मेन्टेन करें। और उनमें सबसे बड़ी बात होती है लॉयल्टी की। सेना में अगर लॉयल्टी नहीं है तो वह सेना उस राज्य के काम की नहीं रहती है, वह विप्लव कर देती है। इसलिए पुराने नियमों में ऐसा रखा गया था कि जागीरें जिनको दी हैं वे मिलिटरी सर्विस मेन्टेन करेंगे इस खर्चे में और अपने आपको मेन्टेन करेंगे और जो आल–औलाद हमारी है उसके लिए सुरक्षित करेंगे। वहां पर लॉ ऑफ प्राइमोजेनिचर इम्पार्टेबल स्टेट का जो लॉ होता है उसको ग्रेड किया गया है। अगर औलाद नहीं है और गोद लेना चाहे तो एडॉप्शन के लिए स्पेशल रूल होते हैं। उसके लिए स्टेट की सेन्क्शन की जरूरत है। मेरे ख्याल से सदन के कई माननीय सदस्य जानते होंगे कि इस प्रकार का सिद्धांत लॉर्ड डलहौज़ी ने जारी किया था, जिसको कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा गया है। जब औलाद नहीं होती थी राजाओं के और गोद लिया जाता था तो उसकी सेन्क्शन वाइसराय से लेनी होती थी और वह सेंक्शन नहीं देता था तो वह राज्य लैप्स हो जाता था। इसके कारण बड़ा विप्लव हुआ और सन् ५७ के वाकये का एक कारण हुआ था। लेकिन इतनी बात है कि भारत की धरती में यह नियम था कि गोद लेने का मसला जब आता है तो उसके लिए फर्स्ट लॉयल्टी का इजहार होता है, औरस पुत्र जो लॉयल मान लिया जाता है पुराने दस्तूर के मुताबिक सक्सेशन करीब करीब रिकॉग्नाइज़ होता है। मगर गोद के लिए यह नियम लागू नहीं होता है। इसलिए जहां जहां रियासतें थीं वहां आप देखेंगे कि हर जगह गोद लेने के बाद मातमपुरसी की सेन्क्शन नहीं हो राज्याधिकारी या हैड ऑफ दी स्टेट द्वारा जब तक वह नहीं माना जाता था। इस तरह से हर जगह नियम थे।

अब सवाल यह आता है कि प्रस्तुत विधेयक का असर कितने केसेज़ पर पहुँच सकता है? ये केसेज़ तीन प्रकार के हैं। कुछ केसेज़ ऐसे हैं जिनमें रिज्यूम करने से पहले किसी जागीरदार की डैथ हो गई और अब तक सक्सेशन का सवाल तय नहीं हुआ। तो वह प्रश्न होता है तब तो उसकी आवश्यकता है। अगर रिजम्पशन की तारीख के बाद किसी की डेथ हो गई तो उसके सक्सेशन का सवाल नहीं है। उसमें तो केवल कम्पेन्सेशन का सवाल है। वह केवल हिन्दू नियम से गवर्नड है। कम्पेन्सेशन इम्पार्टेबल एस्टेट

(श्री महेन्द्रसिंह पंवार)

नहीं है। उन चीजों का फर्क नहीं पड़ता है। फर्क उन केसेज़ पर पड़ेगा जहां कि रिज़म्पशन से पहले जागीरदार मर गया, उसके शरीर से उत्पन्न हुआ उत्तराधिकारी नहीं था, एडॉप्शन का था। इसलिए इसका सही दृष्टिकोण यह सुविधा जो देते हैं या पीछे दी गई है, जहां तक मैं समझता हूं केवल इतना मात्र है कि जब तक कोई नियम नहीं बनता है केन्द्रीय संसद या राज्य विधान सभा द्वारा तब तक एग्जिस्टिंग नियम है, एग्जिस्टिंग लॉ है कन्ट्री में तो उस एक्जिस्टिंग लॉ के अन्दर यूसेज, कस्टम की यह सब चीजें आती हैं, वे लागू हैं। कुछ उनका बाइंडिंग फोर्स है कॉन्स्टीट्यूशन के अन्दर। अगर ४५ में यह कोई नियम था और पुराना कोई तरीका था वह एग्जिस्टिंग लॉ की परिभाषा में आता है, वह बिल्कुल मानी हुई चीज है। सवाल इतना मात्र हो सकता है कि वे कानून पहले लागू थे या नहीं, उनका, ऑथेन्टिकेशन प्रोपर हुआ था या नहीं, गजट हुआ था या नहीं? लेकिन सन् ४५ की बात पर इतना नहीं कह सकते कि अभी की सरकार ने हस्तक्षेप किया है, बातचीत से उलट-फेर किया है। इस समय काम आता है तो एग्जिस्टिंग लॉ पर आता है। उसके लिये दूसरे सिद्धान्त हैं। कानून को एकाएक नहीं बदलें। इसको कानून की भाषा में कहते हैं। यदि एक कानून है जिसके अनुसार दुनिया का नियमन होता चला आ रहा है, यदि गलत है तो भी मानना चाहिये क्योंकि पर्टिक्युलर कानून को मान कर आपने प्रोपर्टी का सम्बन्ध बनाया है। उसका अनुकरण किया है तो उसको एकाएक बदलने से कितनी गड़बड़ पैदा होगी! इस सिद्धान्त से चैलेन्ज नहीं कर सकते।

लेकिन हां, एक दृष्टिकोण हो सकता है। मेरे एक माननीय मित्र ने हाई कोर्ट का फैसला अभी अभी मुझे दिखाया। उसमें जो बात है वह अभी अर्ज करता हूँ। लेकिन पहले एक और बात अर्ज़ करदूं कि राज्य को अधिकार होता है कि सक्सेशन को वैध करे। वे अधिकार कहां हैं? वे अधिकार संविधान में नहीं मिलेंगे। सरदार पटेल ने सारे राजाओं को एक सूत्र में बांधा था तब उन्होंने कोवेनेन्ट के आधार पर अधिकार दिये या लिये। मैंने उस कोवेनेन्ट को देखा नहीं है। लेकिन हाई कोर्ट के फैसले में उसका जिक्र आता है और हाई कोर्ट ने इतना कहा है कि उस कोवेनेन्ट की धारा के अनुसार इसका जो हक है वह सक्सेसर गवर्नमेंट को ट्रान्सफर नहीं किया और यह भी कहा है कि उसने पास भी नहीं रखा। तो आखिर वह अधिकार कहां गया? वेक्यूम क्रिएट करता है। यदि कोवेनेन्ट में शर्त होती तो अपने पास रहता या भूतपूर्व महाराजा के पास रहता, लेकिन उन्होंने अपने पास नहीं रखा........

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़): For your information, मैं यह बताना चाहता हूँ कि आगे इसमें सिविल कोर्ट का दिया है।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार: श्रीमान्, फैसले में इस प्रकार है:

"We are of the opinion that this contention of respondents must be upheld It was held in the above case that on the coming into force of the Constitution the powers conferred on the Rajpramukh under Article

(श्री महेन्द्रसिंह पंवार)

73 of the Covenant lapse. This power could be no longer exercise deither by the Rajpramukh or by the State of Rajasthan or by anyone else and the question of succession to Jagirs became purely a civil matter."

यह उनकी ओपीनियन है। मगर सवाल यह आता है कि सिविल कोर्ट इसको किस आधार पर निश्चित करेगा ? सिविल कोर्ट निश्चित कानून के आधार पर निर्णय कर सकता है। लेकिन यदि कोई कानून निश्चित नहीं है, पुरानी परिपाटी के अनुसार सवाल आता है तो हैड ऑफ दी स्टेट को अपनी लॉयल्टी आदि देख कर मंजूर करने, न करने करने का अधिकार था। जिस आदमी को गोद लिया गया है वह उनके प्रति लॉयल या वफादार है या नहीं, इस आधार पर निर्णय किया जाता था। ऐसी स्थिति में आज यह वेक्यूम क्रिएट करता है और आज की स्थिति में वेक्यूम को हटाने के लिये न्याय विधि से नियम बना रहे हैं। लेकिन माननीय सदस्य कह सकते हैं कि मातमी के रूल्स आज लागू करते हैं उनमें जनतांत्रिक व्यवस्था में अधिकार जरूरी हैं, तरमीम की मांग कर सकते हैं। लेकिन कानून को वेक्यूम की स्थिति में नहीं छोड़ा जा सकता। कोवेनेन्ट से पहले हैड ऑफ दी स्टेट को डिस्क्रीश्नरी पॉवर्स थे और वे पॉवर्स सक्सेसर गवर्नमेंट को ट्रान्सफर नहीं किये और अपने पास भी नहीं रखे। ऐसी हालत में सिविल कोर्ट पर बोझ डालते हैं तो वह उसको किस प्रकार करेंगे ? डिस्क्रिशन की हकदार नहीं है, सिविल कोर्ट्स नियम के अनुसार फैसले करते हैं और जब नियम नहीं है तो ऐसी स्थिति होती है जिसके बिना काम नहीं चल सकता और यदि नियम अनुचित हो तो सदस्य कह सकते हैं कि तरमीम हो। लेकिन किसी नियम के आधार पर फैसला होता रहा है तो एकाएक उसको डिस्टर्ब करना किसी समय के लिये ठीक नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहूंगा कि बहुत तसल्ली के साथ सोच-समझ कर यदि बनाया जाय या तरमीम करने का सोचें तो अच्छा रहेगा। सैद्धान्तिक रूप से विरोध नहीं कर सकते, ऐसी मेरी मान्यता है।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व-मन्त्री) : सभापति महोदय........

श्री अनूपसिंह (बालोतरा) : आपने क्या सुना जो जबाब दे रहे हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जबाब सुन लीजिये, पता चल जायेगा। सभापति महोदय, इस बिल के ऊपर दो तरह की विचार धाराएं सामने आई हैं। कुछ माननीय सदस्य इस बिल को लेकर खास तौर से जिस मुकदमे का फैसला हुआ हाई कोर्ट में उसको लेकर इस बात में दिलचस्पी रखते हैं कि जो फैसला हुआ है वह रहना चाहिये और उसमें कोई वेलिडेशन रूल्स या लॉज जो जयपुर स्टेट में थे उनका नहीं होना चाहिये। उन्होंने जो विचार व्यक्त किये सदन में, मैं जानता हूं कि वे सदस्य वहां पर इन मुकदमों के सिलसिले में दिलचस्पी रखते आये हैं और दिलचस्पी अब भी रख रहे हैं। इसलिये उनका विचार करना व्यक्तिगत दिलचस्पी की निगाह से ठीक हो सकता है। वे चाहते हैं कि अमुक मुकदमे में हाई कोर्ट का फैसला हुआ है वही रहे और

Page No 84

(श्री दामोदरलाल व्यास)

जयपुर स्टेट ने या हिज हाइनेस ने जो फैसला दिया है वह नहीं रहना चाहिये । यह रहा सवाल व्यक्तिगत दृष्टिकोण, खुद का या रिश्तेदारों का या दूसरी बातों के नफे नुकसान का सवाल आता है तो वह दृष्टिकोण बन जाता है कि रहना चाहिये........

मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : ये व्यक्तिगत आरोप किसी माननीय सदस्य पर लगाना कहाँ तक उचित है ?

श्री सभापति (श्री आबिदअली) : किसी माननीय सदस्य के लिये नहीं कहा है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाया है । वे सोचते हैं....

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : यदि आपने व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाया है तो वह व्यक्ति हाई कोर्ट का जज हो सकता है । हाई कोर्ट के जज के खिलाफ आरोप लगाया है........

श्री सभापति (श्री आबिद अली) : Order please ! There should be no interruption in the answer given by the Minister-in-charge. Yes, please continue.

श्री मदनसिंह : यदि कोई मिनिस्टर व्यक्ति का नाम नहीं लेते हैं तो हाई कोर्ट के जज पर पड़ता है ।........

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने आपका नाम नहीं बताया है कि आप क्यों दिलचस्पी रखते हैं । मैंने आपके लिये कहा कब है ! अलग अलग दृष्टिकोण से विचार कर लेते हैं ।

श्री मदनसिंह : हाई कोर्ट का प्रश्न है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने हाई कोर्ट के लिये कुछ नहीं कहा है ।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : सदन में कोई सदस्य व्यक्तिगत हैसियत से कुछ नहीं कहता है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने किसी माननीय सदस्य को व्यक्तिगत लाभ होने की बात नहीं कही है । जिस माननीय सदस्य के लिये समझ रहे हैं उनके लिये मैंने नहीं कहा है । इस मुकदमे में व्यक्तिगत रूप से जो माननीय सदस्य हैं उन पर लागू होने की बात नहीं कही है ।

श्री मुरलीधर व्यास : व्यक्तिगत बात ही कही है ।

श्री सभापति (श्री आबिद अली) : उन्होंने व्यक्ति विशेष के लिये नहीं कहा है । प्रोसीडिंग्ज मेरी नजर में हैं । उन्होंने किसी अमुक आदमी के लिये नहीं कहा है, बल्कि आर्ग्युमेन्ट्स एडवान्स किये जा रहे हैं । मंत्रीजी भाषण आरम्भ रखें ।

श्री दामोदरलाल व्यास : सभापति महोदय, मैं फिर एक दफा कहना चाहता हूँ कि मैंने किसी माननीय सदस्य के किसी जाति नफा नुकसान की बात नहीं कही है ।

श्री मुरलीधर व्यास : यह बात कही है। अब आप कह रहे हैं कि मैंने किसी जाति नफा-नुकसान को बात नहीं कही।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं कह रहा हूँ कि जाति नफा-नुकसान फरीकेन के मामलों में थे, किसी माननीय सदस्य के लिए नहीं कहा। आप तोड़-मरोड़ करके कहलवाना चाहते हैं तो मैं नहीं कहूंगा। माननीय सदस्य पर आरोप लगाऊं, मैं आरोप लगाने वाला नहीं हूँ और न आपकी बात मंजूर करने वाला हूँ।

श्री मुरलीधर व्यास : प्रोसीडिंग्ज़ पड़ी हैं, उसमें देख लें।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपका अधिकार है, आप जो चाहें उसका इन्टरप्रिटेशन करें। मेरी यह कहने की मन्शा नहीं है। मैं कहता हूँ कि मेरी मन्शा यह है कि जिस रूप से बहस में विचार रखे गये हैं, जो नुक्ते निगाह इस बात पर रखे गये हैं, एक मुकदमें में जाति नफा नुकसान एक फरीक के हैं, उस दृष्टि से रखे हैं। मैं यह बात बता रहा था। दूसरा नुक्ते नजर पेश कर रहा हूँ कि अजमेर से आनेवाले माननीय सदस्य ने रखा है, सलूम्बर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है और सवाई माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने विचार रखा है कि जागीरदार जिनकी मातमी या जिनका सक्सेशन पिछले पन्द्रह वर्षों में मंजूर या स्वीकार किया है उस नुक्ते नजर से विचार रखे हैं कि सैटल्ड को अब अनसेटल्ड में लाया जा रहा है और जितने सक्सेशन केसेज़ हुए हैं उन सबको नल एण्ड वोइड करार दे देना है और वापिस उनको लिटिगेशन में घसीटना है। यह दूसरा दृटिकोण है। जो दो अलग अलग दृष्टिकोण सदन में आये हैं, जहां तक पहले का सम्बन्ध है, मैं आपको इसके इतिहास में ले जाने की आवश्यकता नहीं समझता। यह कानून बनाने की क्यों आवश्यकता पड़ी, कौनसा अधिकार सरकार अपने पास में लेना चाहती है? जो अधिकार पहले नहीं था वह लेना चाहती है, यह बात नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि १९५० जब से विधान लागू हुआ उससे पहले जो कायदे कानून जयपुर राज्य-काल में थे या उसी तरह राजस्थान के अन्दर दूसरी इन्टीग्रेटेड यूनिट्स में थे........

श्री हरिप्रसाद यादव (वल्लभनगर-सु०): माननीय सभापति, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानकारी चाहूँगा कि जयपुर राज्य के पहले राजा-महाराजाओं के कानून बनाये हुए थे उनकी कॉपी सदन की मेज पर क्यों नहीं रखी गई? यह अमेंडमेंट बिल लाने का मतलब क्या है?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह हो गया है, इस पर डिसीजन हो गया है।

मैं कह रहा था कि जैसा सलूम्बर से आये हुए और अजमेर से आये हुए माननीय सदस्य ने कहा कि कस्टम, यूसेज के लिए, उसके लिए इस बात के लिए माना है, जहां स्पेसिफिक लॉज नहीं हैं वहां कस्टम था, परम्परा थी, उन पर रूलर्स अपनी सॉवरिन पॉवर्स एक्सर्साइज करते थे और सक्सेशन मंजूर करते थे। जयपुर में १९५०, मातमी रूल्स के पहले पहल वक्तन फवक्तन रूल्स जारी हुए, नोटीफिकेशन हुए और जागीरदारों के सक्सेशन के कानून के अलग अलग

Page No 86

[श्री दामोदरलाल व्यास]

नोटिफिकेशन हुए। उनकेअडॉप्शन के लिए लॉ अलग था, उनका नोटीफिकेशन था। उन सब को कन्सोलिडेट करके जयपुर मातमी रूल्स बना दिये। वह नया कानून नहीं था। पहले यह रूल्स, १८७५, १९०६, १९२७, १९२३ के थे। ऐसे बहुत सारे थे, जिनको कन्सोलिडेट करके लॉ बनाया गया। उस वक्त जयपुर मातमी रूल्स को गवर्नमेंट ने पब्लिश किया गजट में। उसमें साफ लिखा है: Customs and usages having force of law" उसके बाद राजस्थान हाईकोर्ट में मुकदमा गया। वहां एतराज उठाया गया कि प्रोपर ऑथोरिटी ने इसको सेंक्शन नहीं किया था। जयपुर एक्ट, १९४४ था। उसके तहत जब तक हिज हाइनेस सेंक्शन नहीं करें वह कानून नहीं माना जा सकता है। उस पर हिज हाइनेस की सेंक्शन जरूरी थी। यह ठीक है कि जब बहस हुई तो जो गवर्नमेंट एडवोकेट थे, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रोपर सेंक्शन थी। लेकिन सम्बन्धित फाइल जयपुर स्टेट की थी वह बरामद नहीं हो सकी, दस्तयाब नहीं हो सकी। इस वजह से उसको स्वीकार नहीं किया प्रोपर सेंक्शन की बात को, क्योंकि रूल्स के अन्दर, जो पब्लिश हुए हैं गजट के अन्दर उसमें कहीं लिखा है "As aapproved by the Government of Jaipur" इसलिए समझ लिया कि हिज हाइनेस की सेंक्शन हो गई। यह ठीक उपज थी, क्योंकि अक्सर ऐसे दूसरे लॉज़ थे जयपुर के बने उनमें प्रोविज़न था, "Recived the assent of H. H. the Maharaja of Jaipur on such and such date." वे बराबर छपते थे। इस अनोलोजी के ऊपर हाईकोर्ट ने होल्ड किया कि प्रोपर सेक्शन नहीं थी। रिजल्ट यह हुआ कि १९४४ या उसके बाद जितने सक्सेशन के केसेज हुए हैं और जितनी मातमी मंजूर हुई हैं सरकार की उन सब के लिए यह पोजीशन पैदा हो गई कि वे लॉज नहीं थे उन लॉज में की सेक्शन हुई नहीं, इसलिए नल एण्ड वोइड हो गये। अब पोजीशन यह आ जाती है कि अगर उनको वेलिडेट न करें तो जितने सक्सेशन हुए हैं वे री-ओपन हो जाय। यह स्थिति है। दूसरी तरफ जागीर रिजम्प्शन १९५२, १९५४ में अमेंड होने के बाद उसके तहत जागीर रिज्यूम हो चुकी थी। जहां तक सक्सेशन का ताल्लुक है, रिजम्प्शन के पहले अलग अलग स्टेटस के जागीर के मुतलिक लॉज थे वे अप्लाई होते थे, रिजम्प्शन के पहले पर्सनल लॉ अप्लाई होते थे, और लॉज अप्लाई नहीं होते थे। जहां तक रिजम्प्शन का सवाल है मातमी रूल्स से सम्बन्ध नहीं है। यह सवाल है, यह पर्सनल लॉ से होगा, चाहे अडॉप्शन का हो चाहे और किसी का हो, उसमें हिन्दू लॉ, मुसलमान लॉ अप्लाई होता है। वे उनसे गवर्न होते हैं, मातमी रूल्स से ताल्लुक नहीं है। मातमी का ताल्लुक उनसे है, रिजम्प्शन के पहले जिन जागीरों के सक्सेशन ग्रान्ट हुए, रूलर्स के जरिये, गवर्नमेंट के जरिये अकॉर्डिंग टू मातमी रूल्स। अगर वे री-ओपन हो जाते हैं तो जैसा सलूम्बर से आये हुए और अजमेर से आये हुए माननीय सदस्य ने कहा कि एग्ज़िस्टिंग जागीर रिज़म्प्शन एक्ट में डिसीज़न किया है उसमें रूल्स, रेग्युलेशन, बाइ लॉज, कस्टम, यूसेज को मान लिया है। उसके साथ साथ जागीर रिज़म्प्शन एक्ट में जागीरदार की डेफिनेशन है उसमें यह है:

(श्री दामोदरलाल व्यास)

"'Jagirdar' means any person recognised as a jagirdar under any existing jagir law." यह जरूरी है, वर्ना वे जागीरदार नहीं होते । जागीर रिज़म्पशन हो चुकी है और जागीर रिजम्पशन के बाद जो सक्सेशन डिसाइड हुए हैं, जो जागीरें रिज्यूम हुई हैं, उनमें से बहुत से जागीरदारों को कम्पेन्सेशन दे चुके हैं, उनको इन्टेरिम कम्पेन्सेशन दे चुके हैं उनका फाइनल अवार्ड हो चुका है । इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि बहुत बड़ा नुकसान होगा अगर ये लॉज वेलिडेट नहीं किये जायं और १६४५ से इस रिज़म्पशन के पीरियड के बीच में जितने सक्सेशन हुए हैं मातमी रूल्स के अन्डर में वे जागीरदार नहीं होंगे । They would not be jagirdars because the definition of "Jagirdar' under the Jagir Resumption Act is recognised as Jagirdar under any existing Jagir law. और हाई कोर्ट ने अपना फैसला लिया है वह यह लिया है कि Jaipur Matmi Rules are not an existing Jagir law for the purpose of Jagir resumption.

तो आप यह समझ लीजिये कि यह पोज़ीशन पैदा होती है । जितने भी सक्सेशन ग्रान्ट हुए, जितने भी सक्सेशन सेंक्शन हुए और जिनकी जागीरें रिज्यूम हो गई, जिनको कम्पेन्सेशन मिल गया, अवार्ड फाइनल हो गये, इन्टेरिम कम्पेन्सेशन ले लिये वे अब जागीरदार नहीं रहे, the position comes to this. इससे अन्दाज लगा सकते हैं कि कितनी कॉम्प्लीकेटेड सिचुएशन पैदा हो जाती है अगर इसको वेलिडेट नहीं करते हैं, पार्टीज के दरम्यान में आपस में मुकदमे शुरू हो जायेंगे, चाहे अर्डीनेंशन की बेसिस पर सूट्स हों, चाहे किसी बेसिस पर सूट्स हों, नई मुकदमेबाजी शुरू होगी । there will be number of litigation जितनी जागीरें लीं उनके अन्दर पेमेंट नहीं किया जाता तो कोई कॉम्प्लीकेशन नहीं होते । लेकिन जितने उनके जमाने में डिसीजन हुए वे बेकार हो जाते हैं । तो एक नई डिफीकल्टी सरकार के सामने आती है और जागीरदारों के सामने आती है और जो सेटल्ड हो गई हैं वे अनसेटल्ड हो जाती हैं । इसलिए आवश्यकता है कि इन लॉज़ में जो डिसीज़न्स हुए हैं उनको वेलिडेट करें ।

एक माननीय सदस्य, जो जयपुर से आये हुए हैं, की भाषा के ऊपर मैं कमेन्ट नहीं करना चाहता । जिस तरह से उन्होंने जो कुछ कहा उसके बारे में दूसरे माननीय सदस्यों ने काफी कह दिया है । उन्होंने जिस तरह कहा कि सरकार राजा–महाराजाओं के अधिकारों को लेना चाहती है । मैं समझता हूँ कि हाई कोर्ट के फैसले को वे गौर से पढ़ते और जो कानून मैंने सदन में पेश किया है उसको गौर से पढ़ते और उसके दरम्यान में जो लॉज हैं राजस्थान के सक्सेशन के मुतल्लिक तो उनको मालूम हो जाता कि गवर्नमेंट कोई पॉवर ले नहीं रही । जिस कानून का हवाला देकर उन्होंने कहा कि आज से तीन साल पहले एक कानून बनाया गया, जिसके अन्दर गवर्नमेंट ने रिवीजनल पॉवर्स लीं । जिस वक्त रिवीजनल पॉवर्स लीं तो माननीय सदस्य के पड़ोस में माननीय सदस्य बैठे हुए हैं उन्होंने दिलचस्पी ली और कहा कि ऐसी पॉवर्स होनी चाहिए, क्योंकि एक जागीर में गलत फैसला

(श्री दामोदरलाल व्यास)

हुआ था और एक गलत आदमी को मुआवजा मिल गया था। इसलिए आवश्यकता हुई, हालांकि अब एक भी ऐसा केस नहीं है जिसमें उसके तहत कार्यवाही की हो। मैं समझता हूं कि इसमें ऐसा होना चाहिए कि जब तक पूरी छानबीन करके आखिरी फैसला न हो जाय तब तक कम्पेन्सेशन न लिया जाय। दांता रामगढ़ से आये हुए सदस्य ने बार बार रखा है....

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़): That were Bikaner Rules, not Jaipur Rules.

श्री दामोदरलाल व्यास: Does not matter. It is not a question of Jaipur Rules. सवाल यह है कि जो सक्सेशन के लॉज़ बीकानेर के थे उसी तरह के जयपुर के थे। तो एक गलत आदमी को मुआवजा दे दिया गया। उस वक्त बार बार कहा कि वह कानून अच्छा लगता है, वे उसकी ताईद करते हैं, वह कानून बनना चाहिए। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि तीन साल उस कानून को बने हुए हो गये, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य, अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य एक भी केस ऐसा बतायेंगे जिसमें गवर्नमेंट ने रिवीज़नल पॉवर्स एक्सरसाइज़ करके सेट असाइड किया हो ? वे सदस्य, जो कहते हैं कि अल्टीरियल मोटिव से कानून बनाये जाते हैं, इसलिए कानून बनाती है क्योंकि गवर्नमेंट पॉवर्स सेन्ट्रलाइज़ करती है। मैं समझता हूं कि इन तीन सालों में एक भी ऐसा केस नहीं है जिसमें पॉवर एक्सरसाइज़ की हो और जुडिशियल कोर्ट ने फाइंडिंग्स करके जो भी डिसीज़न दिया है उसको गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया है। बहरहाल एक केस सामने आता है, तो गवर्नमेंट एक प्रोविज़न इस तरह का बनाती है जिससे सेफ गार्ड रहे और गलत आदमी को मुआवजा न मिल जाय, गलत आदमी का कब्जा न हो जाय, उसके लिए कानून बनाती है। मैं फिर रिपीट करता हूं कि आप एक भी केस बता दीजिये जिसमें गवर्नमेंट ने अपनी पॉवर्स को एक्सरसाइज़ किया हो ? मैं समझता हूं आप जवाब नहीं दे सकते। मैं कहता हूं कि उस कानून को बनाने के बाद में एक केस में भी पॉवर एक्सरसाइज नहीं की है। इसके बजाय १९५५ में सरकार ने इस बात का कदम उठाया कि मातमी के केसेज़ के अन्दर मातमी रूल्स में जो पॉवर्स गवर्नमेंट को थीं उनके लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को फाइनल ऑथोरिटी बना कर डेलीगेट कर दे। वह भी इसी सरकार ने बनाया, कोई पुराने जमाने की सरकार नहीं थी। माननीय सदस्य किसी चीज को तोड़–मरोड़ कर कहें कि सारी पॉवर्स सरकार लेना चाहती है, मेरे ख्याल से इसको माननीय सदस्य सोच सकते हैं कि वह कहां तक सही है। जितनी भी दलीलें उन्होंने दीं, जितना भाषण दिया उसका इस बिल से कहां तक सम्बन्ध था और वाकई वे किस इरादे से किस बात को कह रहे हैं, इस पर मुझे कॉमेन्ट करने की आवश्यकता नहीं है।

दूसरी बात यह है कि जहां तक जजमेंट का सवाल है, जजमेंट को आप पढ़ेंगे तो जजमेंट में साफ बात लिखी हुई है कि हाई कोर्ट ने इस बात को मंजूर किया है, १९५० के बाद के केसेज़ का ताल्लुक है अर्डोंशन के they will be governed by Civil laws. हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं। तो सिविल

(श्री दामोदरलाल व्यास)

कोर्ट्स के पॉवर्स हैं उनको वेलिडेट नहीं कर रहे हैं। वेलिडेट कर रहे हैं जयपुर मातमी रूल्स को। हाई कोर्ट ने माना है कि मातमी रूल्स अगर वेलिड होते, प्रोपर सैंक्शन होती तो भी जहां तक अडॉप्शन का सवाल है आर्बीट्रेरी पॉवर्स जो रूलर्स एक्सरसाइज़ करते थे अब एक्सरसाइज़ नहीं कर सकते, सिविल कोर्ट्स एक्सरसाइज करेंगे। तो बिला वजह से कॉन्स्टीट्यूशन को लाकर कहा कि जितने अधिकार हैं छीने जा रहे हैं, गवर्नमेंट के पास सिविल पॉवर्स जा रहे हैं। हाई कोर्ट के फैसले ने इसको स्पष्ट कर दिया है।

इसके बाद एक माननीय सदस्य जो उनियारा से आये हुए हैं उनको इस मामले में बहुत जोश है। उन्होंने कहा कि थाउजेंड एन्ड थाउजेंड केसेज हैं, ऐसा मैंने कहा। मैंने थाउजेंड केसेज का इसलिये कहा कि ४५ के बाद में कितने केसेज़ तय हुए हैं, थाउजेंड्स नहीं तो हंड्रेड्स केसेज़ तो हुए हैं। थाउजेंड्स केसेज़ पेंडिंग का नहीं लिखा हुआ है। जो केसेज़ डिसाइड हो गये हैं उनको वेलिडेट करने के लिये यह वेलिडेशन बिल लाया गया है।

श्री मदनसिंह : किसी पेंडिंग केस को इसके तहत आप नहीं लेंगे, ऐसा आप कह दें तो हम इसे पास करने को तैयार हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : किसके लिये ?

श्री मदनसिंह : कोई भी हो।

श्री दामोदरलाल व्यास : तो वह बताइये मर्ज की बात।

श्री मदनसिंह : मेरा ऑब्जेक्शन आप समझे नहीं। आपने कहा कि जो केसेज़ डिसाइड हो गये हैं उनको वेलिडेट करने के लिये यह कर रहे हैं, तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि जितने पेंडिंग केसेज हैं उनको इन रूल्स के तहत डिसाइड नहीं करेंगे, यह आप कह दीजिये तो हम इस बिल को पास करने के लिये तैयार हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं समझ गया आप किसके लिये चाहते हैं।

तो मैं अर्ज कर रहा था कि मैंने यह नहीं लिखा कि thousands of cases are pending. मैंने यह लिखा है कि दो एक्ट हैं, एक तो, लैंड रिफॉर्म्स एन्ड रिजम्पशन ऑफ जागीर्स एक्ट और दूसरा जागीर डिसीजन एन्ड प्रोसीडिंग्स वेलिडेटिंग एक्ट। उनमें जयपुर मातमी रूल्स, १६४५ को नहीं माना जाता है। तो यह सब का सब गड़बड़ हो जाता है, कॉम्प्लीकेशन्स हो जाती हैं इन्टरेस्टेड पार्टीज के भी और गवर्नमेंट के भी। इसमें कानून की माहिरियत की, काबलियत की बात नहीं। जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य लायक, सफल वकील हैं। मैं उनके लिये वे शब्द नहीं कहूँगा जो उन्होंने मेरे लिये कहे हैं। वे कानून के माहिर हैं, पर मैंने इस तरह की बात कभी सदन में नहीं कही है कि मैं कानून का माहिर हूँ। पर यह कह सकता हूं कि जो कानून बनाने जा रहे हैं उससे मेरा और गवर्नमेंट का कोई सम्बन्ध नहीं है। वह गवर्नमेंट दूसरी थी, उस समय डिफेक्ट रह गया उसको रेक्टिफाई कर रहे हैं। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि वह आवश्यक है कि नहीं, यह कसूर उस गवर्नमेंट का है या इसका ?

(श्री दामोदरलाल व्यास)

ऐसी सूरत में जो यह जनमत के लिये इसे प्रसारित करने का प्रस्ताव रखा है उसका मैं विरोध करता हूं, वह अस्वीकार होना चाहिये।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : मैं इसे वापिस ले लूं क्या ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री) : आप चाहें तो ले लें, नहीं लेंगे तो आपको हरा देंगे, देखते नहीं इधर अब भी कितने बैठे हुए हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : इस बूते पर कहते हैं तब तो....

श्री दामोदरलाल व्यास : देख लीजिये।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेने के लिये अनुमति चाहता हूँ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जयपुर मातमी रूल्स (वेलिडेशन) बिल, १६६१ में जो प्रस्ताव रावराजा श्री सरदारसिंह ने रखा है उसे वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति प्रदान की गई।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जयपुर मातमी रूल्स (वेलिडेशन) बिल, १६६१ को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इस विधेयक को पारित किया जाय।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्लॉज़ लीजिये।

श्री सभापति : There is no amendment in the clauses.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो बोलेंगे साहब।

श्री सभापति : Do you want to say anything new ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पारित करने का प्रस्ताव रखा है।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी ने बताया है कि इतने बिल्स को दो दिन में पास करेंगे तो एक बिल को ही लेकर बहस करने लगेंगे तो इतने बिल कैसे पास होंगे ?

श्री सभापति : The Hon'ble member has a right to speak on the.

(श्री सभापति)

third reading. Yes, Mr. Satish Chandra.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : सभापति महोदय, जयपुर मातमी रूल्स (वेलिडेशन) बिल, १९६१ को पारित किये जाने का प्रस्ताव माननीय राजस्व मंत्रीजी ने प्रस्तुत किया है। मैं इसके सम्बन्ध में एक बात विशेष रूप से रखना चाहूँगा। जो कुछ भी इस सम्बन्ध में पहले कहा है मैं उन सारी बातों को न दोहराते हुए माननीय राजस्व मंत्रीजी ने अभी इस बहस का जो उत्तर दिया और उसमें जो उन्होंने एक बात सदन में प्रस्तुत की और सदन को जो यह बात कही कि अगर हमने इसका वेलिडेशन नहीं किया तो जो मुकदमात तय हो चुके हैं, जो केसेज डिसाइड हो चुके हैं, जो ४५, ४६, ४७, ४८, ४९ व ५० या कहना चाहिये कि वेलिडेशन बिल पास होने से पहले जितने मुकदमात १६ साल में डिसाइड हुए हैं, फैसल हुए हैं, वे रीओपन हो जायेंगे और यह कहने की कोशिश की कि हजारों नहीं तो सैकड़ों मुकदमे होंगे और वे सब रीओपन हो जायेंगे, इसलिये इस वेलिडेशन बिल को पास करना जरूरी है। सभापति महोदय, जहां तक मैं समझा हूँ जितने मुकदमात आज से पहले तय हो चुके हैं और जो रेमेडीज उन्हें अवेलेबल थीं, जो उन्होंने अवेल नहीं की और जो डिसिजन्स फाइनल हो गये, चाहे गलत कानून के आधार पर हो गये पर जो फाइनल हो चुके हैं, मैं माननीय राजस्व मंत्रीजी से पूछना चाहूँगा कि क्या उनका आशय यह है कि मातमी के केसेज ४६-४७ में जो फाइनल हो गये और उनकी कार्यवाही नहीं हुई तो क्या वे फिर रीओपन हो जायेंगे ? मेरी मान्यता है कि रीओपन नहीं हो सकते। इस सम्बन्ध में मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं और उनको याद दिलाना चाहूंगा टोंक के एक केस के सिलसिले में। टोंक के एडमिनिस्ट्रेटर थे श्री रामबाबू सक्सेना। उनके ऊपर ४२० का मुकदमा जयपुर के न्यायालय में चला। माननीय सभापति महोदय, आपको भी यह मालूम होगा कि जयपुर के डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेशन्स जज ने फैसला दिया था कि टोंक में आई. पी. सी. लागू नहीं थी और इसलिये ऐसा निर्णय हुआ कि यह प्रोसीक्यूशन नहीं चल सकता। स्टेट गवर्नमेंट ने अपील की और हाई कोर्ट ने यह कहा कि टोंक में विधिवत् आई. पी. सी. लागू नहीं थी और इस सिलसिले में किताब मांगी गई तो उसके बदले में सरकारी वकील ने टोंक की बड़ी अदालतों के फैसले पेश किये और यह बताने की कोशिश की कि ये फैसले कानून के अन्तर्गत किये गये। हाई कोर्ट की तरफ से यह जोर दिया गया कि कानून की किताब कहां है तो कहा गया कि जब फैसले हैं तो किताब जरूर होगी, कानून जरूर होगा। हाई कोर्ट में स्टेट गवर्नमेंट की अपील पर हाई कोर्ट ने कहा कि यह उन फैसलों के आधार पर नहीं माना जा सकता कि कानून था। तो पहले कितने भी केसेज के फैसल हुए थे, कितने ही केसेज में फांसी की सजा, आजन्म कारावास की सजा दी गई थी तो हाई कोर्ट के फैसले के बाद उनको कोई अधिकार नहीं था कि वे केसेज़ रीओपन हो सकें। अगर गलती करने के तहत में किसी डिस्ट्रिक्ट एण्ड सेशन जज ने किसी को १० साल की सजा दे दी तो उसको सजा काटनी होगी।

Page No 92

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

अगर वह अपील नहीं करेगा तो वह फैसला स्टेन्ड रहेगा। आज वे केसेज जो पुराने हैं वे री–ओपिन नहीं हो सकते और नहीं होने चाहिये थे। मैं यह निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री महोदय ने जो अपील सदन में की है कि अगर हमने वेलिडेटिंग बिल पास नहीं किया तो केसेज रीओपिन हो जावेंगे....

श्री सभापति : There is a difference between the criminal proceedings and civil proceedings. a vast difference.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं समझता हूँ कि अगर डिप्टी कलेक्टर ने किसी की मातमी मंजूर कर दी और रेवेन्यू कोर्ट या हाई कोर्ट में उसकी किसी ने अपील नहीं की तो वह फैसला कलेक्टर का नल एन्ड वोइड नहीं है। जब कभी हाई कोर्ट में किसी व्यक्ति की रिट पिटीशन होती है तो अगर कोई गलत टैक्स लगा होता है, या और कोई बात हो तो उसके लिये सब लोगों को अलग अलग रिट में जाना होगा; यह नहीं होगा कि एक ने रिट कर दी और उसके लिये जो फैसला हो गया वह सब पर असर करेगा। जो फैसला होता है उस पर कोर्ट नीचे की गवर्न हो सकती है लेकिन सब को रिलीफ नहीं मिलता जब तक वह अदालत में अपना रिलीफ हासिल न कर ले।

श्री सभापति : A relief given by a particular Court which has no jurisdiction, can that relief stand in a Court of law ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Yes.

श्री सभापति : Supposing a Tehsildar gives a decree in a money suit, can that decree of the Tehsildar stand ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : If no appeal has been filed.

श्री सभापति : When the Tehsildar has no jurisdiction and he gives decree in a money suit worth Rs. 200/- that decree of the Tehsildar cannot stand.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : That is absolutely a different matter. There are two types of jurisdiction. One is complete lack of jurisdiction, and the other is partial lack of jurisdiction. For example, a Munsif having jurisdiction of Rs. 2,000/-, if he decides a case of more than Rs. 2,000/-, that would be a different matter from the complete lack of jurisdiction.

श्री सभापति : No, Sir. I would put a pertinent question. Whether an adoption sanctioned by the Maharaja of Jaipur in 1946 would be vaild if this law is not passed? The point is that an adoption sanctioned by His Highness of Jaipur in 1946 can be challenged, if these Rules are not validated and if they are not given the force of law.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं यह सब्मिट कर रहा था कि कुछ केसेज़ ऑटोमेटिकली रीओपन हो जावेंगे, यह बात नहीं है। अगर रिट पिटीशन में हाई कोर्ट ने

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

फैसला दिया है तो जो व्यक्ति हाई कोर्ट में जाता है उसको ही रिलीफ मिलता है । इसका यह मतलब नहीं कि एक का केस तय हो जाने से सारे के सारे केसेज़ ऑटोमेटिकली रीओपन हो जावें । वे ऑटोमेटिकली रीओपन नहीं होंगे। It is not a question of automatically re-opening. The High Court judgment is not applicable to all cases and it is not going to give relief to all cases who have not approached the High Court, unless they approach the High Court in a proper writ......

श्री सभापति : Then the Hon'ble member accepts the position that such adoption cases are liable to be re-opened if these Rules are not validated. It is a different matter whether a person goes to the High Court or not, but you admit that an adoption sanctioned by His Highness in 1947 will not be recognised for the purposes of succession to State Grant for the purposes of the Land Reforms & Resumption of Jagirs Act. That is the clear position.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Let the Revenue Minister be aware that the High Court does not necessarily entertain writ petitions after three months from the cause of action. इसलिए सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि ऐसी आसान बात नहीं है कि आज हाई कोर्ट में उन पुराने केसेज़ की रिट पिटीशन हो सकती हो। अगर कोई ग्रीवेन्स आपको उस समय थी तो आपको उस समय चैलेन्ज करना चाहिये था ।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): What is the limitation in civil suits ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : The prevalent practice in the High Court is that the High Court does not generally entertain writ petitions, if they are filed more than three months after the cause of action.

सभापति महोदय, मैं यह समझता हूँ कि १० या ५ केसेज़ में सिविल सूट हो सकते हैं । मान लें कि ऐसा होता है तो....

श्री दामोदरलाल व्यास : आपकी इसमें क्या राय है, आप बतावें ? आप कानून की बात करते हैं तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि हो सकता है या नहीं ? What is the limitation in civil suits ?

श्री सभापति : There is no bar to file a civil suit if a particular action is invalid.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि एक बात आपने कही उसका मैं समाधान कर दूं । आपने कहा कि हाई कोर्ट के फैसले के बाद सारे केसेज़ खुल जावेंगे । हो सकता है कि ५ या ७ केसेज़ पिछले कुछ सालों से तय हुए होंगे वे खुल सकते हैं, वे खुल जावेंगे ।

अभी आपने कुछ कहा कि मुझे जागीरदारों से इन्ट्रेस्ट है । मैं यह निवेदन करूंगा कि मुझे कोई किसी प्रकार का इन्ट्रेस्ट नहीं

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

है। जिस केस का हवाला मैंने दिया वह केस आपके स्टेटमेंट ऑफ रीजन्स में जिसका आपने रीज़न दिया है उसमें आया हुआ है और जिसके आधार पर माननीय मन्त्री सारे सदन में दलील प्रस्तुत करते हैं। मुझे किसी में दिलचस्पी नहीं है, but at the same time I cannot say that any association with the Jagirdars is a bad thing.

श्री दामोदरलाल व्यास : I never said that you are interested in a particular case.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने अपने जवाब में कुछ ऐसी बात कही थीं कि जयपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने व्यक्ति विशेष की वकालत की थी।

श्री सभापति : वे कहते हैं कि मैंने नहीं कहा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने नहीं कहा तो अच्छी बात है। मैं इसको बुरा भी नहीं मानता। अगर आप बुरा मानते हैं तो मैं यह कहूँगा कि सबसे ज्यादा जागीरदारों से आप एसोसियेटेड रहे हैं।

XXXX

श्री सभापति : No direct references please.

श्री बिशम्भरनाथ जोशी (बांदीकुई) : Point of order, Sir, I think all this should be expunged from the records.

XXXX अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

This does not lend to the dignity of the House. It is highly derogatory.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : What is derogatory ? Whatever Mr. Jawala Prasad has said ?

श्री बिशम्भरनाथ जोशी : All this was derogatory and it should be expunged from the proceedings, Sir.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : What is derogatory ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : आपने कहा वह मैंने कहा।

श्री सभापति : सदन में जो डाइरेक्ट डिस्कशन्स हुए हैं उनको एक्सपन्ज कर दिया जाय।

(विराम)

यह मैंने डाइरेक्ट डिस्कशन पर व्यवस्था दी है। आपस में बात करते हैं, वह सब रेकॉर्ड पर ली जाती है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : वे बातें आपकी मार्फत की हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं निवेदन कर रहा था, इस सम्बन्ध में मैंने जो कुछ भी यहां पर दलील दी वे सारी दलीलें लीगल पोज़ीशन के आधार पर दी थीं कि इस प्रकार की जो प्रेक्टिसेज़ एडॉप्ट की हैं वे कभी भी फेयर नहीं कही जा सकती हैं। माननीय राजस्व मंत्री महोदय ने जवाब में यह तो आसानी से कह दिया कि सन् १९४५ की फाइल नहीं मिली; कहीं गायब हो गई।

Page No 95

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि थर्ड रीडिंग में जो आर्ग्यूमेन्टस पहले दिये जा चुके हैं वे रिपीट नहीं होने चाहिये, जो पहले ही सेकन्ड रीडिंग में दिये जा चुके हैं।

श्री सभापति : जो बात दोहरा चुके हैं वे नहीं कहेंगे और कोई नई बात कहेंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास : फाइल से अब यहां सम्बन्ध नहीं है। वे आप और किसी समय पर कह सकते हैं।

श्री सभापति : थर्ड रीडिंग पर विचार किया जा रहा है उसी सम्बन्ध में रखें और जो बातें आप रख चुके हैं उसको कृपया न दोहरायें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह तो शुरु में ही निवेदन कर दिया। मैं जानता हूं इस प्रकार की बातें नहीं कहनी चाहिये। लेकिन मैं ये सारी बातें दोहरा नहीं रहा था। यह तो हो नहीं सकता, शब्दावली, शब्द और शब्द कोष तो इतना ही है और जो मेरी जितनी शब्दावली के बारे में जानकारी है वह तो जो है आवेगी। फाइल के लिए और कोई दूसरा शब्द कह दूं यह तो हो नहीं सकता। इतना रेफरेन्स देना तो आवश्यक है।

तो मैं कहना चाहूंगा कि उन पुरानी बातों को, अपनी गल्तियों को दूसरों पर डाल कर, अपने दोष को दूसरों पर डाल कर दूर हो जाना चाहते हैं। जब राजस्थान बना तो पुरानी रियासतों का सारा रेकॉर्ड राजस्थान सरकार को विरासत में मिला। आज मिसल खो जाती है और मिसल खो जाने के कारण आज इस प्रकार के डिसीज़न देने की नौबत आती है, इस प्रकार का हाई कोर्ट का फैसला होता है, मातमी रूल्स, सन् १९४५ को हाई कोर्ट ने अल्ट्रावायर्स करार दिये, नलीफाइ किया केवल एक दृष्टिकोण से कि ७. ९. ४५ के रूल्स की सेन्क्शन है वह हाई कोर्ट में प्रोड्यूस हो जाती और अदर वाइज़ हाई कोर्ट को सेटिस्फाई कर दिया जाता कि सेंक्शन हो गई तो यह हाई कोर्ट का फैसला हुआ वह नहीं होता और वेलिडेशन भी नहीं होता और यह गर्मागर्मी भी यहां नहीं होती। उसको तो स्वीकार नहीं करते हैं और कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं क्योंकि यह तो सन १९४५ का मामला है और यह हमारी हुकूमत में नहीं आया? पुरानी हुकूमत की जितनी लायेबिलिटीज़ और स्टेटस हैं वे सब राजस्थान सरकार को जब इसका फॉर्मेशन हुआ तो विरासत में मिले। आपने अपनी गलती स्वीकार करके, जब फाइल नहीं मिली और गुम हो गई तो इसके लिए कौनसी इन्क्वायरी बैठाई, कौनसी इन्क्वायरी इसके लिए एस्टेब्लिश की? फाइल किस जगह थी और किसने उसको मिसप्लेस कर दिया, कौन इसको मिसप्लेस करने में था, कौन इन्ट्रेस्टेड व्यक्ति था? मैं तो यहां तक कह सकता हूं, कहां गई आखिर फाइल? आपने कोई इन्क्वायरी एस्टेब्लिश क्यों नहीं की, और आपने रूल्स को उस समय ही चैलेन्ज क्यों नहीं किया? इससे जाहिर होता है कि कोई इसमें इन्ट्रेस्टेड था। मिसल गई तो आखिर कहां गई? कोई इन्क्वायरी नहीं की। इस प्रकार से सरकार की मिसले खो जाती हैं, इम्पोर्टेन्ट मामलों की मिसले खो जाती

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

हैं। माइन्स की २३ फाइलें भीलवाड़ा में आज कई महीनोंप हिले गायब हो गई। मैंने इस सम्बन्ध में कहा भी था। ऐसी ऐसी फाइलें जिनमें गवर्नर की सेंक्शन हो, गुम हो जाय राज्यपाल की सेंक्शन हो राज्यप्रमुख की सेंक्शन हो और भूतपूर्व राजाओं की सेंक्शन हो वे फाइलें गुम हो जायं, यह कोई ऐसी वैसी बात नहीं है. बहुत ही सीरियस बात है, अधिक और क्या सीरियस बात हो सकती है? सदन को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिये। गवर्नर की सेंक्शन हो और वह भी गायब हो जाय! इस प्रकार राज्य सरकार का यह जो बेसिक डिफेक्ट है और इस कारण से बिल सदन में लाना पड़ा है मैं राज्य सरकार को आगाह कर देना चाहता हूं कि यह उनकी जिम्मेदारी है, डिपार्टमेन्ट की जिम्मेदारी है, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं राज्य सरकार के उनकी यह जिम्मेदारी है और कोई अधिकारी इस प्रकार से लापरवाही करता है और जिस कारण राज्य सरकार की इस प्रकार की कोर्ट्स में स्थिति पैदा होती है तो राज्य सरकार को चाहिये कि इस प्रकार के लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ एक्शन ले। यह कोई साधारण बात नहीं है कि डिपार्टमेन्ट से फाइल गायब हो जाय।

मैं केवल इतनी सारी बातें कहते हुए बाकी सारी बातें जो सदन में उठाई गई हैं और जिन पर माननीय राजस्व मन्त्रीजी ने आश्वासन दिया है वे उनका पालन करेंगे और भविष्य में इस प्रकार के वेलिडेशन एक्ट सदन में पेश करने की नौबत नहीं आयेगी। उन्होंने कहा कि वे व्यक्ति विशेष में इन्ट्रेस्टेड हैं इसलिए समर्थन कर रहे हैं, लेकिन मैं पर्सनल एक्सप्लेनेशन के आधार पर कह रहा हूँ कि मैंने उनका समर्थन नहीं किया है और न हो इन्ट्रेस्टेड हूँ। किसी मेम्बर के वक्तव्यों के बारे में उनको तोड़-मरोड़ कर जानकारी देने की कोशिश करें और समर्थन लेने की कोशिश करें, यह कोई सही परम्परा नहीं है। सदन के माननीय सदस्यों ने संविधान और कानून की दृष्टि से जो प्रश्न उठाये हैं उन पर आप विचार करेंगे। भविष्य में इस प्रकार का वेलिडेशन बिल विभागीय अधिकारियों की छोटी छोटी गल्तियों के कारण न आवे और हाई कोर्ट में इस प्रकार के निर्णय न हों। राजस्थान सरकार के चार वर्षों में १३ वेलिडेशन बिल्स सदन में पेश हुए, उनमें से ७ बिल उनके हैं। उनका इस ओर ध्यान आकर्षित करूंगा कि आइन्दा के लिये उनको इस प्रकार वेलिडेशन बिल सदन में लाने का सौभाग्य प्राप्त न हो, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री हरिप्रसाद यादव (वल्लभनगर-सु.): सभापति महोदय, अभी बिल चल रहा है उसके लिए मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि राज्य सरकार की ओर से यह फाइल पेश कर दी जाती तो वकीलों का नुकसान होता। जागीरदारों के केस अधिकतर अदालतों में नहीं जाते हैं। मेरी यह राय है कि बिल पास कर दिया जाय। एक प्रश्न यह उठता है कि पहले की गवर्नमेंट का रेकॉर्ड आना चाहिये और उसके आने के बाद सब ही मेम्बरों को मिलता तो खामियां और निकल जातीं।

श्री सभापति : ऐसी कोई बात नहीं है। आपने ध्यान पूर्वक नहीं सुना।

(व्यवधान)

Order ! Order !! बिल से सम्बन्धित कोई फायल गायब हो, ऐसी बात नहीं है।

श्री हरिप्रसाद यादव : जागीरदारों के जितने केसेज़ गवर्नमेंट के पास आते हैं वे राज्य सरकार के पास ही खत्म हो जाते हैं। सदन के सामने उदाहरण है। हाई कोर्ट में सौ, दो सौ, या पचास ऐसे केसेज़ हों, ऐसी बात नहीं है। मैं अब भी यही राय प्रकट करता हूँ कि यह बिल पास कर दिया जाय। इसके पास होने से न जागीरदारों पर और न सरकार पर ही खराब प्रभाव पड़ेगा।

राजराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): किस पर पड़ेगा ?

श्री हरिप्रसाद यादव : इसको आज ही पास कर दिया जाय। श्री सोहनलालजी ने राय प्रकट की है उससे दो राय नहीं रखता हूँ। उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य जागीरदारों के दोस्त हैं। न जागीरदारों का नुकसान हो और न ही माफीदारों को नुकसान हो........

श्री सभापति : यह बात पहले ही कह चुके हैं।

श्री हरिप्रसाद यादव : इसलिए इस बिल को पास कर दिया जाय।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़): माननीय सभापति महोदय, कोई बात पहले आ चुकी हो, उसको थर्ड रीडिंग में दोहराना नहीं चाहिये। लेकिन प्रश्न साफ समझ में आ जाय और जिससे वह क्लीयर हो जाय कि बात क्या है, यह तो कहना ही पड़ेगा। जो बहस हुई वह यह है कि सन् ४५ में किसी की गल्ती से रूल्स फ्रेम हुए थे, उस गल्ती को समय पर ही वेलिड नहीं कराया। हाई कोर्ट ने उसको गल्त मान कर अल्ट्रावॉयर्स करार दे दिया। अब राजस्थान सरकार को उनको पास करने का कोई अधिकार नहीं है, कानूनी भी। इसके लिए रेवेन्यू मिनिस्टर साहब ने भी कोई जवाब नहीं दिया। हाई कोर्ट ने यह कहा कि यह गल्ती हुई लेकिन उसको नहीं मानते। लेजिस्लेचर में उसको लाकर पास कर रहे हैं। यह इतने आदमियों कोइफेक्ट करता है।

जहां हाईकोर्ट यह डिसीजन देता है कि लॉ ठीक नहीं था वहां हमें भारत का संविधान यह इजाजत नहीं देता कि राजप्रमुख ने क्या रूल्स बनाये, उन रूल्स को हम वैध करार देवें। हाई कोर्ट ने जिस प्रकार का निर्णय दिया है यह हमें मान कर चलना चाहिये कि वहां वकीलों से भी ऊंचे दिमाग के आदमी बैठते हैं। उसकी लीगल पोजीशन बहुत ज्यादा मजबूत है। उसके लिये अभी तक मंत्री महोदय की ओर से जवाब नहीं दिया गया।

सभापति महोदय, एक बात यह भी देखने की है कि यह जो लॉ हम बनाने जा रहे हैं उससे कितनी जनता पर असर पड़ने वाला है, कितने लोगों को इसके न बनने से नुकसान हो रहा है ? हो सकता है दो–चार हजार लोग हों जो इनसे इफेक्टेड हों। वे सिविल कोर्टस में जा सकते हैं। पांच, दस, बीस जागीरदारों के लिये आप इस प्रकार के डिसीज़न्स

(श्री मदनसिंह)

लेते हैं, यह किसी प्रकार भी ठीक नहीं कहा जा सकता। जिनको कम्पन्सेशन दे दिया गया, जिनको दिये हुए दस, दस साल हो गये, कोई चैलेन्ज हुआ नहीं और हो भी नहीं सकता उस समय भी आप ही रेवेन्यू मिनिस्टर थे। अब आपके सामने ऐसा क्या मामला आ गया जिससे आप चाहते हैं कि ये पुराने रूल्स विधान सभा द्वारा वैध हो जाय ? इसके लिये मैं आपसे जवाब चाहता हूँ।

इस चीज में भी दो डिफीकल्टीज़ हैं। सन् ४५ से ४९ तक जयपुर के महाराजा राजप्रमुख की हैसियत से काम कर रहे थे। उनको सब अधिकार थे, वे चाहे किसी को भी किसी प्रकार के अधिकार दे सकते थे, चाहे वे गलत हों या ठीक। जब ४९ के बाद हमारा भारत का संविधान लागू हुआ और उसके बाद प्रजातन्त्रीय हुकूमत राजस्थान में कायम हुई उस समय राजप्रमुख हो गये और उस समय के किये हुए कार्य को जब हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया उसके बाद हाई कोर्ट का जो फैसला हुआ वह सब जानते हैं। इन दोनों चीजों को रेवेन्यू मिनिस्टर साहब एक साथ रखना चाहते हैं जब कि दोनों चीजें एक दूसरे बिल्कुल से अलग हैं। ४५ से ४९ तक राजा लोग राज्य करते थे, उनकी जिस प्रकार की मर्जी थी वे रूल्स बना सकते थे। वहां तक तो वेलिड रहने चाहिये। वे हमारे पर इफेक्टिव नहीं होते केवल राजाओं के समय में इफेक्टिव होते हैं, यह मानना ठीक नहीं है। इसके बारे में भारत का संविधान साफ कहता है कि ऐसे मामले जो भी हों उनके बारे में सिविल कोर्टस में जाना चाहिये। आपके हिसाब से सिविल कोर्ट इस बारे में निर्णय नहीं दे सकता, इस प्रकारके जो वर्डिक्टस हैं वे हाई-कोर्ट के सम्बन्ध में हैं, उसके बारे में भी जवाब चाहता हूँ।

आप जो कह रहे हैं कि इस प्रकार का बिल यदि हम पास नहीं करते हैं तो यहां हजारों पर इसका असर पड़ेगा। मैं नहीं समझ सकता कि १०-५ हजार व्यक्तियों के लिये इस प्रकार का बिल लाते हैं। यदि आप यही चाहते हैं कि १०-५ हजार व्यक्तियों के लिये भी कानून बन सकता है मैं ऐसे कई आदमी बता सकता हूँ कि जिनकी संख्या हजारों में ही नहीं लाखों में हैं उनके लिये भी कानून बनायेंगे। आप कह रहे हैं कि इससे पब्लिक को बड़ा भारी नुकसान हो रहा है इसमें पब्लिक का सवाल कहां आता है ? ये तो २–४ हजार लोगों के लिये है। मैं आपको १०–१० हजार लोग ऐसे बता सकता हूँ; आप उनके बारे में तो कोई अमेंडमेंट नहीं लाते हैं। आप इसके द्वारा जयपुर दरबार को जो ४५ में अधिकार प्राप्त थे उनको आप वैसे का वैसा कायम रखना चाहते हैं, लेकिन हमारे सामने ४५ से ४९ तक और ४९ से ६१ तक जो पोजीशन ही उसके बारे में भी आपको क्लीयर करना चाहिये।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : आप कौनसे पीरियड का ज्यादा स्पष्ट करवाना चाहते हैं ?

श्री मदनसिंह : ४५ से ४९ तक जो जयपुर दरबार को अधिकार थे जो कुछ उन्होंने उस समय में कर दिया उसको आप ठीक करने जा रहे हैं, भारत के संविधान के अन्तर्गत आप ६१ में उन सब कार्यों को वेलिड कराना चाहते हैं। मैं आपसे यह

Page No 99

(श्री मदनसिंह)

निवेदन करना चाहता हूँ कि इसके कारण कई ऐसे मौके आपके सामने आयेंगे जिनके कारण आपको दिक्कत होगी । सभापति महोदय, मैंने जो आग्युमेन्ट्स दिये उनके अनुसार मैं यह समझता हूँ कि इस प्रकार का कानून पास करना संविधान के विपरीत है । मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार के डिसीजन्स ४५ से ४६ तक के समय में किसी पर विपरीत असर हुआ तो उसका क्या होगा, इन सब बातों का आप जबाब दे दें ।

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय सदस्य ने....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : With your permission, Sir, if the Revenue Minister wants, I can read these five lines of the High Court judgment.

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़): Itis new point, Sir.

श्री सभापति : Yes.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : "Even if the Jaipur Matmi Rules 1945 had the force of law, the provisions contained in rule 14 (2) regarding recognition of an adoption for purposes of succession by the Ruler before the adopted son could succeed to the grant became void on the coming into force of the Constitution."

श्री दामोदरलाल व्यास : I have already said that.

उन्होंने जो भी बात कही उसका जबाब देने की आवश्यकता नहीं । अलबत्ता दांता-रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ पोइन्ट्स उठाये, सन् ४५ से ५० तक के पीरियड के पॉवर्स के बारे में बात कही । उस समय पॉवर्स किसमें थे ? मैं उस समय इस बात का जवाब नहीं दे सका था । सब स्टेट्स का जब मर्जर हुआ उस समय कॉवेनेन्ट के अन्दर इस बात का उल्लेख था कि राजप्रमुख में वे तमाम पॉवर्स वेस्टेड थे । It was... और जब तक वे राजप्रमुख रहे उन्होंने उन पॉवर्स का इस्तेमाल किया जो पॉवर्स उनको थे उनका । जिस केस के लिये ज्यादा दिलचस्पी है वह राजप्रमुख द्वारा फैसल किया हुआ है, फैसला है । उस समय उनको अधिकार था। वे तमाम सक्सेशन के केसेज़ के अन्दर जितने भी सॉवरिन पॉवर्स थे उस समय रूलर्स को थे, वे उनमें वेस्टेड थे । इसका फैसला राजप्रमुख ने ही किया ।

दूसरी बात जयपुर से आये हुए माननीय सदस्य ने कहीं । जहां तक इन मातमी रूल्स का सम्बन्ध है मैं समझता हूँ उसके बारे में सभी सदस्यों को स्पष्ट हो चुका है । उन्होंने जो दलील दी है कि हम इस कानून द्वारा कोर्ट्स पर दबाव डाल रहे हैं लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि हाई कोर्ट के फैसले से या उसके द्वारा जितने भी डिसीज़न्स हुए हैं उन पर कोई असर पड़ने वाला नहीं और इससे यह भी नहीं कि कोई भी मामला रीओपन करना चाहें वह करा सकता है । मातमी रूल्स के वेलिड रहते हुए जुरिस्डिक्शन सिविल कोर्ट का नहीं, it vested

(श्री दामोदरलाल व्यास)

only in the Rajpramukh. It was not in the Government even. These powers vested in the Rajpramukh अगर इसको वेलिडेट नहीं किया जाता है तो इसका मतलब यह नहीं कि हरेक केस को हाई कोर्ट से वेलिडेट कराना चाहते हैं। वहां जो भी डिसीज़न हुआ है उसको चैलेन्ज किया जा सकता है और करने का अधिकार है, इस बात को माननीय सदस्य ने भी माना है। हाई कोर्ट में तीन महीने में रिट पीटिशन नहीं कर सकते सिविल कोर्ट में उसके लिये डिक्लरेटरी सूट हो सकता है।

यह मैं आपको अर्ज करूं कि जिस पार्टी का इन्ट्रेस्ट जयपुर गवर्नमेंट के जमाने में रिकॉग्नाइज़ नहीं किया गया और वे समझते हैं कि कोर्ट की सॉवरिन पॉवर्स वे एक्सर्साइज़ कर सकते थे, राइटफुल का राइट डिनाई करके दूसरे को दे सकते थे। कम्पलीट राइट था उनका। तो फिर जो आदमी इस तरह से हिट हुए हैं, जिनका इन्ट्रेस्ट हिट हुआ है उनको उस ऑर्डर को, उस पॉवर को चैलेन्ज करने का राइट क्यों न हो ? इसलिये ५–६ केसेज़ नहीं, ५०० भी हों तो अनसर्टेन्टी की सिचुएशन इससे पैदा होती है। पर जैसा मैंने कहा जागीर रिज़म्प्शन एक्ट में जो एग्ज़िस्टिंग जागीरदार और जागीरों को डिफाइन किया गया है इससे आप समझ सकते हैं कि यह कानून कितना आवश्यक है। तो हर नज़र से, हर नुक्ते निगाह से इसकी आवश्यकता है कि जो कुछ एक्शन लिये जा चुके हैं चाहे वे किसी ने लिये हों —ruler of Jaipur state or Rajpramukh Rajasthan बहरहाल उनको वेलिडेट करना जरूरी है। इसलिये मेरी इच्छा है कि इसको पारित किया जावे।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जयपुर मातमी रूल्स (वैधकरण) विधेयक, १६६१ को पारित किया जावे ?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

मारवाड़ विवाह निधि प्रशासन विधेयक, १६६०

(खण्डशः विचार विमर्श एवं पारित)

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता करता हूँ कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित मारवाड़ विवाह निधि प्रशासन विधेयक, १६६० को विचारार्थ लिया जाय।

श्री सभापति : Motion moved.

प्रश्न यह है कि मारवाड़ विवाह निधि प्रशासन विधेयक, १६६० को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

(विराम)

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : मेरे जो अमेन्डमेन्ट्स हैं, there are amendments, they may be taken to have been moved.

श्री सभापति : कृपया आप अपने तमाम संशोधन एक साथ मूव कर दीजिये।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : वही मैं अर्ज कर रहा हूँ। चूंकि कमीश्नर्स की पोस्टें एबोलिश की जा रही हैं इसलिये इनकी जगह कलेक्टर किया जा रहा है, जहां जहां कमीश्नर्स हैं वहां वहां। इतना सा इसका मतलब है। संशोधन स्पष्ट है।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉजेज़ २, ३, ४ और ५ में जो संशोधन मूव किये गये हैं वे स्वीकार किये जावें ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किये गये।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉजेज २, ३, ४ और ५, संशोधित रूप में, विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

क्लॉजेज़ २, ३, ४ और ५, संशोधित रूप में, विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

क्लॉज़ ६

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ६ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ६ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ ७

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ७ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज ७ विधेयक में अंग रुप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ १ प्रीएम्बल इत्यादि।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १ टाइटल, प्रीएम्बल इत्यादि विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १, टाइटल, प्रीएम्बल इत्यादि विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ....

श्री सभापति : आपका शोर्ट टाइटल में अमेंडमेंट है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : सिर्फ इतना अमेंडमेंट है कि 'पेड' के बजाय 'एण्ड' पढ़ा जाय, प्रिन्टिंग मिस्टेक है यह तो केवल।

श्री बिशम्भरनाथ जोशी (चांदीकुई): On a Point of Order, since the Clause 1, Preamble etc. had already been put to vote, I think that stage has passed.

श्री सभापति : That is only a consequential amendment.

श्री बिशम्भरनाथ जोशी : If it is so it can be done by the Speaker.

श्री सभापति : Since it is a clerical error according to Rules, even without amendment it can be corrected. So that formal error can be rectified.

श्री दामोदरलाल व्यास : इसमें कोई बात नहीं है।

श्री बिशम्भरनाथ जोशी : That cana be done by the Speaker, but once when it has been put to vote...

श्री सभापति : Now the Chair has given its observations.

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इस बिल को पारित किया जावे।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि इस बिल को पारित किया जावे ?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

राजस्थान कसर भोम उत्सादन विधेयक, १९६१

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान कसर भोम उत्सादन विधेयक, १९६१ को विचारार्थ लिया जावे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : सभापति महोदय, इसे कल लिया जावे, अब समय नहीं है।

श्री सभापति : So we now adjourn till Monday the 10th at 11 a. m.

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. १२ बज कर ५७ मिनट पर दिनांक १० अप्रेल, १९६१ को म. पू. ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

संक्षिप्त-विवरण

(शुक्रवार, ७ अप्रेल, १६६१

	स्कम्भ		स्कम्भ
तारांकित प्रश्नों के शीर्षक	७१८४	मुअत्तिल थानेदार व सर्किल इन्सपेक्टर्स ।	
हिन्डौन की कोटरी नगर किरना पत्थर खानों के मजदूरों द्वारा भूख हड़ताल ।		द्वितीय पंचवर्षीय योजना में खर्च हुई धन-राशि ।	
प्लान्ट प्रोटेक्शन स्कीम के अन्तर्गत मुकदमे ।		सब-इन्सपेक्टर्स से प्रशिक्षण-काल का खर्चा अग्रिम में जमा करवाया जाना ।	
हिन्डौन के हरिजनों के एसोसियेशन द्वारा इकट्ठी की गई हड्डियों की भूतपूर्व ठेकेदार, श्री रमजानी, द्वारा चोरी ।		तहसील रायपुर के ग्राम हाजीवास में ग्राम पंचायत का केन्द्र रखना ।	
ग्राम पंचायत बर के भूतपूर्व सरपंच श्री मांगीलाल के व्यक्तिगत मुकदमों में पंचायत का खर्चा ।		मुकदमों की पैरवी हेतु गैर सरकारी वकीलों की नियुक्ति ।	
लीज अथवा लाइसेन्स के आवेदन-पत्रों पर त्वरित निर्णय ।		सांचोर हायर सेकन्डरी स्कूल के भवन के निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि में कमी ।	
नाक, कान काटे जाने की घटनायें ।		पंचायत समितियों के क्षेत्रान्तर्गत माडल कृषि फार्म ।	
जोइन्ट फार्मिंग सोसाइटी, सरकानाद को ट्रेक्टर की खरीद हेतु मिली धनराशि ।		सैशन्स कोर्ट्स के मुन्सरिमों को ३ वर्ष से अधिक एक स्थान पर रखा जाना ।	
निरीक्षक व सहायक निरीक्षकों के फिक्सेशन ।		कृषि फार्मों हेतु खरीदे गये ट्रेक्टर्स ।	

प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक आमदनी।

सांचोर हायर सेकन्डरी स्कूल में वाणिज्य व विज्ञान की कक्षाएं खोलना।

जालोर जिले की जेलों में मुलजिमान को वार्शिंग सोडा।

देवली वाया नगर–उनियारा–अलीगढ़ बस सर्विस।

पाली विकास खण्ड में मेड़बन्दी हेतु प्रदत्त धन–राशि।

उदयपुर–हिम्मतनगर रेल्वे लाइन के निर्माण हेतु अवाप्त की गई भूमि का मुआवजा।

जयपुर सर्किट हाउस।

बृजलाल नगर बस्ती का निर्माण।

प्रान्त में बाहर से आने वाले आई. ए. एस. ऑफिसर्स को स्थानीय ऑफिसर्स से विशेष सुविधाएं।

स्थगित प्रश्न :

(२२ मार्च, १९६१)

ग्राम पंचायत जोगीवाला (गंगानगर) के हिसाब किताब की जांच।

डाबरा सहकारी समिति द्वारा बाजरे के बीज की खरीद।

उदयपुर जिले की सहकारी संस्थाओं से बकाया रकम की वसूली।

स्थगित प्रश्न :

(२३ मार्च, १९६१)

पाली शहर में मजदूरों की बस्ती में रोशनी एवं पानी का प्रबन्ध।

प्रतिवेदन का उपस्थापन ७२४०

श्री भोलानाथ, सभापति प्राक्कलन समिति, ने योजना एवं विकास विभाग (गृह, निर्माण, योजनायें, स्थानीय विकास कार्य तथा अर्थ एवं सांख्यिकीय विभाग) से सम्बन्धित प्राक्कलन समिति, १९६०–६१ के बीसवें प्रतिवेदन का उपस्थापन किया।

राजस्व मंत्री द्वारा अपने वक्तव्य में संशोधन ७२४१

श्री दामोदरलाल व्यास, राजस्व मन्त्री, ने घग्घर नदी में बाढ़ सम्बन्धी श्री मुरलीधर व्यास, के स्थगन प्रस्ताव पर दिनांक १४ सितम्बर, १९६० को दिये गये अपने वक्तव्य में संशोधन हेतु एक वक्तव्य दिया।

माननीय अध्यक्ष का निर्णय ७२४२

दिनांक २६ मार्च, १९६१ को श्री भैरोंसिंह (१४), सदस्य विधान सभा, ने माननीय उपाध्यक्ष द्वारा दी गई व्यवस्था से उत्पन्न शंका के निराकरण हेतु एक औचित्य प्रश्न उठाया था जिस पर राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम ३०८ के अधीन माननीय अध्यक्ष द्वारा यह निर्णय दिया गया कि सदन की सुप्रतिष्ठित परम्परा और व्यवहार के आधार पर सचिव, विधान सभा, को अध्यक्ष की ओर से कटौती—प्रस्तावों, प्रश्नों आदि की सूचनाओं में संशोधन करने का प्राधिकार है तथा सचिव उन प्रस्तावों की सूचनाओं को, जिनके लिये अपेक्षित नोटिस नहीं दिया गया है, उस दिन की कार्य—सूची में सम्मिलित किये जाने से रोक सकता है।

माननीय अध्यक्ष ने यह भी स्पष्ट किया कि सुप्रतिष्ठित संसदीय परम्पराओं के अनुसार विधान सभा सचिवालय के सम्बन्ध में सदन में कोई चर्चा नहीं की जा सकती और यदि उक्त सचिवालय के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई शिकायत या परिवेदना हो तो वह लिखित रूप में या व्यक्तिगत रूप में अध्यक्ष को उनके वेश्म (चेम्बर) में प्रस्तुत की जा सकती है।

विधाई कार्य

पुरःस्थापित किये गये विधेयक ७२४६

निम्नांकित विधेयक, सभा की आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात्, पुरः स्थापित किये गए :—

१. राजस्थान सरकार अनुदान विधेयक, १९६१

२. राजस्थान राज्य पशु—मेला विधेयक, १९६१

विचारार्थ लिये गये विधेयक

जयपुर म मी रूल्स (वैध-करण) १६६१ ७२५०

श्री दामोदरलाल व्यास, राजस्व मन्त्री के इस प्रस्ताव पर कि उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिया जाय रावराजा श्री सरदार-सिंह ने यह संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि विधेयक को जन-मत जानने हेतु प्रसारित किया जाय। इस पर किये गए वाद-विवाद में निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया :–

(१) श्री मदनसिंह दांता

(२) श्री तेजमल बापना

(३) श्री मानकचन्द कोठारी

(४) श्री मुरलीधर व्यास

(५) श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा

(६) श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा

(७) श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल

(८) श्री आबिदअली

(९) श्री सोहनलाल भटनागर

(१०) श्री महेन्द्रसिंह पंवार

राजस्व मन्त्री के उत्तर के पश्चात् संशोधन प्रस्ताव वापिस ले लिया गया एवं विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

तदुपरान्त राजस्व मंत्री के इस प्रस्ताव पर कि विधेयक को पारित किया जाय श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, श्री हरिप्रसाद यादव एवं श्री महेन्द्रसिंह पंवार ने अपने विचार प्रकट किये।

राजस्व मन्त्री के उत्तर के पश्चात् विधेयक सदन द्वारा पारित भी किया गया।

मारवाड़ विवाह-निधि प्रशासन विधेयक, १६६० ७३८३

श्री दामोदरलाल व्यास, राजस्व मंत्री का यह प्रस्ताव कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिया जाय, स्वीकार किया गया। तत्पश्चात् विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड–२ से ५:–संशोधित रूप में स्वीकार किये गये।

खण्ड–३, ६ और ७:–स्वीकार किये गये।

खण्ड-१ आदि :–स्वीकार किये गये।

Page No 107

विधेयक सदन द्वारा पारित भी किया गया।

सदन की बैठक १२ बजकर ५० मिनट पर सोमवार, दिनांक १० अप्रेल, १९६१ को प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की गई।

सोमवार, दिनांक १० अप्रेल, १९६१ की कार्य–सूची

१. राजस्थान कृषि उपज विपणि विधेयक, १९६० (खण्डशः विचार–विमर्श एवं पारित)।

२. राजस्थान सहकारी भूमि बंधक बैंक (संशोधन) विधेयक, १९६० (वापिस लेना)

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ८१६ का उत्तर देखिये)

सूची परिशिष्ट 'क'

१.	श्री छोटेलाल चोबे	निरीक्षक (कार्यकारी)	रेशनलाइज में फिक्सेशन होना	शेष है
२.	,, एस० एस० भार्गव	,,	,,	,,
३.	,, पी० सी० यादव	,,	,,	,,
४.	,, जनकसिंह	,,	,,	,,
५.	,, छोटेलाल गुप्ता	,,	यूनीफाइड व रेशनलाइज में शेष है	
६.	,, अनूपसिंह	,,	,,	,,
७.	,, सूरजनारायण	,,	,,	,,
८.	,, रामेश्वर प्रसाद वर्मा	,,	,,	,,
९.	,, बख्तावरसिंह	,,	,,	,,
१०.	,, ठाकुरदत्त	,,	,,	,,
११.	,, क्योरेलाल यादव	,,	,,	,,
१२.	,, मुरारीलाल गर्ग	,,	,,	,,
१३.	,, राममूर्ति शर्मा	,,	रेशनलाइज में होना शेष है।	
१४.	,, राधेश्याम गुप्ता	,,	,,	,,
१५.	,, ईश्वरदान नंदु	निरीक्षक (जांच)	,,	,,
१६.	,, गोविन्दप्रसाद माथुर	,,	यूनीफाइड व रेशनलाइज में होना शेष है।	
१७.	,, सागरमल गांधी	,,	,,	,,
१८.	,, नेमीचन्द शर्मा	,,	रेशनलाइज में होना शेष है।	

१९.	,, बन्शीधर शर्मा	सहायक निरीक्षक	,,	,,
२०.	,, कस्तूरीलाल	,,	,,	,,
२१.	,, मूलचन्द शर्मा	,,	,,	,,
२२.	,, गोवर्धनलाल जैन	,,	,,	,,
२३.	,, रामसिंह प्रथम	,,	,,	,,
२४.	,, रामेश्वरप्रसाद जैन	,,	यूनीफाइड व रेशनलाइज में होना शेष है।	
२५.	,, मदनलाल	,,	रेशनलाइज में होना शेष है।	
२६.	,, नारायणदत्त	,,	,,	,,
२७.	,, पन्नालाल	,,	,,	,,
२८.	,, सिरेहमल राका	,,	,,	,,
२९.	,, कल्याणप्रसाद	,,	,,	,,
३०.	,, नाथूलाल	,,	,,	,,
३१.	,, किशनगोपाल	,,	,,	,,
३२.	,, मोहनलाल	,,	,,	,,
३३.	,, मोहनलाल व्यास	,,	,,	,,
३४.	,, मूलचन्द गुप्ता	,,	,,	,,
३५.	,, हरिवल्लभ	,,	,,	,,
३६.	,, रामकल्याण	,,	,,	,,
३७.	,, रामगोपाल	,,	,,	,,
३८.	,, मूलचन्द पुरोहित	,,	,,	,,

३९. ,, रघुनन्दन सक्सेना	,,	,,	,,
४०. ,, दामोदरलाल भार्गव	,,		यूनीफाइड व रेशनलाइज में होना शेष है।
४१. ,, एन० एल० भटनागर निरीक्षक (कार्यकारी)			शनलाइज में होना शेष है।

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ८२६ का उत्तर देखिये)

	नाम फार्म	जिला
१.	डमरिया	डूंगरपुर
२.	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़
३.	सेवर	भरतपुर
४.	लाड़पुरा	कोटा
५.	लौरवट	बांसवाड़ा
६.	बोरखेड़ा	कोटा
७.	मौजपुरा	अलवर
८.	ऐरनपुरा	पाली
९.	औराडेय	सिरोही
१०.	बसेरी	भरतपुर
११.	मलारना डूंगरप	सवाई माधोपुर
१२.	सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर
१३.	लावा सरदारगढ़	उदयपुर
१४.	पाली	पाली
१५.	खण्डार	सवाई माधोपुर
१६.	मालपुरा	टोंक
१७.	मावली	उदयपुर
१८.	बड़वा	जयपुर
१९.	हरसौर	नागौर

२०.	मौजपुरा	अलवर
२१.	थारियावाद	उदयपुर
२२.	मूंयाणा	चित्तौड़गढ़
२३.	सुरायता	पाली
२४.	रीया	नागौर
२५.	मेजाड़ेप	भीलवाड़ा
२६.	मद्दूंडा	बूंदी
२७.	रालीयावास	जालोर
२८.	श्रीमाधोपुर	सीकर
२९.	खासौली	चूरू
३०.	बासबिसाना	झुंझुनू
३१.	हनुमानगढ़	श्रीगंगानगर
३२.	तन्नीजी	अजमेर
३३.	दुर्गापुरा	जयपुर
३४.	मथानियां	जोधपुर
३५.	खानपुर	झालावाड़
३६.	समदड़ी	बाड़मेर
३७.	चन्दन	जैसलमेर
३८.	गुलाबपुरा	भीलवाड़ा
३९.	मंडोर	जोधपुर
४०.	उमेदगंज	कोटा
४१.	पेड़ासौली	जयपुर
४२.	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ८३५का उत्तर देखिये)

पाली विकास खण्ड में २ अक्टूबर, १९५९ के बाद से आज तक धोरा बांधने (मेडबंदी) के लिए लोगों को तकावी के रूप में दी गयी रकम की सूची।

क्रमांक	नाम व्यक्ति	रकम
१	२	३
१.	श्री मोवना	६००)
२.	,, जगिया	१००)
३.	,, जसिया	१००)
४.	,, रतना	१००)
५.	,, चिमना	३००)
६.	,, पन्ना	२५०)
७.	,, थाना	३००)
८.	,, हीरा	१००)
९.	,, भोपालसिंह	२५०)
१०.	,, धन्ना	१५०)
११.	,, विरधा	२००)
१२.	,, शेरिया	१५०)
१३.	,, नारायणा	३००)
१४.	,, डूंगरदास	१००)

१	२	३
१५.	,, पृथ्वीसिंह	१५०)
१६.	,, देवाराम	१५०)
१७.	,, बेना	१५०)
१८.	,, नरसिंह	१५०)
	योग :—	३६००)

परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ८३७ का उत्तर देखिये)

एड्क्श्योर ए

उदयपुर हिम्मत नगर रेलवे लाईन में आने वाली भूमि एक्वायर की जायगी उसका
स्टेटमेन्ट मुरतिबा लैन्ड एक्वीज़ीशन ऑफिस, उदयपुर डिविजन, उदयपुर

नं० शु०	नाम जिला	नाम तहसील	नाम मोजा	रकबा बीघा	बिस्वा	वि. वि.
१.	उदयपुर	गिरवा	आयड़	४	१	
			उदयपुर	२८२	१६	
			गारडियावास	४	३	
			सवीनाखेड़ा सविना	३६	१५	
			पानेरीयो की मादड़ी	२ ८	२	
			नमवाखेड़ा	२८	१	
			एकलिंगपुरा	६५	१	
			कलडवास	७७	१७	
			कानपुर उमरडा जापा, डाकियोखेडा	४६	५	
			पारोला	१०१	१५	
			मानपुरा	२०८	४	
			भालोकी गुडा	५१	१४	
			खाखा	१७४	१०	
				१५३१	०४	

१	२	३	४	५	६	७
२.	उदयपुर	सराड़ा		नाकोली	५६	६
				केवड़ाखुर्द	७	१६
				एकलिंगपुरा	१३३	४
				अदवास	३५०	६
				ओडा	१६५	६
				लिगेटवाडा	११०	११
				भालाडिया	६३	१५
				रेवा तलाई	८५	७
				पाडला	६५	१४
				घावडिया	१४	११
				देपुरा	१७३	१६
				महुवाडा	६८	११
				पालसरदिया	७७	१५
				पालनारिया पीलाघर	६१	१७
				काडोला	८३	१०
				डिगरो	४७	००
				केरपुरा	२५	१५
				यदयपुरिया	१६	१०
				बेहुती	१४८	०
				वडगांव	७	१०
				वाणाखुर्द	६७	१७
				वाणाकला	४२	१५
				सुरखंड खेडा	२७४	१८
				कुराडिया	१३	१६
				जगपुरिया	८	६
				श्यामपुरा	३५	०
				सेमारी	१६६	१०

१	२	३	४	५	६	७
				बोरीम० दाणी	३१	०
				खाखरिया	४६	१८
				कुन्डा	६२	१२
					२६१८	१
३.	उदयपुर	खेरवाडा		रजोल	१२२	८
				बामनवाडा	२	१५
				कल्याणपुर	६५	६
				चोराई	२५	७
				भगोर	७७	१
				गुढा	२२	४
				श्यामपुरा	१६	७
				दोलपुरा	१६	३
				पगारा	१	०
				देवपुरा	२८	१४
				बिछिवाडा	५	१४
					३८८	१६
				ग्रान्ट टोटल	४५३८	४

———————

परिशिष्ट ५

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ८४० का उत्तर देखिये)

आई. ए. एस. अधिकारी (राजस्थान) सूची

१. श्री श्यामलाल
२. ,, बी. एल. रावत
३. ,, कंवर बहादुर माथुर
४. ,, भगतसिंह मेहता
५. ,, दौलतसिंह
६. ,, एस. डी. उज्ज्वल
७. ,, रामनिवास हावा
८. ,, खेमचन्द
९. ,, गजेन्द्रसिंह
१०. ,, जेड. एस. झाला
११. ,, बी. एस. मेहता
१२. ,, सी. एस. गुप्ता
१३. ,, आर. के. चतुर्वेदी
१४. ,, हिम्मतसिंह
१५. ,, एस पी. सिंह भन्डारी
१६. ,, बी. सी. मुकर्जी
१७. ,, जी. एस. चौधरी
१८. ,, बी. पी. सूद
१९. ,, गोरधनसिंह
२०. ,, रामसिंह

२१. ,, वी. डी. शर्मा १

२२. ,, वी. डी. शर्मा २

२३. ,, शिवशंकर

२४. ,, गजराजसिंह

२५. ,, जे. एम. लालवानी

२६. ,, पी. के. भानोत

२७. ,, शेरसिंह

२८. ,, एम. सी. भटनागर

२९. ,, जे. एस. मेहता

३०. ,, मूलसिंह

३१. ,, जे. पी. अरोरा

३२. ,, सूर्य स्वरुप

३३. ,, निरञ्जनसिंह

३४. ,, केशवपुरी

३५. ,, भीमसिंह

३६. ,, जे. एस. सिंघवी

३७. ,, एस. एन. शुक्ला

३८. ,, ए. पी. कौशिक

३९. ,, ए. पी. दिवान

४०. ,, डी. एन. हांडा

४१. ,, के. एस. उज्ज्वल

४२. ,, डी. सी. जोशप

४३. ,, एम. एम. के. वली

४४. ,, रामसिंह चौहान

४५. ,, डी. के. व्यास

४६. ,, मंगल बिहारी

४७. ,, डी. के. सक्सेना

४८. ,, टी. एस. कोठारी

४९. ,, एम. डी. मेहता

५०. ,, ए. एल. रुंगटा

५१. ,, अनील बोर्डिया

५२. ,, हरीमोहन माथुर

५३. ,, अमरसिंह राठोर

५४. ,, विजयशंकर वर्मा

५५. ,, जी. रामचन्द्र

५६. ,, आर. आर. जैन

५७. ,, जी. के. भगत

५८. ,, शरफअली

Page No 121

आइ.ए.एस. अधिकारी (जो राजस्थानी नहीं हैं)

१. श्री एम.यू. मैनन
२. ,, के. पी. यू. मैनन
३. ,, बलवन्तसिंह
४. ,, एस. एल. कक्कर
५. ,, रामेश्वरदयाल माथुर
६. ,, आर. एत. मधोक
७. ,, जी. बी. के. हूजा
८. ,, एस. एल. खुराना
९ ,, मोहन मुकर्जी
१०. ,, आर. डी. थापर
११. ,, ए. के. राय
१२. ,, राजकुमार
१३. ,, बी. एन. मलहान
१४. ,, महेन्द्रसिंह
१५. ,, टी. एन. चतुर्वेदी
१६. ,, वी. नाथ
१७. ,, बृजराज बहादुर
१८. ,, मनमोहन कोहली
१९. ,, आर. डी. खन्ना
२०. ,, ए. के. रे
२१. ,, आर. मुकर्जी
२२. ,, आर. सी. सूद
२३. ,, राजकुमार शास्त्री
२४. ,, एम. एस. सदाशिवन

२५. ,, बी. हूजा

२६. ,, आनन्दमोहन लाल

२७. ,, आर. के. सक्सेना

२८. ,, वी. सी. पांडे

२९. ,, के. के. जोशी

३०. ,, नरेश चन्द्र

३१. ,, वी. बी. एॅल. माथुर

३२. ,, तेज कुमार

३३. ,, एच. एस. रमानी

३४. ,, वी. आई. राधागोपाल

३५. ,, के. वी. शंकरन्

३६. ,, आर. रामाकृष्णा

३७. ,, आर. जे. मजेठिया

३८. ,, पी. एन. बहल

३९. ,, डी. एन. प्रसाद

४०. ,, एस. पी. बिश्नोई

४१. ,, बी. एन. धाउनदयाल

४२. ,, राजेन्द्र जैन

४३. ,, मोहन्द्रसिंह

४४. ,, एस. एन. शुक्ला

४५. ,, आर. वी. सोन्टके

४६. ,, के. एस. रस्तौगी

Page No 123

४७. ,, जी. जे. मिश्रा

४८. ,, भगवान राम

४९. ,, विनय व्यास

५०. ,, पी. वी. माथुर

५१. ,, आर. एन. मिश्रा

५२. ,, टी. वी. रमानन

५३. ,, एम. सी. पांडे

५४. ,, ए. वी. गनेशन

५५. ,, असीम चटर्जी

५६. कुमारी कुसुम कपूर

शुद्धि-पत्र

(शुक्रवार, ७ अप्रैल, १९६१)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
७१६२	अन्तिम पंक्ति	फार्मिग	फार्मिंग
,,	६	,,	,,
,,	अन्तिम से २	स्केब्स	स्केल्स
७१६३	१२	श्रीं नाथूराम मिर्वा	श्री नाथूराम मिर्धा
७१६४	अन्तिम से ६	४)	४,
७१६५	अन्तिम से ३	श्री भैरोंसिह	श्री भैरोंसिंह
७१६६	अन्तिम से ६	(२)	(३)
७२०१	,,	र गैसरकारी	गैर सरकारी
,,	अन्तिम से ४	publie	public
७२०२	५	यकील	वकील
,,	८	विशेय	विशेष
७२०५	१४	Dcvelopment	Development
७२०६	११	हेत	हेतु
७२१०	१६	रावराजा श्री सरदारसिह	रावराजा श्री सरदारसिंह
७२११	अन्तिम से ६	टीक	ठीक
७२१४	२	श्री भैरोंसिह	श्री भैरोंसिंह
७२१६	१	,,	,,
७२३२	शीर्ष	(श्री मोगजी भाई)	(श्री दामोदरलाल व्यास)
,,	अन्तिम से ६		(२) क्या इन
७२३३	१३	श्री भैरोंसिह	श्री भैरोंसिंह
७२३३	१८	रेशनलाइज़	रेशनलाइज़्ड
,,	२०	,,	,,
७२४२-से ७२५४ तक	शीर्षक	७ अप्रैल, ६०	७ अप्रैल, ६१
७२४५ व, ७२४७ व, ७२४६	,,	अध्यक्षी निर्णय	अध्यक्षीय निर्णय
७२५३	अन्तिम पंक्ति	एप्रवल	एप्रूवल
७२५६	अन्तिम से ६	रावराजा श्री सरदारसिह	रावराजा श्री सरदारसिंह

१	२	३	४
७२५७	५	डॉ० बहादुरसिह	डॉ० बहादुरसिंह
,,	१२	रावराजा श्री सरदारसिह	रावराजा श्री सरदारसिंह
७२५६	शीर्षक	विधेयज	विधेयक
७२६१	१०	Instructionns	Instructions
७२६२	२१	iau	law
७२६४	११	ore	or
,,	अन्तिम से ७	Jagr	Jagir
७२६५	स्कम्भ	७१६५	७२६५
७२६७	४	रावराजा श्री सरदारसिह	रावराजा श्री सरदारसिंह
७२६८	६	संत्रा	संज्ञा
,,	१४	संइा	,,
७२७५	१२	रावराजा श्री सरदारसिह	रावराजा श्री सरदारसिंह
७२७६	१६	ारे	बारे
७२७७	१७	नहीं	नहीं
७२८१	स्कम्भ	७१८१	७२८१
७२८२	११	श्री पुरुषोतमलाल शर्मा	श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा
७२८३	४	ञनावें	बनावें
७२८४	१३	श्री मदनसिह	श्री मदनसिंह
७२८८	१५	सिंगर	लिंगर
७२६०	शीर्षक	फूल्स	रूल्स
,,	२	कॉन्स्टीट्यूशन के ऑफ	कॉन्स्टीट्यूशन के ऑफ
,,	८	वेलिटी	वेलिडिटी
,,	६	ये	हैं
,,	अन्तिम से ६	है	हुआ है
७२६२	शीर्षक	चयपुर	जयपुर
७२६८	अन्तिम से ५	मय	समय
७३०१	७	उयलब्ध	उपलब्ध
७३०३	अन्तिम से ८	देती	देती है
७३०५	१८	कि है	है कि
७३०७	८	श्री महेन्द्रसिह	श्री महेन्द्रसिंह
७३०७	१५	श्री मदनसिह	श्री मदनसिंह
७३०६	६	डिस्टर्बेंस	डिस्टर्बेंस

१	२	३	४
७३०६	२२	म .	में
७३१७	२	सकारर	सरकार
७३१६	१८	अलफात	अल्ताफ
७३२१	स्कम्भ	७३११	७३२१
७३२२	शीर्षक	रू०स	रूल्स
७३२६	,,	(वधकरण) ब्रिधेयक	(वैधकरण) विधेयक
७३३१	अन्तिम से ८	रावराजा श्री सरदारसिह	रावराजा श्री सरदारसिंह
७३३३	शीर्षक	ब्रिधेयक	विधेयक
७३३४	,,	जयतुर	जयपुर
७३३४–३५	,,	७ अप्रल, ६१	७ अप्रेल, ६१
७३३६	शीर्षक	जयपुर मात ी रूल	जयपुर मातमी रूल्स
७३३६–३७	,,	,७ अ ेल, ६१	७ अप्रेल, ६१
७३३८	७	क	की
७३४१	शीर्षक	(वैवकरण)	(वैधकरण)
,,	२४	ट्यूटीज़	ड्यूटीज़
,,	२५	,,	,,
७३४६	१२	एक्जिस्टिंग	एग्ज़िस्टिंग
,,	२२	4५	४५
७६४८	३	exercise deither	exercised either
७३४६	शीर्षक	ब्रिधेयक	विधेयक
७३५१	३	श्री मदनसिह	श्री मदनसिंह
७३५४	१३	सेक्शन	सैक्शन
,,	१७	,,	,,
,,	अन्तिम से ३	Recieuved	Recieved
७३५५	२	सेक्शन	सैक्शन
७३६०	शीर्षक	विधेयक, १६६०	१६६१
७३६३	,,	ब्रिधेयक	विधेयक
७३६८	२२	Hignness	Highness
७३७२	अन्तिम से २	गजस्थान	राजस्थान
७३७४	३	महीनोंप हिले	महीनों पहले
७३७६–७७	शीर्षक	७ अप्रल, ६१	७ अप्रेल, ६१
७३७७	,,	१६६०	१६६१
७३७८	स्कम्भ	३७८	७३७८

१	२	३	४
७३७८–७९	शीर्षक	६ अप्रेल, ६१	७ अप्रेल, ६१
७३८३	,,	(वैधकरध)	(वैधकरण)
७३८६	६	aiready	already
७३८६	१०	Conse'quential	Consequential
७३९१	३–४	—	स्थगित प्रश्न(२३, मार्च, १९६१)
,,	७–८	स्थगित प्रश्न(२३ मार्च, १९६१)	—
७३९९	शीर्षक	परशिष्ट	परिशिष्ट
७४०८	७	भगतसिंह मेहता	भगवतसिंह मेहता
,,	१६	आर. के. चतुर्वेदी	आर. के चतुर्वेदी
७४०९	६	पी. के. भानोत	जी. के भानोत
७४११	८	आर. ए. मधोक	आर. एन. मधोक
७४१३	७	एम. सी. पांडे	वी. सी. पांडे

अनुपूरक शुद्धि-पत्र

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
७२३२	अंतिम से ६	————	(२) क्या इन
७२४५	शीर्षक	अध्यक्षी निर्णय	अध्यक्षीय निर्णय
७२७२	शीर्ष	(श्री दामोमरलाल व्यास)	(श्री दामोदरलाल व्यास)
७२९४	अंतिम से २	(जयाल)	(जायल)
७३७८	शीर्षक	६ अप्रेल, ६१	७ अप्रेल, ६१
७३८०	१२	श्री दामोदरलाल व्य स	श्री दामोदरलाल व्यास